लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

18-8-92

[खंड 15 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
917. भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों की स्मृति में प्रतिमा स्थापना तथा स्मारक ग्रन्थ का प्रकाशन	Statues and Publication of a Commemorative Volume in memory of jawans killed in Indo Pak-War ...	16—18
920. सैनिक स्कूलों में लड़कियों का दाखिला	Admission of Girls in Sainik Schools ...	18—19
919. देश में स्थापित किए गए पैट्रो रसायन एकक	Petro Chemical Units set up in the Country ...	19—20

अल्प-सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTION

5. दस्तूर कम्पनी द्वारा सेलम इस्पात संयंत्र के बारे में संभाव्यता प्रतिवेदन	Feasibility Report on Salem Steel Plant by Dastur Co. ...	20—23

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
904. भारतीय सीमा पर रुके हुए विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists Stranded on Indian Borders ...	23
906. आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का निपटारा	Settlement of Pay and Allowances of INA Personnel ...	24
909. पूर्व यूरोपीय देशों से मिले ऋणों की अप्रयुक्त राशि का उपयोग	Utilisation of Unutilised Credit from East European Countries ...	24—25
911. विमान सेवाएँ प्रारम्भ करना	Establishment of Air Links ...	25
912. सैनिकों को वीरता पुरस्कार देने के मापदण्ड	Criteria for Gallantry Awards to Military Personnel ...	25—26
915. तिरुचिरापल्ली स्थित छोटे हथियार बनाने के कारखाने का उत्पादन	Production at Small Arms Factory at Tiruchirapalli ...	26
916. सम्पदा शुल्क से राजस्व	Revenue from Estate Duty ...	26—27
918. गुजरात तथा आसाम सरकारों को अशोधित तेल पर अधिक रायल्टी देना	Higher Royalty on Crude to Gujarat and Assam Governments ...	27

विषय सूची/CONTENTS

अंक 48, शुक्रवार, 19 मई, 1972/29 वैशाख, 1894 (शक)

No. 48, Friday, May 19, 1972/Vaisakha 19, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
901. राज्यों द्वारा छोटी बचत योजनाओं में पूँजी निवेश	Investment by States in Small Saving Schemes ...	1—4
902. काश्मीर में पाकिस्तानी हेलीकोप्टर द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन	Violation of Indian Air Space by Pakistani Helicopter in Kashmir ...	5—6
903. मध्य प्रदेश के कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक का अनुदान	Grants from World Bank for Agricultural Development Programmes in Madhya Pradesh ...	6—7
905. पाक अधिकृत काश्मीर में स्वयं सेवक सेना गठित करने के लिए लामबंदी कार्यक्रम	'Mobilisation Programme' to raise a 'Volunteer Force' in Pak-occupied Kashmir ...	7—9
907. कलकत्ता और ढाका के बीच विमान सेवा के किराये में कमी	Reduction in Air Fare between Calcutta and Dacca ...	9—10
908. मुद्रास्फीति न बढ़ाने वाले संसाधनों का जुटाया जाना	Mobilisation of Non Inflationary Resources ...	10—11
910. कार्डाइट फैक्टरी, अरूवनकाडु का आधुनिकीकरण	Modernisation of Cordite Factory at Aruvankadu ...	11—12
913. औषधियों के आयात को घटाने और आयुर्वैदिक औषधियों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव	Proposal to reduce the Import of Medicines and encourage Ayurvedic Medicines ...	12—15
914. उड़ीसा के समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विदेशों से तथा अन्य स्रोतों से सहायता	Assistance from Foreign Countries and other Sources for Cyclone affected areas in Orissa ...	15—16

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
6681. मध्य प्रदेश में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-Tax in Madhya Pradesh ...	27
6682. मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गए ऋण	Loans advanced by Nationalised Banks in Bastar District (Madhya Pradesh) ...	28
6683. राँची शहर का पुनर्वर्गीकरण	Reclassification of Ranchi City ...	28
6684. त्रिवेन्द्रम तथा कोचीन हवाई अड्डों के विकास पर किया गया व्यय	Amount Spent on the Development of Trivandrum and Cochin Airports ...	28—29
6685. विदेश जाने वाले अधिकारियों को यात्रा कर के भुगतान से छूट	Exemption from payment of Travel Tax to officials going abroad ...	29
6686. केरल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala ...	29
6687. आंध्र प्रदेश में आय कर का अपवंचन	Evasion of Income-Tax in Andhra Pradesh ...	29—30
6688. आंध्र प्रदेश में बड़े व्यक्तियों/फर्मों की ओर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-Tax against top Individual/Firms in Andhra Pradesh ...	31
6689. चौथी योजना के दौरान देश में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in the country during Fourth Plan ...	31
6690. आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋण	Loans sanctioned by Nationalised Banks in Andhra Pradesh ...	31—32
6691. गोलचा प्रापर्टी (प्राइवेट) लिमिटेड के लेनदारों को भुगतान	Payment to Creditors of Golcha Properties (Pvt.) Ltd. ...	32
6692. सरकारी लिमिटेड कंपनियों द्वारा पूँजी का बढ़ाया जाना	Capital raised by Public Limited Companies	33
6693. पर्यटन सेवाओं को बल प्रदान करने के लिए भूतपूर्व प्रतिरक्षा अधिकारियों को कार्य पर लगाने की योजना	Scheme to mobilise Ex-Defence Officers to Vitalise Tourist Services ...	33—34
6694. इण्डियन एयरलाइन्स में सशस्त्र सेनाओं के अपंग कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों को प्रतिशतता	Percentage of Posts reserved for Disabled Personnel of Armed Forces in Indian Airlines ...	34
6696. विमान टिकटों में एक्सचेंज रेकेट	Exchange Racket in Air Tickets ...	34—35
6697. प्रतिरक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों को अखिल भारतीय दायित्व भत्ता देना	Grant of All India Liability Allowance to Employees of Defence Accounts Department ...	35—36

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos			

U. S. Q. Nos	विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
6698.	अखिल भारतीय प्रतिरक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों को दायित्व भत्ता (लायेबिलिटी अलाउन्स) देना	All India Liability Allowance to Employees of Defence Accounts Department	...	36
6699.	अखिल भारतीय प्रतिरक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों को दायित्व भत्ता	Grant of All India Liability Allowance to Employees of Defence Accounts Department	...	36—37
6700.	जवानों के परिवारों के लिए कल्याण निधि की स्थापना	Setting up of a Welfare Fund for Families of Jawans	...	37
6701.	सीकिंग हेलीकोप्टर	Seaking Helicopters	...	37
6702.	बम्बई स्थित नौसेना डाकयार्ड के विस्तार की योजना	Expansion Scheme for Naval Dock Yard Bombay	...	37—38
6703.	उद्योगपतियों, थोक व्यापारियों और बैंकरों आदि को दिया गया संस्थागत ऋण	Institutional Credit Given to Industrialists, Wholesale Traders and Bankers	...	38—39
6704.	पाकिस्तान द्वारा कच्छ क्षेत्र में 12 भारतीय गाँवों पर कब्जा करना	Twelve Indian Villages in Kutch recaptured by Pakistan	...	39—40
6705.	मध्य प्रदेश के गाजापुर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नयी शाखायें खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Shajapur District, Madhya Pradesh	...	40
6706.	राजनैतिक दलों को दान देने पर प्रतिबन्ध	Ban on Donations to Political Parties	...	40
6707.	उड़ीसा में जमा धन राशि की अधिकतम सीमा के बारे में राज्यों को केन्द्रीय निदेश	Central Directive to States Re: Ceiling of Bank Deposits	...	40—41
6708.	उड़ीसा में पोलीथीन फोम का उत्पादन	Manufacture of Polyethylene Foam in Orissa	...	41
6709.	बड़े अफसरों और छोटे कर्मचारियों के वेतनमानों में अन्तर को कम करना	Narrowing of gap in pay scales of Higher Officers and Lower Officials	...	41—42
6710.	कम्पनियों की पूंजी निदेश बढ़ाने की अनुमति	Permission to raise Capital by Companies	...	42
6711.	बरौनी (बिहार) स्थित उर्वरक कारखाने में हड़ताल	Strike in Fertiliser Factory at Barauni (Bihar)	...	42
6712.	जापान से सहायता	Aid from Japan	...	43
6713.	औद्योगिक वित्त निगम की शाखाओं की स्थापना	Setting up of Units of Industrial Finance Corporation	...	43
6714.	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग में लायी जा रही मोटर गाड़ियाँ	Motor Vehicles in use in Central Government Offices	...	43—44

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
6715. नेपाल से तस्कर व्यापार	Smuggling from Nepal	...	44
6716. टायरों के वितरण और मूल्य निर्धारण में निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें	Restricitive Trade Practices in Distribution and Price Fixation of Tyres	...	44
6717. जोधपुर (राजस्थान) में पाकिस्तानी लोंग की बोरियां का कथित पकड़ा जाना	Alleged Seizure of Bags of Pakistani Cloves in Jodhpur (Rajasthan)	...	44—45
6718. चौथी योजना में घाटे की अर्थ-व्यवस्था	Deficit Financing during Fourth Plan	...	45
6719. जाली नोट और सिक्के बनाने के मामलों में कमी	Decline in counterfeit Notes and Coins	...	45
6720. दो पालिस्टर फाइबर संयंत्रों का चालू किया जाना	Commissioning of two Polyester Fibre Plants	...	46
6721. भारत में एकाधिकार पूँजी पर प्रतिशत	Curb Monopoly Capital in India	...	46—47
6722. भारत औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बिहार के पिछड़े जिलों को रियायती दर पर धन दिया जाना	Concessional Finance Extended to backward Districts of Bihar by Industrial Development Bank	...	47
6723. अमरीका द्वारा श्री सिन्थेटिक्स लिमिटेड को ऋण दिया जाना	US Loan to Shree Synthetics Ltd.	...	47
6724. दिल्ली में लघु उद्योग स्थापित करने में बेरोजगार सेवा निवृत्त सैनिक अधिकारियों की सहायता करने की योजना	Scheme to Help Unemployed Retired Defence Service Officers to set up Small Scale Industries in Delhi	...	48
6725. नेशनल डिफेंस कालेज को जवाहरलाल विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध करने का प्रस्ताव	Proposal for affiliation of National Defence College to Jawaharlal Nehru University	...	48—49
6726. देश में नेपथा की कमी दूर करने के उपाय	Steps to meet the Shortage of Naphtha in the country	...	49
6727. आवास ऋणों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा मंजूर की गई राशि	Amount sanctioned by Life Insurance Corporation towards Housing Loans	...	49
6728. कोटा में अफीम ले जाती हुई जीपकारों का पकड़ा जाना	Apprehension of Jeeps carrying Opium in Kotah	...	50
6729. खाद्यान्नों के लिए अग्रिम धन राशि देने के संबंध में विशिष्ट ऋण नियंत्रण में रियायत	Relaxation in the Selective Credit Control Relating to Advances	...	50—52
6730. सुरक्षित बचत योजनायें	Protected Savings Scheme	...	52
6731. विभिन्न राज्यों में पर्यटक गृह बनाने का प्रस्ताव	Proposal to Construct Tourist Houses in various States	...	53

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6732.	वित्तीय सहायता के लिये डेन्मार्क से करार	Agreement for Financial Aid from Denmark ...	53
6733.	बिहार स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगपतियों और किसानों के लिए दिये गए ऋण	Loans advanced to Industrialists and Farmers by Nationalised Banks in Bihar ...	53—54
6734.	दानापुर कैंटोनमेंट में पेय जल की कमी	Paucity of Drinking Water in Danapur Cantonment ...	54—55
6735.	दानापुर छावनी में आर्थिक संकट के कारण नागरिक जीवन से संबंधित कार्य रुक जाना	Civic Works held up for want of finance in Danapur Cantonment	55
6736.	दानापुर छावनी में हाई स्कूल की व्यवस्था करना	Provision of a High School in Danapur Cantonment ...	55
6737.	हरियाणा के डब्वाली नामक स्थान पर स्टेट बैंक द्वारा ऋण दिया जाना	Granı of Loans by State Bank at Dabwali in Haryana ...	56
6738.	भारत में औषधियों एवं औषध निर्माता कम्पनियाँ	Drugs and Pharmaecutical Firms in India ...	56
6739.	बम्बई में सोना गलाने के संयंत्र का पकड़ा जाना	Seizure of Plant for melting Gold in Bombay ...	56—57
6740.	नागपुर में उर्वरक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal for setting up Fertilizer Project in Nagpur ...	57
6741.	राकेट और पानी में मार करने वाले हथियारों आदि के विकास के लिए वैज्ञानिक संस्थाओं में उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग	Utilisation of Talent in Scientific Institutions for Development of Rocketry and Under Water Weaponry ...	57—58
6742.	नागपुर में स्थापित किया गया नया पायलेट ट्रेनिंग कालेज	New Training College set up for Pilots in Nagpur ...	58
6743.	भारत से चाँदी का चोरी छिपे बाहर ले जाया जाना	Smuggling of Silver out of India ...	58
6744.	राजस्थान को अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Rajasthan for Famine Affected Areas ...	58—59
6745.	सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को सहायता दिया जाना	Arrears of Income-Tax against top Individual in India	59
6746.	भारत में सबसे अधिक आय कर देने वाले व्यक्तियों के नाम आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-Tax against top individuals in India	59

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6747. राज्यों के बीच मिट्टी के तेल का वितरण	Distribution of Kerosene Oil among States ...	60
6748. बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों में चुने गये अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रत्याशी	S. C. & S. T. Candidates selected in Nationalised Banks in Bihar ...	60
6749. बिहार तथा पश्चिम बंगाल में तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Smugglers in Bihar and West Bengal ...	61—62
6750. छोटा नागपुर और भागलपुर के किसानों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण	Loans advanced by State Bank of India and other Nationalised Banks to Farmers of Chhotangapur and Bhagalpur ...	62
6751. बिहार स्थित बैंकों में घेराव और हड़तालें	Gheraos and Strikes in the Banks in Bihar ...	62
6752. एयर इंडिया एयरलाइंस में विमान परिचारिकाओं की संख्या	Number of Air hostesses in Air India and Indian Airlines ...	62—63
6753. भारत पाक युद्ध में मारे गये सैनिकों के परिवारों के सदस्यों को राज्य सरकारों द्वारा रोजगार देना	Employment by State Government to Families of Armed Personnel killed in Indo-Pak War ...	63
6754. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण	Loans from International Development Association ...	63—64
6755. डाक घर छोटी बचत योजनाओं द्वारा एकत्र धनराशि का विकास कार्यों के लिये नियतन	Deposits under Small Saving Schemes ...	64
6756. आय पर रोजगार उप-कर	Employment Cess on Income ...	64—65
6757. 1971-72 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists who visited India in 1971-72 ...	65
6758. तरल गैस के लिए पात्रों की कमी	Shortage of Containers for liquified gas ...	65—66
6759. भारत आने वाले पर्यटकों के देशों से भारत के लिए विमान किरायों में वृद्धि	Increase in Air Fare to India from various countries from which Tourists come to India ...	66
6760. उत्तर प्रदेश में बेकार इंजीनियरों और भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी सहकारी समितियों को इंडेन गैस की एजेंसियाँ देना	Indane Gas Agencies in Uttar Pradesh to Unemployed Engineers and Ex-servicemen and their Co-operative Societies	67
6761. प्रशासनिक व्यय में किफायत करने के बारे में रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना	Submission of reports on the economy in administrative expenditure	67—68

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
6762. भारतीय उर्वरक निगम के ट्रांबे कारखाने की विस्तार योजना	Expansion Plan of Trombay Unit of Fertilizer Corporation of India ...	68
6763. घरोली गाँव (जम्मू) में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा दो भारतीयों की हत्या और वहाँ से 241 ढोर हाँक कर ले जाना	Killing of two Indians and taking away 241 cattle by Pakistani Soldiers from Ghraoli Village (Jammu) ...	69
6764. भारत में उर्वरक कारखानों के लिए ब्रिटेन से ऋण	Loan from U.K. for Fertiliser Units in India ...	69—70
6765. उपहार चैक योजना	Gift Cheque Scheme ...	70
6766. बिचोलिया एजेंसियों के कारण पर्यटकों की यात्रायें मंहगी पड़ना	Costly travel for tourists due to operation of Intermediate agencies ...	71
6767. कमजोर वर्ग और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये ब्याज की रियायती दर	Concessional rates of interest to weaker sections and Priority sectors ...	71
6768. पेंशन पाने वाले सैनिकों को अन्तरिम राहत	Interim Relief to Military Pensioners ...	71—72
6769. रक्षा उत्पादन को प्रौद्योगिकी प्रधान बनाने का प्रस्ताव	Proposal to make Defence Production Technology-Oriented ...	72
6770. सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों में रोजगार पर लगे कर्मचारियों की संख्या	Number of persons employed in Public Sector Refineries ...	72
6771. इंदौर स्थित स्टील रौलिंग मिलों पर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-Tax against Steel Rolling Mills, Indore ...	73
6772. मध्य प्रदेश में मंदसौर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Mandsaur in Madhya Pradesh as a Tourists Centre ...	73
6773. मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में सिविलयन इंजीनियरों की पदोन्नति के अवसर	Avenues of promotion for Civilian Engineers in MES ...	73—74
6774. संयुक्त रूप से परामर्श देने वाली संख्या के नामों की सूची को अन्तिम रूप देना	Finalisation of list of names for Joint Consultative Machinery ...	74
6775. देवनाथ समिति के प्रतिवेदन का प्रतिरक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव	Case of employees of Defence Establishment adversely affected by Devnath Committee Report ...	74—75
6776. रक्षा उत्पादन बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रस्ताव	Proposal to include Workers Representative in Raksha Utpadan Board	75—76

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

6777. आयुध कारखानों के महा प्रबंधकों का कलकत्ता में सम्मेलन	Conference of General Managers of Ordnance Factories in Calcutta ...	76
6778. मोटर साइकिल, स्कूटर और कारों की खरीद के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों को अग्रिम धन देना	Grant of Advance to Central Government Employees for purchase of Motor cycles, Scooters and Cars ...	76
6779. जनवरी, से अप्रैल, 1972 तक पाकिस्तान द्वारा भारतीय बायु सीमा के उल्लघंन की घटनायें	Violations of Indian Air Space by Pakistan from January to April, 1972 ...	76—77
6780. भारतीय पेट्रो-रसायन निगम	Indian Petro-chemical Corporation ...	77
6781. आयकर की बकाया राशि को बट्टेखाते डाला जाना	Writing off Arrears of Income-Tax ...	78
6782. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माने की व्यवस्था	Imposition of penalties under Income-Tax Act ...	78
6783. मोदी उद्योग समूह पर बकाया आयकर की राशि	Arrears of Income-Tax against Modi Group of Industries ...	79
6784. आयकर के निर्धारण के विचाराधीन मामले	Pending cases of Income-Tax Assessment ...	79
6785. एयर इंडिया द्वारा संचालित तथा प्रबन्धित विदेशी स्टेशनों पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on Foreign Stations operated and Managed by Air India ...	79—81
6786. इंडियन एयर लाइन्स में विमान परिचारिकाओं की नियुक्ति की शर्तें	Terms and Conditions of Appointment of Air Hostesses in Indian Airlines ...	81—82
6787. केरल में आयुध कारखाना स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal for Ordnance Factory in Kerala ...	82
6788. सरकारी विमान में समयोपरि भत्ते के भुगतान के लिए नियम	Rules for Payment of Overtime in Government Departments ...	82—83
6789. भोपाल हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण	Reconstruction of Bhopal Airport ...	83
6790. मध्य प्रदेश में कृषि प्रयोजनों हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मंजूर किये गये ऋण	Loans sanctioned by Nationalised Banks in Madhya Pradesh for Agricultural Purposes ...	83
6791. मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाओं में प्राप्त किया गया धन	Amount received in the Branches of Nationalised Banks in Rural Areas of Madhya Pradesh ...	83—84

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6792. राज्यों में प्रादेशिक परामर्शदात्री समितियों की स्थापना करना	Setting up of Territorial Advisory Committee in States ...	84
6793. भारतीय वायुसेना की तकनीकी शाखाओं में भर्ती अभियान	Recruitment Drive to Technical Branches of Indian Air Force ...	84—85
6794. भारतीय नौसेना की प्रशासनिक विद्युत तथा इंजीनियरिंग शाखाओं में अधिकारियों की कमी	Shortage of Officers in Executive Electrical and Engineering Branches of Indian Navy	85
6795. सैना की लड़ाकू टुकड़ियों में कमी	Overall Deficiency in Fighting Units of Army ...	85—86
6796. इण्डियन एयरलाइन्स विमान चालक की सेवा शर्तों में सुधार करने संबंधी योजना	Plan to Improve the Service Conditions of Pilots in Indian Airlines	86
6797. रात्रि में सस्ती दरों पर जनता हवाई सेवा चालू करने की योजना	Plan for Starting a Janta Air Service at Nights at Cheaper Rates ...	86
6798. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे किसानों को ऋण दिया जाना	Advancing of Loans to Small Farmers for Increasing Agricultural Production ...	87
6799. क्राकरी, कटलरी और शीशे के सामान की टूट-फूट के कारण अशोका होटल को हुई हानि	Loss suffered by Ashoka Hotel due to Breakage of Crockery, Cuttery and glasswares ...	87
6800. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुटीर उद्योगों को ऋण	Advance of Loans by Nationalised Bank to Cottage Industries ...	87—88
6801. भारत और पाकिस्तान को अमरीका से हथियारों की सहायता	US Arms Aid to India and Pakistan ...	88
6802. आसाम में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-Tax in Assam	88
6804. जनवरी, 1971 के बाद से भारतीय वायु सेना की विमानों की दुर्घटनाएँ तथा चालकों को दी गई मुआवजे की राशि	IAF Plane Accidents since January, 1971 and Amount of Compensation paid ...	88—89
6805. तस्करी में अन्तर्ग्रस्त हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध जाँच	Enquiry against Hindi Officer Involved in Smuggling ...	89—90
6806. वित्त मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियों वाली रिपोर्ट	Adverse Reports against Class I Officers in the Ministry of Finance ...	90
6807. वित्त मंत्रालय के किन्हीं अधिकारियों के आचरण के संबंध में जाँच	Investment into the conduct of certain Officers in the Ministry of Finance ...	90—91

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
6808. पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का उल्लघंन	Cease-fire Violations by Pakistan on Western Front	...	91
6809. उतर-प्रदेश टैक्स वसूली अधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिस	Notices issued by Tax Recovery officer, U. P.	...	91—92
6810. इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया के पास अप्रयुक्त खड़े विमानों की संख्या और उनकी किस्म	Number and types of Grounded Aircraft with Indian Airlines and Air India	...	92—93
6811. राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों की प्रबन्धक बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति	Appointment of employees of Nationalised Banks as Directors on the Board of Management	...	93
6812. लद्दाख में सड़कें	Roads in Laddakh	...	93—94
6813. भारत सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे	Foreign Tours by Ministers and Officers of Government of India	...	94
6814. कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Companies Act	...	94—95
6815. जर्मनी से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत को सहायता देने हेतु पश्चिम जर्मनी की पर्यटक एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव	Proposal from West German Tourist Agency to help India in Attracting Tourists from Germany	...	95
6816. वित मंत्रालय में अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्तियां करके भरे गए पद	Posts filled in the Ministry of Finance by appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates	...	95—96
6817. गत तीन वर्षों से पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में अनुसूचित-जन जातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति	Appointment of SC/ST Candidates in the Ministry of Petroleum and Chemicals during last three years	...	96—97
6818. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की विभिन्न वर्गों में पदों पर नियुक्ति	Posts filled in various categories from candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Ministry of Tourism and Civil Aviation	...	97
6819. अकाल पीड़ित व्यक्तियों को राहत कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश की वित्तीय सहायता	Financial assistance to Andhra Pradesh for Famine relief works	...	98

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q Nos.		
6820. केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, नई दिल्ली पर आय कर लगाना	Imposition of Income-tax on Central Government Employees Consumer Society, New Delhi ...	98—99
6822. चाय पर उत्पादन शुल्क की भिन्न दरें	Differential rates of excise duty on Tea ...	99
6823. फोर्ड फाउंडेशन के निमंत्रण पर अमरीका को भेजे गये अधिकारियों द्वारा किया गया अध्ययन	Studies made by Officers sent to USA on invitation from Ford Foundation ...	99
6824. स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधीन कार्य कर रही सहकारी समितियाँ	Co-operative Societies functioning under the State Bank of India ...	99—100
6825. इंडियन एयरलाइन्स के विमानों में मच्छर और मक्खी होने के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Mosquitoes and flies inside Indian Airlines Planes ...	100
6827. सामान्य बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद मूल्यों में वृद्धि	Price increase after presentation of General Budget ...	100
6828. बम्बई में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income-Tax Authorities in Bombay ...	100—102
6829. हिन्डन हवाई अड्डे के समीप भारतीय वायु सेना के दो विमानों की टक्कर	Collision of two IAF Planes near Hindon Airport ...	102
6830. राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंतरिम निदेशक मण्डल के नामांकन के लिए अपनाई गई कसौटी	Criteria adopted for nominating Interim Board of Directors of Nationalised Banks ...	102
6831. इंडियन एयरलाइंस के अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्य-पद्धति का अपनाया जाना	Work to Rule resorted to by the Indian Airlines Officers ...	103
6832. राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा उद्योगों तथा परिवहन के लिये दिया गया ऋण	Loans given to industries and transport in Kerala by Nationalised Banks ...	103
6833. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इंजीनियरिंग तथा मैडिकल स्नातकों को दिये गये ऋण	Loans granted by Nationalised Banks to Engineering and Medical Graduates ...	104
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to the matter of Urgent Public Importanc—	
शोधकार्य कर रहे अमरीकियों द्वारा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सी० आई० ए० की गतिविधियों के समाचार	Reported CIA activities in the Border districts of Rajasthan by American Research Scholar ...	104—107

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi ...	104—105
श्री कृष्ण चन्द पन्त	Shri K. C. Pant ...	104—106
स्थगन प्रस्ताव—प्रस्तुत करने की सहमति रोक ली गई	Motion for Adjournment-Consent to move withheld—	
कलकत्ते के एक व्यापार गृह द्वारा सत्तारूढ़ कांग्रेस को चुनाव अभियान के लिए दान में दी गई कथित धनराशि	Alleged donation of Funds by a Calcutta Business House to Ruling Congress for Election Campaign ...	107—109
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table ...	109—110
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha ...	111
सभा का कार्य	Business of the House ...	111
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
बारहवाँ प्रतिवेदन	Twelfth Report	112
राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के बारे में	Re. National Fitness Corps	113
समाचार पत्र (कीमत नियंत्रण) विधेयक	Newspapers (Price Control) Bill—	
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति का प्रस्ताव	Motion to agree to Rajya Sabha Amendments ...	113—114
अनुदानों की माँगें (रेलवे) 1972-73	Demands for Grants (Railways), 1972-73 ...	114—122
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik ...	115—116
श्री आर० पी० उलगन्मबी	Shri R. P. Ulaganambi ...	116—117
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy ...	117—118
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda ...	118—119
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Modh. Shafi Qureshi ...	119—120
श्री सुरेन्द महन्ती	Shri Surendra Mohanty	120—122
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Members Bill and Resolution—	
चौदहवाँ प्रतिवेदन	Fourteenth Report ...	122
मुख्य औद्योगिक गृहों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प-अस्वीकृत	Resolution Re. Nationalisation of Leading Industrial Houses-Negatived ...	122—133
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur ...	122—123
डा० कैलाश	Dr. Kailash ...	123—124
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana ...	124—125
श्री सईद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga ...	125
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan ...	125—126
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai ...	126—127

विषय	Subject		पृष्ठ/Pagse
श्री वसन्त राव पुरुषोत्तम साठे	Shri Vasant Rao Pursho-ttam Sathe	...	127
श्री श्यामसुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	...	127—128
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	...	128
श्री मोइनुल हक चौधरी	Shri Moinul Haque Choudhury	...	128—131
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	...	131—132
प्रति व्यक्ति आय के बारे में संकल्प	Resolution Re. per Capita Income	...	133—134
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	...	133—134
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai	...	134

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 19 मई, 1972/29 वैशाख, 1894 (शक)
Tuesday, May 19, 1972/Vaisakha 29, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों द्वारा छोटी बचत योजनाओं में पूंजीनिवेश

*901. **श्री राजदेव सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा कृषि की दृष्टि से विकसित राज्यों में, छोटी बचतों का एक नया उदाहरण सामने आ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन राज्यों में डाक घर बचत-पत्र योजना अधिक लोक प्रिय हुई है अथवा डाकघर बचत बैंक योजना ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). अल्प बचत योजनाओं में, डाकघर बचत-पत्रों और डाकघर बचत बैंक के अलावा बढ़ने वाली डाकघर जमा योजना और बढ़ने वाली सावधि जमा/आवर्ती जमा योजनाएं शामिल हैं। पिछले चार वर्षों में इन चार योजनाओं के अन्तर्गत हुई बिक्री के राज्यवार आँकड़ों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। जहाँ तक डाकघर बचत-पत्रों और बढ़ने वाली सावधि जमा/आवर्ती जमा योजनाओं का संबंध है, औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राज्यों (जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, और तमिलनाडु) और अन्य राज्यों के बीच निवेश के ढांचे में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है। लेकिन, औद्योगिक दृष्टि से उन्नत उपर्युक्त राज्यों में 1971-72 को समाप्त होने वाली चार वर्ष

की अवधि में डाकघर बचत बैंक में किये जाने वाले निवेश में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि अन्य राज्यों में इसी अवधि में डाकघर बचत बैंक में जमा राशियों में लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जहाँ तक डाकघर मियादी जमा राशियों का संबंध है, यद्यपि कृषि-प्रधान राज्यों में औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राज्यों की तुलना में 1970-71 की अपेक्षा 1971-72 में हुए संग्रह में वृद्धि का प्रतिशत कहीं अधिक है लेकिन अभी इतनी जल्दी यह नहीं कहा जा सकता कि आँकड़ों से यह प्रकट होता है कि इन दो क्षेत्रों में निवेश के ढाँचे में कोई अन्तर है, क्योंकि इस योजना को शुरू हुए अभी केवल दो वर्ष हुए हैं।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

जमा राशियाँ (ब्याज छोड़ कर सकल राशि) सकल बिक्री

राज्य का नाम	डाक घर बचत बैंक				बचत पत्र			
	68-69	69-70	70-71	71-72	68-69	69-70	70-71	71-72
1. आन्ध्र प्रदेश	28·15	21·14	25·12	23·45	2·24	2·87	2·52	1·83
2. असम	11·93	13·20	14·67	13·71*	2·31	2·57	6·00	6·66
3. बिहार	40·12	46.79	43·69	55·92	5·70	7·36	5·45	7·51
4. दिल्ली	15·34	15·92	17·35	18·35	4·46	6·55	6·74	4·47
5. गुजरात	19·16	19·41	25·78	22·03	5·98	6·71	7·15	6·29
6. हिमाचल प्रदेश	4·45	5·02	6·47	6·50	0 33	0·31	0·30	0·38
7. जम्मू और कश्मीर	4·15	3·96	4·10	4·45	0·49	0·42	0·65	0·44
8. केरल	13 98	15·95	18·01	18·29	1·40	1·31	1·16	0·69
9. तमिलनाडु	26·14	28·06	30·45	34·25	7·19	7·03	2 87	3·26
10. मध्य प्रदेश	15·14	16·66	19·12	19·88	3·55	3·47	2·68	1·34
11. महाराष्ट्र	49·62	52·29	48·42	50·39	18·01	16·25	13·21	24·20
12. मैसूर	8·40	9·38	10·65	11.48	5·12	3·81	3 35	4·21
13. उड़ीसा	11·76	12 60	15·49	18·13	2·09	0·92	0·53	0·64
14. पंजाब	31·08	34·75	41·46	42·96	3·93	4·67	3·96	3·95
15. राजस्थान	7·91	8·33	10·03	11·18	1·50	1·50	1·20	0·85
16. उत्तर प्रदेश	89·43	93·71	99·46	111·83	9·33	11·05	9·22	10·41
17. पश्चिम बंगाल	46·49	53·82	52·56	51·34*	15·15	16·32	12·38	18·21
18. हरियाणा	18·06	22·56	51·06	42·99	1·85	2·21	1·63	1·01
19. अखिल भारत†	439.28	480·11	541·00	562·20	93·02	96·07	81·82	96·84

राज्य का नाम	जमा राशियाँ (सकल राशि) डाक घर सावधि जमा 70-71	71-72	(करोड़ रुपयों में) सकल बिक्री बढ़ने वाली सावधिक जमा/आवर्तक जमा 68-69	69-70	70-71	71-72
1. आन्ध्र प्रदेश	0·66	2·08	1·27	1·51	1·91	2·24
2. असम	0·10	0·63*	0·45	0·56	0·89	0·98
3. बिहार	2·44	11·61	1·74	1·99	2·66	3·61
4. दिल्ली	1·59	3·59	0·72	0·93	1·17	1·41
5. गुजरात	4·20	7·50	1·40	1·82	2·24	2·79
6. हिमाचल प्रदेश	0·10	0·62	0·45	0·42	0·50	0·70
7. जम्मू और कश्मीर	0·11	0·78	0·16	0·16	0·18	0·23
8. केरल	0·80	1·99	1·16	1·33	1·72	1·50
9. तमिलनाडु	2·85	7·17	3·76	4.21	5·00	5·73
10. मध्य प्रदेश	2·93	4·87	1·90	2·26	2·78	3·32
11. महाराष्ट्र	38·33	60·69	4·25	5·15	6·05	8·11
12. मैसूर	4·20	5·92	1·07	1·29	1·56	1·88
13. उड़ीसा	1·38	2·37	0·59	0·68	0·96	1·24
14. पंजाब	1·10	2·98	1·09	1·36	1·50	1·69
15. राजस्थान	1·09	2·12	0·88	1·07	1·41	1·65
16. उत्तर प्रदेश	2·97	9·41	3·60	3·97	4·66	5·72
17. पश्चिम बंगाल	7·36	15·47	1·78	2·31	2·82	3·34
18. हरियाणा	1·29	2·47	1·33	1·45	1·54	1·74
19. अखिल भारत†	73·62	142·71	27·92	32·94	40·15	48·52

†अखिल भारत के जोड़ में गोआ, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और चण्डीगढ़ के आँकड़े शामिल हैं।

*केवल फरवरी, 1972 तक।

श्री राजदेव सिंह : दोनों योजनाओं में से कौनसी योजना अधिक आकर्षक है और ग्रामीण जनता को पसन्द है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : दोनों योजनायें ग्रामीण जनता में लोकप्रिय हैं। परन्तु बचत बैंक अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि यह काफी समय से चालू है और इसका यह कारण भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बचत बैंक हैं, जिनसे इन्हें संचालित किया जा सकता है।

श्री राजदेव सिंह : क्या ग्रामीण ऋणग्रस्तता पर इनका कोई असर पड़ता है और यदि हाँ, तो कितना ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जी, हाँ; इससे ग्रामीण ऋणग्रस्तता को कम करने में सहायता मिली है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से लोग कुछ धनराशि बचा सकते हैं और जब भी धन की जरूरत होती है, उस बचत राशि से सदैव सहायता मिलती है और उन्हें भारी ब्याज दरें वसूल करने वाले महाजनों का आश्रय नहीं लेना पड़ता ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I would like to know the percentage of savings and percentage of debts incurred during the last three years. May I know whether Government have formulated any scheme or programme to give incentives to the people to save more so that they might be free from debt and become self-sufficient and may not have to take loans ?

Shrimati Sushila Rohtagi : This question is directly concerned with the savings. Saving figures have been showing a rise for the last few years. Net collections through out the country for the first, second and third year of the Fourth Five Year Plan were Rs. 127 crores, Rs. 197 crores and Rs. 220 crores respectively. This shows that savings have been increasing steadily. In this connection, many steps have been taken. It is obvious from this that savings are on the increase in the whole rural sector as well as urban sector.

श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे : मैं यह जानना चाहता हूँ कि अभी भी कितना प्रतिशत ऋण गैर-सरकारी साधनों से और कितना प्रतिशत ऋण वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह काफी व्यापक प्रश्न है । अगर आप उत्तर दे सकते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : इस बारे में प्रतिशत-अनुपात बताना बहुत कठिन है, मगर अभी भी काफी प्रतिशत ऋण गैर-सरकारी स्रोतों से प्राप्त किया जाता है । कृषि संबंधी ऋण के बारे में मुख्य कठिनाई यह है कि यह संस्थागत ऋण के रूप में नहीं आ रहा । कुछ क्षेत्रों में, सहकारी संस्थायें यह कार्य कर रही हैं । इस समय इस कार्य को वाणिज्यिक बैंकों ने भी प्रारम्भ कर दिया है । मगर खेद की बात है कि कृषि क्षेत्र अब भी गैर-सरकारी स्रोत पर आश्रित है ।

श्री आर० वी० बड़े : आवधिक जमा पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज और डाकघर बचत बैंक द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की दर में कुछ अन्तर है । क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि डाकघर बचत बैंक द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की दर में वृद्धि कर दी जाए ताकि उसे बढ़ावा मिले ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : चारों योजनाओं की ब्याज दरों में अन्तर है । सावधिक जमा लेखा में ब्याज की दर 6 से $7\frac{1}{4}$ प्रतिशत है । संचयी सावधिक जमा योजना में ब्याज की दर 4·8 से 5 प्रतिशत के बीच है । आवर्ती जमा लेखाओं में यह दर $6\frac{3}{4}$ प्रतिशत है । लोक भविष्य निधि में यह दर लगभग 5 प्रतिशत है । बचत बैंक में यह 4 से $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत के बीच है ।

श्री आर० वी० बड़े : बैंकों में यह काफी अधिक है ।

अध्यक्ष महोदय : राय व्यक्त करने का कोई प्रश्न नहीं । आप प्रश्न पूछिये । अगला प्रश्न ।

Violation of Indian Air Space by Pakistani Helicopter in Kashmir

*902 **Shri Chandulal Chandrakar :**
Shri Prasannbhai Mehta :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether, as reported in the 'Hindustan Times' dated the 23rd April, 1972, a Pakistani helicopter violated the Indian air space in Kashmir Sector and gathered information about the Indian Training Centres;

(b) whether Pakistan camouflaged her Helicopter as a U. N. Helecopter to escape detection by the Indian authorities; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minster of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) On 16th March, 1972, a Pakistani helicopter violated Indian air space for nearly five minutes south west of Jammu. There are no training centres in this area.

(b) No, Sir.

(c) Our security Forces continue to be vigilant and all violations are being dealt with suitably.

Shri Chandulal Chandrakar : May I know whether such an incident had also accured in the past i.e. whether Pakistani planes had violated our air space in the past also ?

Shri Vidya Charan Shukla : If the honourable Member wants to know the number of such incidents after 17th of December, the information is as follows : This is the only incident in Jammu and Kashmir area, but there were four such incidents each in Punjab and Rajasthan.

Shri Chandulal Chandrakar : May I know whether Government has issued instructions to the effect that intruding Pakistani planes should be sot down ?

Shri Vidya Charan Sukla : Yes, Sir. There are such instructions.

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि क्या पाकिस्तान ने धोखा देने के लिए अपने हेलीकोप्टर पर सफ़ेद रंग की पुताई कर ली थी जिससे उसे राष्ट्र संघ का हेलीकोप्टर समझा जा सके और यदि हाँ, तो इस प्रकार की जासूसी गतिविधियों और वायु सीमा के उल्लंघनों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : वायु सीमा के उल्लंघनों को रोकने के लिए सामान्य सावधानियाँ बरती जा रही हैं । जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारे स्थल सेना के कर्मचारियों को इस समय यह आदेश हैं कि वायु सीमा के उल्लंघनों को ही न रोका जाय, बल्कि अगर कोई विमान हमारी सीमा का अतिक्रमण करता है, तो उसे मार गिराया जाय । जो आदेश दिए गए हैं उनके बारे में

कोई अस्पष्टता नहीं है। परन्तु जो व्यक्ति इस कार्य में संलग्न हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारी वायु-सीमा का अतिक्रमण किया गया है। अगर इस बारे में उन्हें कोई संदेह नहीं है, तो अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्यवाही करने के लिए उन पर कोई पाबन्दी नहीं है। जहाँ तक इस विशेष घटना का संबंध है, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है कि जिस स्थान पर हेलीकोप्टर ने हमारी वायु सीमा का उल्लंघन किया, वहाँ कोई प्रशिक्षण केन्द्र अथवा इस प्रकार का अन्य कोई केन्द्र नहीं है। इसलिए, हम नहीं समझते कि यह वायु सीमा-उल्लंघन की घटना किसी प्रकार की जासूसी उड़ान अथवा अन्य इसी प्रकार की किसी घटना से संबंधित थी।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : राष्ट्र संघ के विमानों के रूप में उनके उड़ान करने के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में इसका खण्डन किया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know depth of the air space violation by the helicopter involved in this incident and whether the hon'ble Minister would also furnish the similar information with regard to the air violations in Punjab and Rajasthan ?

Shri Vidya Charan Sukla : Yes Sir. Information regarding nine other violations is not readily available, but it would be placed on the table of the House as soon as it is collected. This helicopter had intruded 100 yards into our air space and not more. I would place all relevant information on the table of the House as soon as it is collected.

Shri Sankar Dayal Singh : I would like to know whether Government thinks that intrusions by helicopter or plane is a prelude to prepratious for another war by pakistan ?

Shri Vidya Charan Sukla : Such a presumption has to be made from many factors. Such a presumption should not be made from one incident only and such air violations take place even in normal times also. I therefore, think that it would not be proper to derive such a conclusion from this stray incident.

मध्य प्रदेश के कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक का अनुदान

*903. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कृषि विकास कार्यक्रयों के लिये विश्व बैंक से अनुदान देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में हाल में किसी सर्वेक्षण दल ने दौरा किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता के लिए मध्य प्रदेश में एक कृषि ऋण परियोजना का प्रस्ताव दिया है जिसके अन्तर्गत भूमि को समतल बनाने, छोटे पैमाने पर सिंचाई और फारम यंत्रीकरण का काम शामिल है।

(ख) परियोजना की तकनीकी और आर्थिक सम्भाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए विश्व बैंक का एक शिष्टमण्डल मार्च, 1972 में मध्य प्रदेश गया था।

(ग) शिष्टमण्डल की रिपोर्ट, प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए, यथासमय विश्व बैंक के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायगी। इस बीच, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को, जो परियोजना के अन्तर्गत ऋण देने के मुख्य माध्यम होंगे, सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री रणबहादुर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि कि विश्व बैंक से यह विशेष सहायता राज्य को कब जारी की जायगी?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जब वे इस बारे में अन्तिम कार्यवाही कर लेंगे।

श्री रणबहादुर सिंह : क्या वह बता सकेंगे कि इस बारे में कब तक अन्तिम कार्यवाही कर ली जायगी?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : तारीखें बताने का यह प्रश्न जरा मुश्किल है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से ऋण विभिन्न सरकारों के अंशदानों पर निर्भर करते हैं। यद्यपि विभिन्न सरकारें संघ की बैठक में अपने अंशदानों के बारे में निश्चित रूप से सूचना देती हैं परन्तु अन्तिम निर्णय का पता तो तभी चलता है जब उनकी सम्बद्ध संसदें उस बारे में स्वीकृति दे देती हैं। इसलिए, किसी विशिष्ट अवधि की दृष्टि से सोचना बहुत कठिन है।

पाक अधिकृत कश्मीर में 'स्वयं सेवक सेना' गठित करने के लिए 'लामबन्दी कार्यक्रम'

+

*905. **श्री वी० मायावन** :
श्री किशन मोदी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुजफ्फराबाद से प्रेषित 'डेली टेलीग्राफ' लन्दन की (25 अप्रैल, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित) इस खबर की ओर दिलाया गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर में 'लामबन्दी कार्यक्रम' शुरू कर दिया गया है और 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु के 2,00,000 से अधिक व्यक्तियों को 'स्वयं सेवक सेना' में भर्ती किया गया है और उन्हें प्रारम्भिक सैन्य प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ।

(ख) हमारी रक्षा तैयारियों का पुनरीक्षण करते समय पाकिस्तान में होने वाले ऐसे सभी विकासों को ध्यान में लिया जाता है।

श्री वी० मायावन : मन्त्री महोदय का उत्तर काफी गोपनीय है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान द्वारा संगठित 2 लाख व्यक्तियों की स्वयं सेवक सेना का मुकाबला करने के लिए क्या ठोस उपाय किये गये हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे विचार में ऐसी गतिविधियों का प्रतिरोध करने के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं, उसकी व्यापक जानकारी देना लोकहित में नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : आपने स्वयं कहा कि यह काफी गोपनीय है।

श्री एस० एम० बनर्जी : एक इस आशय का समाचार था कि पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह किया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस बारे में वास्तविकता क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से क्या संबंध है ? मैं इसकी अनुमति नहीं देता। आप अलग प्रश्न पूछिये। यह बहुत असंबद्ध पूरक प्रश्न है।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप कृपया प्रश्न को पढ़िए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पढ़ लिया है। इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नही है।

श्री एस० एम० बनर्जी : पाक अधिकृत कश्मीर में जनता पाकिस्तानी अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनके पास इस बारे में जानकारी है अथवा नहीं। यह पूर्णतया संगत प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह संगत प्रश्न नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप पाकिस्तान की वकालत क्यों कर रहे हैं ? अगर वहाँ कोई घटना हो रही है, अगर वहाँ की जनता पाकिस्तानी अधिकारियों के प्रति विद्रोह कर रही है तो मैं उस बारे में जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह संगत प्रश्न नहीं है; वकालत करने का कोई प्रश्न ही नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी : जानकारी कौन देगा ? पाकिस्तान सरकार से तो मैं पूछ नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय : आप अलग प्रश्न पूछिये और मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। आप इतने अच्छे आदमी हैं, मगर कभी-कभी आप बहुत जिद्दी हो जाते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं आपके लिए अच्छा आदमी हूँ, मगर पाक-अधिकृत कश्मीर की जनता के लिए नहीं।

श्री समर गुह : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि स्वयं सेवकों के रूप में पाक अधिकृत कश्मीर में जो छापामार सेना गठित की गई है, क्या वह पाकिस्तानी प्रतिरक्षा सेनाओं के नियन्त्रण में है; दूसरी बात यह है कि क्या चीनी विशेषज्ञ उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं और तीसरी बात यह कि क्या कश्मीर में युद्ध बन्दी रेखा के बढ़ते हुए अभी हाल के उल्लंघनों का पाक-अधिकृत कश्मीर में इस स्वयं सेवक सेना के गठन से कोई संबंध है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहाँ तक पाक-अधिकृत कश्मीर का संबंध है, वे पाकिस्तान से अलग होने का दिखावा करते हैं। ऐसा समझा जाता है कि यह सेना पाक-अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति के अधीन है। जैसा कि सदन को विदित है उन्होंने अलमुजाहिद और अल-बकर जैसी कुछ सेनाओं का गठन किया है और उन्हें जासूनी, घुसपैठिये आदि जैसी तोड़-फोड़ की विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया है। परन्तु जहाँ तक उन सीमा-उल्लंघनों का संबंध है जिनके बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वे नियमित पाकिस्तानी सैन्य एककों द्वारा किये जाते रहे हैं। इस समय मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इस प्रकार के सीमा उल्लंघनों में पाकिस्तान के अर्ध-सैनिक संगठनों ने भाग लिया हो।

श्री समर गुह : क्या चीनी विशेषज्ञ उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इसके लिए आपको अलग से प्रश्न पूछना होगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : With regard to the Pak occupied Kashmir the Hon'ble Minister has stated that we are vigilant and taking all necessary steps and that it would not be in the public interest to disclose beyond that. I would like to know whether the same policy is being pursued for the land forcibly occupied by China and how long would it take to retrieve the same ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है।

कलकत्ता और ढाका के बीच विमान सेवा के किराये में कमी

*907. **श्री एम० एम० जोज़फ** :
श्री निहार लास्कर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बंगला देश विमान' ने इण्डियन एयरलाइन्स से अनुरोध किया था कि कलकत्ता और ढाका के बीच दोनों एयरलाइनों द्वारा विमान किराया कम करने के लिये इन्टरनेशनल एयर ट्रेवल ऐसोसिएशन को संयुक्त अभ्यावेदन भेजा जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Sarjoo Pandey : In view of the fact that Bangladesh is a newly born nation and many a people specially poor people, from India want to visit that country. Will the Hon. Minister consider reducing air fare ?

Mr. Speaker : If he can do it the question of his trying does not arise.

Shri Sarjoo Pandey : If he can, he must do it.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विषय से असम्बद्ध है। मुझे खेद है कि यह प्रश्न के विषय-क्षेत्र में नहीं आता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इण्डियन एयरलाइन्स के दयनीय कार्य निष्पादन के विषय में मुझ से अधिक जानते हैं। श्रीमन्, कई बार आपको भी कठिनाइयाँ हुई हैं। उनकी कमियों को छुपाने की कोशिश करने से क्या लाभ है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में आन्तरिक विमान किरायों की अपेक्षा बंगला देश में विमान किराया कम है ?

डा० कर्ण सिंह : जहाँ तक बंगला देश और भारत के बीच विमान किराये का प्रश्न है इस मार्ग के लिए इण्डियन एयर लाइन्स तथा बंगला देश विमान दोनों के द्वारा ही 112 रुपये किराया लिया जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न यह था कि क्या बंगला देश में, अपने देश में यात्रा के लिए, इण्डियन एयर लाइन्स की अपेक्षा एक जैसी दूरी के लिए बहुत कम किराया लिया जाता है ? इण्डियन एयर लाइन्स का कार्य-निष्पादन बहुत ही दयनीय है।

डा० कर्ण सिंह : यह मूल प्रश्न से बिल्कुल भिन्न प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न विमान किराये में कमी करने के लिए इन्टरनेशनल एयर ट्रेवल ऐसोसिएशन को संयुक्त अभ्यावेदन भेजने के संबंध में था। जब दोनों देशों के तुलनात्मक आँकड़ों का कोई अन्य प्रश्न आता है, तब माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री आर० बालकृष्ण पिलै : क्या इण्डियन एयरलाइन्स का किराया कम करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से किस प्रकार संबद्ध है ? अगला प्रश्न।

मुद्रा स्फीति न बढ़ाने वाले संसाधनों का जुटाया जाना

*908. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना का वित्त-पोषण करने के लिये मुद्रा स्फीति न बढ़ाने वाले संसाधनों को जुटाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : चौथी पंचवर्षीय योजना को वित्त पोषित करने के लिए गैर-मुद्रा स्फीतिकारी साधनों को जुटाने के लिए उठाये गये कदमों में ये शामिल हैं—केन्द्र और राज्यों द्वारा अतिरिक्त साधनों का जुटाया जाना, कर-प्राप्तियों और कर-भिन्न प्राप्तियों के संग्रह में सुधार, आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत, गैर-सरकारी बचतों को प्रोत्साहन और सरकारी क्षेत्र की आयोजना के वित्त-पोषण के लिए ऐसी बचतों से अपेक्षाकृत अधिक निकासियाँ।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या योजना आयोग ने अपने मध्यावधि मूल्यांकन में यह बताया है कि चौथी योजना के वित्तीय-पोषण हेतु मुद्रा स्फीति न बढ़ाने वाले संसधान जुटाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अधिष्ठापित क्षमता का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित कराया जाये ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : यह ठीक है, हमने देश में बेकार पड़ी क्षमता को उपयोग में लाने तथा उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया है जिससे यह भार निरन्तर न बना रहे और योजना कार्यों के लिए मुद्रा स्फीति न बढ़ाने वाले संसाधन उपलब्ध हो सकें।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या यह सच है कि वित्त मंत्री द्वारा बताये गये प्रत्यक्ष विनियमित उपायों के अतिरिक्त भी योजना आयोग ने कहा है कि वित्तीय योजनायें तब तक सफल नहीं हो सकतीं जब तक कि अधिष्ठापित क्षमता का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित नहीं कराया जाता।

श्री मोहन धारिया : मैं बता चुका हूँ कि मध्यावधि मूल्यांकन से भी इसी बात की पुष्टि होती है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या राज्य सरकारों द्वारा जुटाये जाने वाले संसाधनों के संबंध में सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि राज्यों में किया जाने वाला योजनेतर व्यय तथा उन्हें दिये जाने वाले अत्यधिक ओवरड्राफ्टस राज्य सरकार के संसाधन जुटाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं ? यदि ऐसा है तो क्या संसाधन जुटाने के लिये राज्य सरकारों ने कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं ?

श्री मोहन धारिया : राज्य सरकारों द्वारा जमा राशि से अधिक धन निकाला जाना एक चिन्ता का विषय है और इसीलिए इस वर्ष योजना बनाते समय हमने मुख्य-मंत्रियों से बात-चीत की थी और इस बात पर बल दिया कि ओवरड्राफ्ट्स की राशि कम की जाये और सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस वर्ष से ओवरड्राफ्टस की अनुमति नहीं दी जायेगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारें निश्चित कार्यक्रम के अनुसार संसाधन नहीं जुटा सकीं। इस ओर भी हम योजनेतर व्यय को कम करने सहित वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : योजनेतर व्यय के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : आपके पास किस प्रकार की व्यवस्था है ?

श्री बसंत साठे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अच्छे ढंग से संसाधन जुटाने के लिए व्यय संबंधी कर की कोई विस्तृत योजना आरम्भ कर रही है ?

श्री यशवतंराव चह्वाण : बजट के लिए निर्धारित समय पूरा हो चुका है······यह कार्य रूप देने के लिए एक सुझावमात्र है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : सम्भवतया अगले बजट के लिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अगले वर्ष प्रश्न पूछ सकते हैं।

कार्डाइट फैंटरी, अरुवनकाडु का आधुनिकीकरण

*910. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरुवनकाडु स्थित 70 वर्ष पुरानी कार्डाइट फैक्टरी का आधुनिकीकरण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो आधुनिकीकरण से संबंधित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). जी हाँ। सरकार ने अरुवनकाडु स्थित कार्डाइट फैक्टरी के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 7·9 करोड़ रुपये की लागत से तीन योजनाएं मंजूर की हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान पुरानी मशीनों को आधुनिक मशीनों से बदलना है। इन योजनाओं में नयी प्रेसें, कटिंग मशीनें, कार्यशालाएं स्थापित करना तथा आधुनिक प्रक्रियाओं पर बदलने के लिए और आधुनिकीकरण का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं स्थापित करना है।

पुरानी मशीनों को बदलने की योजनाएं दो चरणों में 1975 तथा 1977 के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए विनाइट्रो-सैल्यूलोज हमारी सेना, नौसेना तथा वायुसेना के लिए आधुनिक प्रकार की गोला-बारूद तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है तो क्या युद्ध के भय का सामना करने के लिए देश में दूसरा कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है हम मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट गोला बारूद तथा तेज विस्फोटकों का कारखाना स्थापित कर रहे हैं परन्तु जहाँ नाइट्रो सैल्यूलोज के उत्पादन के संबंध हैं, इस आधुनिकीकरण से हम इस महत्वपूर्ण उत्पादन की माँग को बहुत कुछ पूरा कर सकेंगे। वास्तव में माँग पूरी की जा रही है, आधुनिकीकरण से हमारा उत्पादन बढ़ेगा और इटारसी में गोला-बारूद के नये कारखाने होने से हम अपनी सभी माँगों की पूर्ति कर सकेंगे।

श्री पी० गंगादेव : मैं यह और जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने देश में विद्यमान प्रतिरक्षोन्मुख उद्योगों के आधुनिकीकरण में शेष रही कमियों का सर्वेक्षण कराया है, और यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : आपने विभिन्न उत्पादन एककों के आधुनिकीकरण के विषय में प्रश्न पूछा है। क्या मैं इसका एक सामान्य उत्तर दे सकता हूँ ? हम इस संबंध में समय-समय पर विचार करते हैं और जब भी हम इनका आधुनीकीकरण करना आवश्यक समझते हैं, तब निश्चय ही आधुनिकीकरण किया जाता है। आधुनिकीकरण संबंधी बहुत सी योजनाओं को कार्यरूप दिया जाना है। उनमें से कुछ को तो निकट भविष्य में ही स्वीकृति दी जा रही है।

श्री पी० गंगादेव : क्या मैं जान सकता हूँ · · · ·

अध्यक्ष महोदय : आप स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकते हैं, तीसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते। मुझे खेद है।

श्री पी० गंगादेव : मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ · · · ·

अध्यक्ष महोदय : यह पहले प्रश्न का ही भाग होना चाहिए · · ·

श्री पी० गंगादेव : संयंत्रों के आधुनिकीकरण में विदेशी मूद्रा में कितनी लागत आयेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस संबंध में सूचना मेरे पास उपलब्ध है, मैं आँकड़े दे सकता हूँ। आधुनिकीकरण संयंत्र फ्रांस से मंगाया जायेगा और इसमें 10,30,000 फ्रैंक्स की लागत आयेगी। यह लागत विदेशी उपकरणों के लिए है। इसके अतिरिक्त भारतीय मुद्रा में व्यय होगा। यदि और कोई जानकारी होगी, यदि आप नोटिस देते हैं तो मैं उसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दूँगा।

औषधियों के आयात को घटाने और आयुर्वैदिक औषधियों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव

*913. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके अनुसार देश में औषधियों के आयात को घटाया और आयुर्वैदिक औषधियों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). औषधियों के आयात को धीरे-धीरे घटाना और अन्ततः इसे समाप्त करना और जहाँ-जहाँ व्यवहार्य हो, देशी कच्चे माल से मूल औषधियों तथा बीच के पदार्थों का उत्पादन करने के लिए औषध एवं भेषज उद्योग की यथासंभव सहायता करने की व्यवस्था करना सरकार की स्वीकृत नीति है। इसी प्रकार, देश में आयुर्वैदिक औषधियों सहित औषधियों की सभी पद्यतियों के विकास करने के लिए भी सरकार उत्सुक है। भारतीय औषधियों तथा होम्योपैथी पर अनुसंधान करने के लिए नियुक्त केन्द्रीय परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ आयातित उत्पादों के स्थान पर प्रयोग किए जाने के लिए पृथक-देशीय उत्पाद ढूँढने की दृष्टि से अनुसंधान कार्यक्रम अपनाया है।

श्री पम्पन गौडा : गत दो वर्ष की अवधि में इनके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी की गई है ?

श्री एच० आर० गोखले : मुझे समझ नहीं आया।

श्री पम्पन गौडा : धीरे-धीरे कितने प्रतिशत कमी की गई है ? गत दो वर्षों में इनके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी की गई है ?

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य गत चार वर्षों के आँकड़े देखें तो उन्हें इस जानकारी से प्रसन्नता होगी। स्वदेशी उत्पादन वर्ष 1968 के 200 करोड़ से वर्ष 1969 में 225 करोड़ रुपये का हुआ, वर्ष 1970 में 265 करोड़ रुपये का तथा वर्ष 1971 में 300 करोड़ रुपये का। स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि हुई है। आयात में भी कमी हुई है परन्तु यह स्वदेशी उत्पादन वृद्धि की तुलना में कम है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister has indicated in his reply thal the Government is planning to encourage the use of Ayurvedic medicines. May I know whether there is a separate allocation for this purpose ? In view of the fact that Ayurvedic laborataries are in miserable condition making it difficult to work there. Have the Government any plan to provide economic assistance to them ?

श्री एच० आर० गोखले : औषधियों की स्वदेशी पद्धतियों, आयुर्वेदिक जैसी पद्धति, के लिए देश में बहुत बड़ी क्षमता विद्यमान है। इस प्रश्न को भारतीय औषधि केन्द्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा हल किया जा रहा है। उन्होंने अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है और सरकार ने उन्हें वित्तीय सहायता तथा सभी प्रकार की आवश्यक सहायता दी है।

Shri Hukam Chand Kachwai : What is the amount allocated for the purpose ?

Mr. Speaker : You should be relevant.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, they do not encourage the use of Ayurvedic medicines.

Mr. Speaker : You, Please sit down.

Dr. Laxminarain Pandey : In view of the fact that recently large quantities of antibiotics sulpha drugs and harmone drugs had been imported, may I know why the production of such like medicines is not taking place in the needed quantity ?

श्री एच० आर० गोखले : सल्फा ड्रग्ज और एन्टीबायटिक्स औषधियों के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं। जैसाकि माननीय सदस्य जानते ही हैं सरकारी क्षेत्र की दो परियोजनाओं द्वारा यह कार्य काफी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि आयुर्वैदिक औषधियों के उत्पादन में वृद्धि तभी हो सकती है, जब सरकार स्वयं इस कार्य की ओर ध्यान दे। अतः मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आयुर्वैदिक औषधियों में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को आबंटित राशियाँ बहुत अपर्याप्त हैं और राज्य सरकारों ....

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण देने की अपेक्षा केवल प्रश्न ही पूछिये।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आयुर्वैदिक औषधियों के उत्पादन

को प्रोत्साहन देने के लिए इस कार्य में लगी हुई राज्य सरकारों को उचित प्रोत्साहन दिया जायेगा और यदि हाँ, तो क्या इसके लिए कोई अतिरिक्त आबंटन किए गए हैं ।

श्री एच० आर० गोखले : जिन विशेष प्रकार की औषधियों का उल्लेख माननीय सदस्य द्वारा किया गया है उनके तथा अन्य औषधियों के उत्पादन संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव की जाँच तकनीकी आधार पर की जाती है और उसके बाद ही यह निर्णय किया जाता है कि किसी औषधि विशेष को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है या नहीं । मुझे विश्वास है कि इन औषधियों के निर्माण के बारे में भी इस प्रकार की प्रक्रिया से निर्णय लिया जाता है ।

Shri Chandrika Prasad : May I know Ayurvedic Medicines are in demand in foreign countries and whether any efforts are being made to meet this demand ? Scondly as stated by the hon. Minister that Ayurvedic Medicines will be encouraged, may I know how long it will take for the country to become self-sufficient and be able to export these medicines ?

श्री एच० आर० गोखले : यदि हम देश में ही एलोपैथिक और आयुर्वेदिक औषधियों के उत्पादन और उनकी माँग की तुलना करें तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि एलोपैथिक औषधियों की तुलना में आयुर्वेदिक तथा अन्य स्वदेशी औषधियों की माँग विदेशों में कम है ।

Assistance from Foreign Countries and other Sources for Cyclone Affected Areas in Orissa

\+
*914. **Dr. Sankata Prasad :**
Shri Chintamani Panigrahi :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether any assistance from foreign countries and other sources has been received for the Cyclone affected persons in Orissa;

(b) if so, the amount of assistance received so far;

(c) the items on which the said assistance is being spent ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र संघीय अभिकरणों तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी अभिकरणों ने उड़ीसा में समुद्री तूफान संबंधी राहत के संबंध में लगभग 3·75 करोड़ रुपये की राहत सामग्री वितरित की है । इसके अलावा, नार्वे की सरकार से 2 लाख क्रोनर (2·2 लाख रुपये) का नकद दान प्राप्त हुआ है और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से 1·90 लाख रुपये का अंशदान, प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष को प्राप्त हुआ है ।

(ग) राहत वस्तुओं में अनाज, दुग्ध चूर्ण, अधिक प्रोटीन युक्त संसाधित खाद्य पदार्थ, बिस्कुट, 'कुकिंग' तेल, औषध, तम्बू, तिरपालें, कपड़े और कम्बल शामिल हैं ।

Dr. Sankata Prasad : Mr. Speaker, the recent cyclone has adversely affected the

life and propetly in Orissa. May I know the steps being taken by the Government to combat the cyclones in future ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न तो तूफान से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विदेशों और अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली सहायता से था ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह निश्चय ही एक सामान्य प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए विशेष अध्ययन अपेक्षित है । मैं समझता हूँ ऐसी कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ।

Instaliation of Statues and Publication of a Commemorative Volume in Memory of Jawans Killed in Indo-Pak War

*917. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether there is any scheme under consideration of Government to instal statues in the country in memory of the Jawans who laid there lives during the recent Indo-Pak war; and

(b) whether Government also have any scheme under consideration to bring out a commemorative valume to give publicity to the heroic deeds of the Jawans ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) There is no scheme under consideration of Government to instal statues in memory of Jawans killed in the recent Indo-Pak war. A temporary war memorial with an Amar Jyoti has, however, been constructed under the arch of the India Gate. A proposal to construct a permanent war memorial (Amar Jawan) at Delhi to commemorate all our war dead since independence is under active consideration of Government.

(b) Government have provided facilities to journalists, broadcasters and publishers to publish books or pamphlets on the last conflict, covering the heroic deeds of the Jawans.

Shri Shankar Dayal Singh : Mr. Speaker, the History of a country is the fount of inspiration of that country; it is not simply give the chronology of events but also the enumeration of the heroic deeds of the people who fall martyrs to the nation. May I know whether the statues of the martyrs will be erected in different parts of the country ?

Mr. Speaker, Sir, there is no difference of opinion about the setting up of memorials, the question is what shape the memorials should be given. We are contemplating to organise an all India competition of our artists with a view to deciding the best of perpetuating the memory of our gallant Jawans. As I stated just now we are drawing a scheme and it will be implemented soon.

Shri Shankar Dayal Singh : In connection with the memorial book referred by me, I would like to know whether the heroic deeds of our Jawans will be included in the text books of our students so that they may benifit from them.

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker, Sir, that will be done and that too in a more dignified way. All of us will encourage it.

श्री समरगुह : पाकिस्तान के साथ हमारी पिछली लड़ाई को जहाँ एक ओर भारत-पाक

युद्ध की संज्ञा दी जाती है, वहाँ दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र में इसे बंगला देश मुक्ति युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। यह युद्ध मुक्ति वाहिनी और हमारे जवानों और भारत तथा बंगला देश के लोगों के संयुक्त प्रयत्नों से जीता गया। क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा बंगला देश की स्वतंत्रता के इतिहास को लिखवाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस संबंध में पहला प्रश्न हमारे समक्ष यह आता है कि क्या सरकारी तौर पर रक्षा मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का इतिहास लिखा जा सकता है या नहीं। खैर, फिर भी माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस पर उचित ध्यान दिया जायेगा।

श्री अण्णासाहेब गोटखिन्डे : मेरे चुनाव क्षेत्र में मासुराजूर नामक एक गाँव है जिसे हमेशा से सेनाओं में जवान भेजने का गौरव प्राप्त है। गत वर्ष इस गाँव के एक सैनिक को महावीर चक्र प्रदान किया गया था। वहाँ के लोग उस शहीद की याद में उसकी प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। क्या सरकार इस कार्य के लिए गाँव को वित्तीय सहायता देगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो सामान्य प्रश्न है। आप केवल एक ही गाँव के बारे में ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री अण्णासाहेब गोटखिन्डे : क्या देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की प्रतिमायें स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जो गाँव इस प्रकार के शूरवीरों को सेना में भेजते हैं, वह अपने शहीदों की पुण्य स्मृति में स्मारक बनाने की क्षमता भी रखते होते हैं। वह इस प्रकार की सहायता के लिए किसी और के मुंह की ओर नहीं ताकते।

Shri Jagannath Rao Joshi : May I know how long the Amar Jyoti which is burning in the memory of brave Jawans, will continue to burn and whether Government propose to install a fitting statue to the memory of our Jawans in the canopy lying vacant after the removal of the statue of a Britisher from that at India Gate.

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated that the memorial under the roof of India Gate is a temporary one. A search is being made for a suitable place to erect a permanent memorial.

Regarding the Canopy near India Gate from which the statue of King George was removed, nothing has been decided so far. This job has been enttrused to a Committee, having among others several hon. Members of this House too. The Committee is shortly to submit its recommendation and after that a decision will be taken. As regards the memorial, the other sights are being considered. The sight pointed out by the hon. Member is not being considered for this purpose.

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker, Sir, May I know whether the State Governments too have been instructed to burn similar Jawan Jyoties or to erect other memorials from which people can get inspiration ?

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker, Sir, you are fully aware of the fact that similar memorials are being erected in different parts of the country. But they are being erected by local efforts. No doubt that we have received some demands for tanks and other war materials captured from Pakistani forces. These and other demands are considered on all India basis and a decision taken on them. Till now, it has been our policy that memorial should he erected by local interest and efforts.

Mr. Speaker : The hon. Members should keep the serenity of the atmosphere and not slight the issue by gossiping here.

सैनिक स्कूलों में लड़कियों का दाखिला

*920. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी सैनिक स्कूल में लड़कियों के दाखिले की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई उचित व्यवस्था करने का है ?

रक्षा मंत्रालय (प्रतिरक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उत्तर हाँ में है ।

(ख) जी नहीं ।

Shri Krishna Chandra Pandey : Our Constitution does not provide for any discrimination between man and woman and the history of this country shows that Rani Luxmi Bai of Jhansi wrote her history of bravery in golden words. I want to know whether in view of this the hon. Minister is thinking to provide for the admission of the girls also in the Sainik Schools and they also are given militery training ?

Shri Vidya Charan Shukla : As regards the admission of the girls in the Sainik Schools, no such proposal is under consideration at present. As per circumstances in our country, we in our wisdom do not think it proper to make such provision.

Shri Krishna Chandra Pandey : History shows that Rani Luxmi Bai of Jhansi put an example before us. May I know whether the Ministry of Defence is proposed to learn anything from it ? If so, would services of the girls will also be utilised for the defence of the country ?

Mr. Speaker : Are you insisting upon this for you yourself so as to be taken in a Sainik School ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : I could not follow the answer of the hon. Minister. I am not able to understand how the question of his wisdom arise here. It is a question of compulsory military training for the girls. The hon. Minister would agree that some girls are as good as boys.

Mr. Speaker : How did you get such an experience ? You are bachelor.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, if the girls want to obtain military training whether provisions would be made for them or not ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is a matter of opinion whether something is proper or not. As per our scheme proposed till now, the boys admitted to Sainik Schools are later on, sent to National Defence Academy. And till now, girls are not being taken to the N. D. A. They are admitted to the Sainik Schools also. We have not done anything against the sentiments expressed by Shri Pandey or other hon. Members. I have only stated the present position.

Mr. Speaker : Only today I came to know why Mr. Vajpayee is bachelor. He is very much afraid of girls.

श्री जी० विश्वनाथन् : अनेक देशों में लड़कियों को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती किया जाता है, विशेष रूप से सैनिक गुप्तचर सेवा में। हम भी क्यों न स्त्रियों को सैनिक गुप्तचर सेवाओं में भर्ती करने पर विचार करें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इन्हें विशेषतया सैनिक गुप्तचर सेवा में भर्ती करने में विश्वास नहीं रखते। इस सेवा के लिए भी लड़के लड़कियों को सैनिक स्कूलों के माध्यम से नहीं लिया जाता।

श्रीमती गॉडफ्रे : इस विचार से कि भारत के सभी नागरिकों को आधारभूत सैनिक शिक्षा दी जाये क्या सरकार उन लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोलने का विचार कर रही है जो उच्च शिक्षा पाना चाहती हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीया सदस्या जानती हैं कि राष्ट्रीय केडेट कोर की एक महिला शाखा भी है जहाँ उन्हें नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। जहाँ तक सेना, नौ-सेना तथा वायु सेना का प्रश्न है, हम माननीय सदस्या के सुझाव पर विचार करेंगे।

देश में स्थापित किए गए पेट्रो-रसायन एकक

*919. **डा० कैलास** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी सहयोग से तथा उसके बिना कितने-कितने पेट्रो-रसायन एकक स्थापित किए गए हैं;

(ख) उन एककों की संख्या कितनी है जिन्होंने उत्पादन आरंभ कर दिया है; और

(ग) निर्धारित उत्पादन क्षमता का लक्ष्य ये एकक कब तक प्राप्त कर लेंगे ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) देश में प्राथमिक तथा मूल कच्चे माल के निर्माण के लिए स्थापित किए गए मुख्य पेट्रो-रसायन एकक हैं :

(i) समेकित डाउन-स्ट्रीम सुविधाओं सहित दो नेफ्था क्रैकर्ज़;

(ii) मेथेनोल के निर्माण के लिये एक एकक तथा फिनोल तथा एसीटोन के निर्माण के लिए दूसरा एकक।

इन प्राथमिक तथा मूल कच्चे मालों से कई द्वितीयक तथा तृतीयक उत्पादों का निर्माण किया जाता है।

ये चारों एकक विदेशी सहयोग से स्थापित किए गए हैं।

(ख) इन चारों एककों में उत्पादन हो रहा है।

(ग) दो-क्रैकरों में से एक ने लाइसेंस क्षमता प्राप्त करली है, दूसरे एकक ने 1972 में अपनी लाइसेंस क्षमता का 75% प्राप्त कर लिया है। 1971 के दौरान मेथेनोल एकक में लाइसेंस क्षमता के लगभग 66% पर परिचालन हुआ जबकि फिनोल तथा एसीटोन का निर्माण करने वाले एकक में 1971 में स्थापित क्षमता के 90% से अधिक पर परिचालन हुआ। इन एककों के थोड़े ही वर्षों में अपनी अनुमोदित क्षमता प्राप्त कर लेने की संभावना है।

डा० कैलास : क्या मेन्थल निर्माता इन फर्मों में से एक फर्म की उत्पादन क्षमता केवल 66 प्रतिशत है और क्या यह सच है कि यह फर्म देश के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रही है? क्या यह फर्म देश में खपत अथवा माँग के अनुसार मेन्थल का पर्याप्त उत्पादन कर रही है?

श्री एच० आर० गोखले : शायद माननीय सदस्य भारतीय उर्वरक निगम के मेन्थल कारखाने के बारे में कह रहे हैं। यहाँ वर्ष 1971 में उत्पादन 23,310 टन था हालाँकि इसकी क्षमता डिजाइन की गई क्षमता जितनी नहीं है, तो भी उत्पादन बढ़ रहा है।

अल्प सूचना-प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTIONS

दस्तूर कंपनी द्वारा सेलम इस्पात संयंत्र के बारे में सम्भाव्यता प्रतिवेदन

+

***अ० सू० प्र० 5. श्री के० गोपाल :**
श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स दस्तूर कम्पनी द्वारा सेलम इस्पात सयंत्र के बारे में प्रस्तुत किये गये सम्भाव्यता प्रतिवेदन पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मैसर्स दस्तूर कंपनी को नये सिरे से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है जिसके परिणामस्वरूप इसमें बहुत विलम्ब हुआ है; और

(घ) इस्पात संयंत्र का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) से (ग). इस्पात विभाग द्वारा शक्यता प्रतिवेदन की जाँच-पड़ताल करने के पश्चात् परामर्शदाताओं—मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कंपनी तथा संबंधित मंत्रालयों / विभागों के साथ कई बैठकें की गई और यह निर्णय किया गया है कि सेलम इस्पात कारखाने में केवल चपटे उत्पाद बनाये जायेंगे। प्रोडक्ट-मिक्स इस प्रकार होगा :

(1) बेदाग इस्पात	70,000 टन प्रतिवर्ष
(2) सिलिकन इस्पात की चादरें	75,000 टन प्रतिवर्ष
(3) अन्य विशेष इस्पात	30,000 टन प्रतिवर्ष
(4) साधारण इस्पात की चादरें/स्ट्रिप	20,000 टन प्रतिवर्ष
जोड़	195,000 टन प्रतिवर्ष तैयार इस्पात

इसकी कुल पूँजीगत लागत लगभग 340 करोड़ रुपये होगी परन्तु विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय पूँजीगत तथा परिचालन लागत दोनों को यथासंभव कम करने की हर कोशिश की जायेगी।

(घ) आशा है जैसे ही परामर्शदाता तल-स्तर के बारे में बता देंगे, स्थल को समतल करने का काम आरंभ कर दिया जायेगा। इस काम में अब से लेकर 6 महीने तक का समय लग सकता है।

श्री के० गोपाल : प्रधान मंत्री ने सितम्बर, 1970 में सलेम संयंत्र की आधार शिला रखी थी, इसकी संभाव्यता-रिपोर्ट पूरी करने में ही $1\frac{1}{2}$ वर्ष लग गये। मैं जानना चाहूँगा कि इसके लिये सलाहकारों की नियुक्ति कब की गई तथा क्या उक्त रिपोर्ट पेश करने में कोई विलम्ब हुआ है ? अब जबकि उत्पाद-मिश्रण (प्राडक्ड-मिक्स) तथा पूँजी निवेश के बारे में निर्णय कर लिया गया है, मैं जानना चाहूँगा कि वस्तुतः निर्माण कार्य कब आरंभ हो जायेगा ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : सलाहकारों की नियुक्ति 25 फरवरी, 1971 को की गई थी और उन्हें संभाव्यता-प्रतिवेदन पेश करने के लिए छः मास की अवधि दी गई थी। उत्पाद-मिश्रण (प्राडक्ट-मिक्स) को अन्तिम रूप से तैयार करने में कुछ विलम्ब हो गया और उन्होंने समय में वृद्धि का अनुरोध किया तथा फिर 10 दिसम्बर, 1971 को प्रतिवेदन पेश कर दिया। क्योंकि यह कारखाना विशेष प्रकार का इस्पात तथा अलाय का उत्पादन करेगा, इसे अन्तिम रूप देने में कुछ समय लग गया। अब मुझे संदेह नहीं है कि निर्माण कार्य की गति को तेज कर दिया जायेगा। स्थान को समतल करने का कार्य आरंभ करने में छः मास लगेंगे और उससे आगे छः मास में निर्माण कार्य आरंभ हो जायेगा।

श्री० के० गोपाल : मंत्री महोदय का कहना है कि प्राडक्ट-मिक्स में विशेष प्रकार के इस्पात की चादरें भी शामिल हैं। दुर्गापुर में पहले से अलाय का एक संयंत्र है। मुझे संदेह है कि सलेम इस्पात संयंत्र में इसका उत्पादन करना लाभप्रद रहेगा। सीमलैस ट्यूबों की बड़ी भारी माँग है और मैं समझता हूँ वे इसका एक कारखाना भारत में लगा रहे हैं। यदि इस संबंध मे कोई निर्णय नहीं किया गया है तो क्या इस मद का भी सलेम इस्पात संयंत्र में उत्पादन किया जायेगा ? इस समय तो हम इसका आयात कर रहे हैं।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : सलेम इस्पात संयंत्र में प्राडक्ट-मिक्स के बारे में निर्णय सभी विकल्पों की जांच करके ही किया गया था। सरकार तथा सलाहकारों का यह सोचा-समझा मत है कि सलेम इस्पात संयंत्र के लिए प्राडक्ट्स मिक्स बड़ा ही लाभप्रद रहेगा। माननीय सदस्य समझेंगे कि इस्पात के लिए कच्चा माल ब्लूम है और क्योंकि प्राडक्ट-मिक्स में ब्लूम का उत्पादन शामिल नहीं है, उसका सलेम इस्पात संयंत्र में उत्पादन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन : मंत्री महोदय ने कहा है कि कार्य अगले छः मास में आरंभ हो जायेगा। मैं जानना चाहूँगा कि जमीन का अधिग्रहण करने की दर के बारे में न्यायालय का कोई आदेश है, और यदि हाँ, तो पहले राज्य सरकार ने क्या मूल्य तय किये थे और अब सरकार ने कितने मूल्यों का सुझाव दिया है ? क्या तामिलनाडु सरकार इन मूल्यों को स्वीकार कर रही है अथवा उनका विरोध कर रही है ? आगे, क्या इस परियोजना के लिए तमिलनाडु सरकार के माध्यम से कोई भूमि ली गई है तथा क्या इस परियोजना को यथासंभव शीघ्र आरंभ करने के लिए तमिलनाडु सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का मूल्य सरकार नहीं बल्कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी निश्चित करता है। यह सच है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई थी वे उक्त अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं थे और वे इस मामले को अदालत में ले गये। न्यायालय ने कुछ ऊंचे मूल्य निश्चित किये हैं। यह मामला सर्वथा राज्य सरकार का है और हमें राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में अपील कर रहे हैं। जहाँ तक राज्य सरकार के सहयोग का प्रश्न है, इस संबंध में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है।

श्री के० लकप्पा : नये इस्पात यंत्रों की उत्पादन लागत के बारे में हाल ही में मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्यों को देखते हुए तथा नए संवेगों की स्थापना में विलंब होने की दृष्टि से और उनके इस वक्तव्य से कि नये संयंत्रों की स्थापना के बजाय वर्तमान संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जाय, लोगों के दिलों में यह संदेह उत्पन्न हो गया है क्या सलेम इस्पात संयंत्र तथा विजयनगर इस्पात संयंत्र जैसे संयंत्र निर्मित भी होंगे या नहीं। इसलिये, इस पृष्ठभूमि में, क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि सलेम तथा विजयनगर के नये संयंत्र स्थापित किए जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में आप एक अलग अल्प सूचना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के० लकप्पा : मैंने सलेम इस्पात संयंत्र के बारे में प्रश्न पूछा है। दस्तूर एण्ड कंपनी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर भी इसमें इतना विलंब होने के कारण क्या मंत्रालय इस संबंध में

पुन: विचार कर रहा है। विशेष रूप से क्योंकि मंत्री महोदय ने यहाँ सभा में नये इस्पात संयंत्रों की उत्पादन लागत के बारे में वक्तव्य दिये हैं।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैंने विशाखापत्तनम तथा विजयनगर इस्पात संयंत्रों की स्थापना के स्थान पर विकल्प के रूप में वर्तमान इस्पात संयंत्रों के विस्तार के बारे में कभी कोई वक्तव्य नहीं दिए हैं। इन संयंत्रों की स्थापना के बारे में सरकार का निर्णय अन्तिम है और इस प्रश्न पर पुन: कोई विचार नहीं किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने कहा है कि सलेम इस्पात संयंत्र के निर्माण की योजनाओं के संबंध में असाधारण विलंब हुआ है। मैं यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। इसके विपरीत हमने इस मामले में यथासंभव शीघ्रता की है। परन्तु 340 करोड़ रुपये की लागत संबंधी कोई निर्णय करने के लिए प्राडक्ट-मिक्स तथा अपनायी जाने वाली प्रणाली पर काफी ध्यान देना आवश्यक होता है।

श्री जी० विश्वनाथन : सलेम इस्पात संयंत्र कब बनकर तैयार हो जायेगा और कब इसमें उत्पादन आरंभ हो जायेगा ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं अपने को किसी विशिष्ट तारीख से प्रतिबंधित नहीं करूंगा परन्तु मैं एक मिनट में कोई संभावित तारीख बता दूंगा क्योंकि हमने सलाहकारों से एक ऐसी रूप रेखा तैयार करने को कहा है जिससे प्रत्येक चरण के कार्य के पूरा होने का समय पता लग जायेगा और उसकी सहायता से अन्तिम तिथि के बारे में हम अधिक पक्के निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि कब यह संयंत्र उत्पादन आरंभ कर देगा। इस समय हमारा अनुमान है कि इसे 1977-78 में पूरा हो जाना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Foreign Tourists stranded on Indian Borders

*904. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether 84 foreign tourists are stranded on Indian side of the Indo-Pak border; and

(b) if so, their present condition and Government's reaction thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). A large number of foreign tourists were stranded on the Indian side of the Indo-Pak border at Attari Road as the Government of Pakistan would not permit their entry into their country. As a result of efforts made by the Government of India through the Swiss Embassy in India, the Pakistan authorities agreed to open their border for one day on the 7th May, 1972, thus enabling 262 foreign tourists alongwith 47 vehicles to cross over to Pakistan.

आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का निपटारा

906. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजाद हिन्द फौज के कितने कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों संबंधी दावों का अभी तक निपटारा किया गया है; और

(ख) कितने कर्मचारियों के दावों का अभी तक निपटारा किया जाना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). सम्भवतः सूचना आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों के जब्त किये गए वेतन तथा भत्तों के पुनःस्थापन के दावों के संबंध में है । यदि ऐसा है तो 31 मार्च 1972 को अक्तूबर 1967 तथा जून 1970 में प्राधिकृत की गई अदायगियों के संबंध में सूचना इस प्रकार है:—

(1) अक्तूबर 1967 में प्राधिकृत की गई अदायगियां

प्राप्त हुए दावों की संख्या	15,101
निपटाये गए दावों की संख्या	14,920
निपटाये जाने वाले दावों की संख्या	181

(2) जून 1970 में प्राधिकृत की गई अदायगियां

प्राप्त हुए दावों की संख्या	14,663
निपटाये गए दावों की संख्या	14,255
निपटाये जाने वालों दावों की संख्या	408

पूर्व यूरोपीय देशों से मिले ऋणों की अप्रयुक्त राशि का उपयोग

*909. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ और पूर्व यूरोपीय देशों से मिली 300 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) क्या अमरीकी सहायता के बारे में अनिश्चितता की दृष्टि से, सरकार ने उक्त देशों के साथ इस राशि का गैर-परियोजना सहायता के रूप में उपयोग करने के बारे में बातचीत की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हाँ ।

(ख) सोवियत रूस और पूर्व यूरोपीय देशों से सामान्य व्यापार योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक कच्चे माल तथा संघटकों का आयात करने में अभी तक कोई कठिनाई महसूस नहीं की

गयी है । अतः इन वस्तुओं का आयात ऋणों के अन्तर्गत करने की आवश्यकता अभी पैदा नहीं हुई है ।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Establishment of Air Links

*911. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of the countries with which air links were established during last year; and

(b) the income from the traffic handled on the new routes ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Bangladesh.

(b) Both Indian Airlines and Air India are operating to Dacca, the former from Calcutta and the latter from Delhi and Bombay. It is too early to give any figures regarding income on these routes.

सैनिकों को वीरता पुरुस्कार देने के मापदण्ड

912. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिकों को वीरता पुरुस्कार देने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के कार्मिकों को वीरता पुरुस्कार देने के लिए माप दण्ड का उल्लेख करते हुए विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पुरुस्कार का नाम	जिस कार्य के लिए पुरुस्कार दिया जाता है ।
1. परमवीर चक्र	विशिष्ट वीरता अथवा बहादुरी के कुछ साहसिक अथवा सर्वश्रेष्ठ कार्य अथवा भूमि पर, समुद्र में अथवा वायु में शत्रु की उपस्थिति में आत्म-बलिदान के लिए ।
2. अशोक चक्र	शत्रु के समक्ष को छोड़कर विशिष्ट वीरता, अथवा बहादुरी के कुछ साहसिक अथवा सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए
3. महावीर चक्र	भूमि पर, समुद्र में अथवा वायु में शत्रु के समक्ष विशिष्ट वीरता के लिए ।

पुरस्कार का नाम	जिस कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है।
4. कीर्ति चक्र	शत्रु के समक्ष को छोड़ कर विशिष्ट वीरता के लिए।
5. वीर चक्र	भूमि पर, समुद्र में अथवा वायु में शत्रु के समक्ष वीरता के लिए।
6. शौर्य चक्र	शत्रु के समक्ष को छोड़ कर वीरता के लिए।
7. सेना/नौसेना/वायुसेना/मंडल	अपनी ड्यूटी के प्रति ऐसे व्यक्तिगत विशिष्ट कार्य अथवा साहस के लिए जो संबंधित सेवा के लिए विशेष महत्व रखता हो।
8. मैन्स-इन-डिस्पेच	संक्रियात्मक क्षेत्रों में विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए वीरता के ऐसे कार्य के लिए जो इतने उच्च स्तर की न हो कि जिस पर पुरुस्कार प्रदान किया जा सकता है।

तिरुचिरापल्ली स्थित छोटे हथियार बनाने के कारखाने का उत्पादन

915. **श्री एम० एस० शिवास्वामी :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुचिरापल्ली स्थित छोटे हथियार बनाने वाले कारखाने ने आटोमैटिक कार्बाइनो और सेमी-आटोमैटिक ईशापुर राइफलों का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो अब उसमें कितना उत्पादन हो रहा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). स्माल आर्म फैक्टरी, तिरुचिरापल्ली में स्वचालित कार्बाइनों का नियमित उत्पादन शुरू हो गया है। अर्ध-स्वचालित राइफलों के प्रायोगिक बैच का सफलतापूर्वक संयोजन किया गया है और फैक्टरी में फायर किया गया है तथा उसका नियमित उत्पादन वर्ष के दौरान शुरू किया जाएगा।

Revenue from Estate Duty

*916. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri M. C. Daga :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Estate Duty assessed during the last three years; and

(b) the amount of the Duty realised so far ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The Estate Duty demands raised during the last three years are as under :

Financial year	Amount of Estate Duty demand raised during the year
1969-70	Rs. 7·81 crores
1970-71	Rs. 8·16 crores
1971-72	Rs. 5·93 crores

(b) The amounts of Estate Duty realised during the last three years are as under :

Financial year	Net collections of Estate Duty
1969-70	Rs. 6·94 crores
1970-71	Rs. 7·93 crores
1971-72	Rs. 9·06 crores*
	(*unverified figures)

गुजरात तथा असम सरकारों को अशोधित तेल पर अधिक रायल्टी देना

*918. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तथा असम राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में उत्पादित अशोधित तेल पर अधिक रायल्टी की माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हाँ।

(ख) इस विषय पर भारत सरकार और गुजरात एवं असम सरकारों के बीच बातचीत जारी है।

मध्य प्रदेश में आयकर की बकाया राशि

6681. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के अन्त तक मध्य प्रदेश में, जिलेवार, आयकर की कुल कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ख) बकाया धनराशि की वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उसका परिणाम क्या निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

6682. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कृषि कार्यों और लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पटल पर रख दी जायेगी ।

राँची शहर का पुनर्वर्गीकरण

6683. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार स्थित राँची नगर का पुनर्वर्गीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). मकान किराया भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की मंजूरी के प्रयोजनार्थ शहरों/नगरों के और राँची नगर के भी वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार, 1971 की जनगणना के अन्तिम आँकड़े उपलब्ध होने पर किया जाएगा ।

त्रिवेन्द्रम तथा कोचीन हवाई अड्डों के विकास पर किया गया व्यय

6684. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम और कोचीन हवाई अड्डों के विकास पर 1971-72 में कितनी धन-राशि व्यय की गई और किस प्रकार के कार्य प्रारंभ किये गए तथा पूर्ण किए गए; और

(ख) उपरोक्त हवाई अड्डों पर 1972-73 के दौरान किस प्रकार के विकास कार्य प्रारंभ किए जायेंगे और उन पर अनुमानतः कितने व्यय की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) वर्ष 1971-72 के दौरान त्रिवेन्द्रम विमान क्षेत्र पर विकास कार्यों के लिए 33,990/- रुपए की राशि खर्च की गई। इन विकास कार्यों में एक साइकिल शेड का निर्माण, नियंत्रण टावर एवं टर्मिनल भवन में 'फ्लश-डोर्ज़' की व्यवस्था, प्रेषण केन्द्र के लिए स्तम्भ-नींव (मास्ट फाउन्डेशन) की व्यवस्था, वी० ओ० आर० स्टेशन का निर्माण तथा बिजली का काम शामिल था । उपरोक्त वर्ष के दौरान कोचीन विमान क्षेत्र पर विकास कार्यों के लिए कोई खर्चा नहीं किया गया था ।

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान त्रिवेन्द्रम विमान क्षेत्र पर वी० ओ० आर० स्टेशन, एक

सीमा-शुल्क ब्लाक और 13 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण; वर्तमान टर्मिनल भवन में विस्तार, और अधिक निर्माण तथा परिवर्तन; 14/32 धावन-पथ के दोनों छोरों पर 100 फुट लम्बाई तक ओवर-रनों पर तारकोल बिछाने की व्यवस्था, एवं कोचीन विमानक्षेत्र पर वर्तमान टर्मिनल भवन में संशोधन संबंधी कार्यों को हाथ में लेने का प्रस्ताव है। वर्ष 1972-73 के दौरान त्रिवेन्द्रम में विकास कार्यों के लिए 5·2 लाख रुपए तथा कोचीन में विकास कार्यों के लिए 1·4 लाख रुपए के खर्च का अनुमान है।

विदेश जाने वाले अधिकारियों को यात्रा कर के भुगतान से छूट

6685. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्य से विदेश जाने वाले अधिकारियों को यात्रा कर के भुगतान से छूट दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भारत की समेकित निधि से किया जाता है और जिनकी यात्रा केन्द्रीय सरकार के कार्यों के संबंध में होती है, उन्हें वित्त (सं० 2) अधिनियम, की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन लगने वाले समस्त विदेश यात्रा कर से छूट मिली हुई है, परन्तु यह तब जब कि वे अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। संगत अधि-सूचना सा० का० नि० 237 (ङ) दिनांक 5-4-1972 की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर 5-5-72 को रखी गई थी (देखिए दिनांक 6-5-72 की लोक सभा बुलेटिन सं० 616/खण्ड II की क्रम सं० 11)।

केरल को वित्तीय सहायता

6686. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से राज्य की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता में वृद्धि के लिये अनु-रोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आंध्र प्रदेश में आय-कर अपवंचन

6687. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में

जिलावार, आय-कर का अपवंचन करने के कारण कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। और लगभग कुल कितनी राशि का अपवंचन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जिन मामलों में तलाशियाँ ली गई हैं अथवा जिसमें स्वेच्छा से घोषणा के रूप में अथवा समझौतों के लिए याचिकाएँ दायर की गई हैं और जो विचाराधीन हैं उनकी संख्या तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त आय संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। जहाँ तक ऐसे मामलों का संबंध है जिसमें आय छिपाने के कारण दांडिक कार्यवाही शुरू की गई है और जो विचाराधीन हैं, उन मामलों की संख्या और अन्तर्ग्रस्त रकम के जिलेवार आँकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश-I और II के दो कार्यक्षेत्रों में कुल मामलों की संख्या इस प्रकार है :

आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश—I	892 मामले
आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश—II	918 मामले
जोड़	1810 मामले

विवरण

जिले का नाम	मामलों की संख्या			
	जिन में तलाशियाँ अन्तर्ग्रस्त हैं		जिन में स्वेच्छा पूर्ण घोषणा तथा समझौता अन्तर्ग्रस्त हैं	
	सं०	अन्तर्ग्रस्त आय लाख रुपयों में	सं०	अन्तर्ग्रस्त आय लाख रुपयों में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खम्माम	2	0·60	—	—
पूर्व गोदावरी	12	28·25	1	8·84
पश्चिम गोदावरी	8 }	104·00	5	4·47
कृष्णा	21 }		2	1·00
हैदराबाद	7	13·69	11	20·07
अनन्तपुर	4	1·26	—	—
विशाखपत्तनम	15	17·14	3	1·64
श्री काकुलम्	3	3·75	—	—
गुन्तूर	2	9·00	—	—
महबूब नगर	—	—	2	0·22
निजामाबाद	—	—	1	0·66
मेडक	—	—	1	2·40

आंध्र प्रदेश में बड़े व्यक्तियों/फर्मों की ओर आयकर की बकाया राशि

6688. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के उन प्रथम 20 व्यक्तियों अथवा फर्मों के अलग-अलग नाम क्या हैं जिनकी ओर इस समय आयकर की अधिकतम धनराशि बकाया है;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति या फर्म की ओर आयकर की बकाया राशि कितनी है;

(ग) उसकी वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) भविष्य में इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

चौथी योजना के दौरान देश में पर्यटन का विकास

6689. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन के विकास के लिये चौथी योजना में कौन-कौन सी योजनाएँ सम्मिलित की गई हैं; और

(ख) इस संबंध में कुल कितनी राशि खर्च की गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—2085/72.]**

(ख) 31 मार्च, 1972 तक पर्यटन विभाग की योजनाओं पर 55,948 लाख रुपये, और भारत पर्यटन विकास निगम की योजनाओं पर 51,882 लाख रुपये का व्यय किया गया है ।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋण

6690. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इण्डिया सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषकों, हथकरघा बुनकरों, व्यापारियों, लघु उद्योगपतियों और रिक्शा चालकों को अलग-अलग और जिलेवार कुल कितने ऋण जारी किए गए;

(ख) प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत जिलेवार कितनी राशि दी गई;

(ग) प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या प्रक्रिया को सरल बनाने और वहाँ पर बैंकों के कार्य संचालन को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की तत्काल नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) से (ग). जहाँ तक सम्भव है वहाँ तक सूचना इकट्ठी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) बैंकों को अपनी कार्य प्रणाली की समीक्षा करने और जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ उसे सरल बनाने के लिए कहा गया है । बैंक, शाखाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध करने के लिए भी कदम उठाते हैं ।

गोलचा प्रापर्टी (प्राइवेट) लिमिटेड के लेनदारों को भुगतान

6691. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोलचा प्रापर्टी (प्राइवेट) लिमिटेड के अधिकृत परिसमापक ने, उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लेनदारों को जमा धनराशि का 40 प्रतिशत भुगतान करने की घोषणा की थी; और

(ख) इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि अधिकांश लेनदार दिल्ली से बाहर के रहने वाले हैं, क्या सरकार ने परिसमापक के दिल्ली स्थित कार्यालय से या बैंक चैक के माध्यम से भुगतान करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और यदि हाँ, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). माननीय कम्पनी न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के दिनांक 10 मार्च, 1972 के एक आदेश द्वारा, अधिमान्य लेनदारों को रुपये में 100 पैसे, एवं साधारण लेनदारों को रुपये में 20 पैसे के हिसाब से प्रथम भाज्यक की प्राप्ति के निर्देश दिये गये हैं । दिनांक 30 मार्च 1972 के एक अन्य आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने, साधारण लेनदारों को रुपये में 20 पैसे के हिसाब से द्वितीय भाज्यक की प्राप्ति के निर्देश दिये हैं ।

उच्च न्यायालय जोधपुर ने प्रथम व द्वितीय भाज्यकों की प्राप्ति के लिये क्रमशः 1 जून 1972 से 30 नवम्बर, 1972 व 1 जुलाई, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 की तारीखें निश्चित की हैं । कम्पनी न्यायालय नियम, 1959 के नियम 276 के अन्तर्गत, लेनदारों के लिये व्यक्तिगत नोटिस पहले ही प्रेषित कर दिये गये हैं ।

उच्च न्यायालय, जोधपुर से संलग्न सरकारी समापक भी मैसर्स गोलचा प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) का सरकारी समापक है, का दिल्ली में कोई कार्यालय नहीं है । लेनदारों को भाज्यकों की प्राप्ति के रेखित धनादेश, जोधपुर कार्यालय से प्रेषित किये जायेंगे ।

सरकारी लिमिटेड कम्पनियों द्वारा पूंजी का बढ़ाया जाना

6692. **श्री टी० डी० कांबले :**
श्री ई० बी० विखे पाटिल :

क्या **वित्त** मंत्री 28 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4269 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता को शेयर बेच कर पूँजी बढ़ाई गई थी तथा यह किस प्रयोजन के लिये बढ़ाई गई थी;

(ख) क्या गैर सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों का विस्तार करने के लिए विश्व बैंक के कार्यक्रम में किसी कम्पनी ने भाग लिया था; और

(ग) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं और लाइसेंस-प्राप्त तथा अधिष्ठापित क्षमताओं के अनुसार कितना विस्तार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 28 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4269 के उत्तर में उल्लिखित चार कोयला खनन कम्पनियों ने विवरणिका द्वारा जनता को शेयर जारी करके अपनी पूँजी नहीं बढ़ायी है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोयलरीज कम्पनी लिमिटेड ने अपने विस्तार कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूँजी बढ़ायी किन्तु जयपुरिया सामला अमलगेमेटेड कोयलरीज लिमिटेड और ओरियन्टल कोल कम्पनी लिमिटेड ने इन दो कम्पनियों के साथ कुछ अन्य कम्पनियों के विलयन से संबंधित योजनाओं के अनुसरण में अपनी पूँजी बढ़ाई।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड और सिंगरेनी कोयलरीज कम्पनी लिमिटेड ने विश्व बैंक के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है। ओरियन्टल कोल कम्पनी लिमिटेड और जयपुरिया सामला अमलगेमेटेड कोयलरीज लिमिटेड ने गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के विस्तार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के कार्यक्रम में भाग लिया है। ओरियन्टल कोल कम्पनी लिमिटेड और जयपुरिया सामला अमलगेमेटेड कोयलरीज लिमिटेड द्वारा लाइसेन्सशुदा तथा स्थापित क्षमताओं में किये गये विस्तार के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

पर्यटन सेवाओं को बल प्रदान करने के लिये भूतपूर्व प्रतिरक्षा अधिकारियों को कार्य पर लगाने की योजना

6693. **श्री देवेन्दर सिंह गरचा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है जिसके अनुसार ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ बड़े-बड़े होटल मालिकों द्वारा होटल खोले जाने की सम्भावना नहीं है, पर्यटन सेवाओं को बल प्रदान करने के लिये भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों को कार्य पर लगाया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). भूतपूर्व रक्षा अधिकारियों को किराया—खरीद आधार पर देने के लिए मध्यम मूल्य के होटलों के निर्माण की स्कीम विभाग के विचाराधीन है ।

इण्डियन एयरलाइन्स में सशस्त्र सेनाओं के अपंग कर्मचारियों के लिये आरक्षित पदों की प्रतिशतता

6694. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने सशस्त्र सेनाओं के अपंग कर्मचारियों के लिये कुछ पद आरक्षित किये हैं; और यदि हाँ, तो उसकी प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स में भूतपूर्व सैनिकों की पिछली सेवा किसी प्रयोजन के लिए गिनी जाती है; और

(ग) क्या सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स को इस संबंध में कोई निदेश जारी किये हैं; और यदि हाँ, तो इण्डियन एयरलाइन्स ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ । तृतीय श्रेणी में $17\frac{1}{2}\%$ तथा चतुर्थ श्रेणी में $27\frac{1}{2}\%$ रिक्तियाँ भूतपूर्व सैनिकों—अपांग अथवा अन्य प्रकार के तथा युद्ध में मारे गये कार्मिकों के आश्रितों के लिये आरक्षित की जाती हैं । क्रियात्मक सिद्धांत के तौर पर, $7\frac{1}{2}\%$ रिक्तियाँ अपांग भूतपूर्व-सैनिकों तथा युद्ध में मारे गये कार्मिकों के आश्रितों द्वारा पूर्त्ति के लिये निर्धारित रहती हैं तथा शेष बची तृतीय श्रेणी में 10% तथा चतुर्थ श्रेणी में 20% रिक्तियाँ सेवा के दौरान अपांग हुए कार्मिकों से अन्य भूतपूर्व सैनिकों के लिये रखी जाती हैं ।

(ख) आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक को, जिसने सशस्त्र सेनाओं में छः महीने की लगातार सेवा से कम की सेवा न की हो, अपनी वास्तविक आयु में से उतनी सेवा की अवधि घटाने की अनुमति होगी और इससे परिणामी आयु यदि पद के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं बढ़ती, तो उसे निर्धारित आयु सीमा के अन्दर समझा जाता है ।

(ग) जी, हाँ । ऐसे जारी किये गये निदेशों का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

विमान टिकटों में 'एक्सचेंज रैकेट'

6696. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मई, 1972 के 'स्टेट्समैन' में 'एक्सचेंज रैकेट इन एयर टिकट्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार को ज्ञात है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियाँ भ्रष्ट तरीके अपना रही हैं और परिणामतः यातायात उनकी ओर जाता है तथा हमें विदेशी मुद्रा की हानि होती है ।

(ख) इस परिस्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(i) अमरीका और भारत के बीच रियायती वापसी भ्रमण किराये चालू करना;

(ii) भारत और फ्रांस के बीच विशेष युवा किराये चालू करना;

(iii) एयर-इंडिया द्वारा चार्टरों के परिचालन के लिये एक सहायक कम्पनी की स्थापना; और

(iv) वायुयान नियम, 1937, में एक नये नियम का समावेश कर दिया गया है जिसमें विमान कम्पनियों द्वारा नागर विमानन के महानिदेशक से अनुमोदन प्राप्त करने के लिये अपने शुल्क-दरों (टैरिफों) को फाइल करने की अनिवार्य व्यवस्था कर दी गई है ।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, व अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संघ के भ्रष्टाचार-निरोध संगठन, तथा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के उल्लंघन के मामलों से संबंधित हमारे सरकारी प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

प्रतिरक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों को अखिल भारतीय दायित्व भत्ता देना

6697. **श्री सतपाल कपूर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाँचू आयोग ने 24 नवम्बर, 1969 के अपने पंचाट में यह सिफारिश की थी कि प्रतिरक्षा लेखा विभाग के उन कर्मचारियों को, जिनका स्थानातंरण 1 जनवरी, 1970 से अपने नियंत्रक के आक्षेत्राधिकार से बाहर हो गया है, मूल वेतन का 10 प्रतिशत दायित्व भत्ता दिया जाये;

(ख) क्या सरकार ने संपूर्ण पंचाट को स्वीकार कर लिया था;

(ग) क्या अखिल भारतीय दायित्व भत्ता उन व्यक्तियों को भी दिया जा रहा है जिनका स्थानान्तरण 1 जनवरी, 1970 से पूर्व हो गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हाँ । मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिये गये पंचाट के अनुसार, उक्त भत्ता उन कर्मचारियों को मिलना चाहिए जिन्हें उनके

मूल नियंत्रकों के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित किया जाता है और स्थानान्तरित का स्थान उनके अपने राज्य में स्थित नहीं है । पंचाट 1 जनवरी, 1970 से लागू हुआ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जी हाँ, परन्तु भत्ता 1 जनवरी, 1970 से देय बनता है।

(घ) मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर आधारित है ।

अखिल भारतीय प्रतिरक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों को दायित्व भत्ता (लायेबिलिटी एलाउन्स) देना

6698. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा लेखा विभाग के एक विशेष श्रेणी के उन सभी कर्मचारियों को अखिल भारतीय दायित्व भत्ता (लायेबिलिटी एलाउन्स) दिया जाता है जिनकी सेवाएँ स्थानान्तरित हो सकती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). जी नहीं । अखिल भारतीय दायित्व भत्ता उन कर्मचारियों को देय नहीं है जो मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिये गये पंचाट में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते । पंचाट की एक प्रति संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—2086/72.**]

(ग) सरकार ने पंचाट को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है और वह पंचाट से अधिक मानने को तैयार नहीं है ।

अखिल भारतीय प्रतिरक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों को दायित्व भत्ता

6699. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों को अखिल भारतीय दायित्व भत्ता (आल इण्डिया लायेबिलिटी एलाउन्स) देने के बारे में वाँचू आयोग के पंचाट की एक प्रति सरकार सभा पटल पर रखेगी;

(ख) प्रतिरक्षा लेखा विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको अखिल भारतीय दायित्व भत्ता मिल रहा है तथा कितने कर्मचारियों को यह भत्ता नहीं मिल रहा है;

(ग) क्या यह भत्ता उन कर्मचारियों को भी दिया जा रहा है जो सेवा-निवृत्त होने वाले हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पंचाट की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—2087/72.**]

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) जी हाँ, यदि उसे मंजूर करने संबंधी शर्तें पूरी होती हों।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

जवानों के परिवारों के लिए कल्याण निधि की स्थापना

6700. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री नरसिंह नारायण पांडे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवानों के परिवारों के लिए कोई कल्याण निधि आरंभ की गई है।

(ख) यदि हाँ, तो इसमें अब तक कितना धन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इसके अन्तर्गत चलायी जाने वाली योजनाओं की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत कार्मिकों और उनके परिवारों के लिए कुछ कल्याणकारी निधियाँ पहले से ही विद्यमान हैं। जवानों के परिवारों के लिए कोई नई निधि आरम्भ नहीं की गई है। तथापि ऐसे प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिसके अंतर्गत एक ऐसी निधि स्थापित किये जाने का विचार है जिसका अपंग भूतपूर्व सैनिकों तथा लड़ाई के दौरान मारे गये सैनिकों के आश्रितों को उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास तथा लड़ाई के दौरान मारे गये सैनिकों के रिश्तेदारों को आवर्ती/गैर-आवर्ती अनुदानों अथवा ऋणों के लिए प्रयोग किया जा सके।

सिंकिग हैलीकोप्टर

6701. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंकिंग हैलीकोप्टर, जिसके 1971 के मध्य तक मिल जाने की आशा थी, इस बीच प्राप्त हो गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी, हाँ।

बम्बई स्थित नौसेना डाकयार्ड के विस्तार की योजना

6702. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई स्थित नौसेना डाकयार्ड की विस्तार योजना कब तक पूरी हो जायेगी।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : नेवल डाकयार्ड बम्बई की विस्तार योजना 1976 के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है।

उद्योगपतियों, थोक व्यापारियों और बंकरों आदि को दिया गया संस्थागत ऋण

6703. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने उद्योगपतियों, थोक व्यापारियों, बैंकरों और अन्य व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा पाँच लाख रुपये से अधिक राशि के ऋण दिये गये और इन ऋणों की कुल राशि कितनी है; और

(ख) क्या एकाधिकार जाँच आयोग द्वारा उल्लिखित 75 परिवारों और सीमेंट, चीनी, मोटा कपड़ा और अनाज के थोक व्यापारियों,'और स्टाकिस्टों को संस्थागत ऋण देना बन्द करना और इन्हें पहले दिये जा चुके ऋण वापस करने के लिए कहने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंक उस ढंग से जानकारी नहीं रखते जिस तरह से प्रश्न में पूछा गया है। किन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिसम्बर, 1969 से दिसम्बर, 1971 की अवधि के दौरान अर्थ-व्यवस्था के इन क्षेत्रों को दिये गये और ब्रकाया ऋण की कुल रकम 865·4 करोड़ रुपया (शुद्ध) थी जिसका हिसाब दिसम्बर, 1969 तथा दिसम्बर, 1971 के अन्तिम शुक्रवारों के बीच की अवधि अर्थात क्रमश: 1942·5 करोड़ रुपया तथा 2807·9 करोड़ रुपये के अन्तर के रूप में लगाया गया है।

31-3-1971 को समाप्त गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, भारतीय जीवन बीमा निगम ने 278 मामलों में नीचे के ब्यौरे के अनुसार 5 लाख रुपये से ज्यादा के कुल मिलाकर 235·48 करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं :

ऋण-कर्त्ताओं की श्रेणी	मामलों की संख्या	दिया गया अग्रिम (करोड़ रुपयों में)
(1) औद्योगिक एकक		
(क) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को सावधिक ऋण	19	8·27
(ख) सहकारी औद्योगिक सम्पदाओं को ऋण	9	0·63
(ग) चीनी सहकारी संस्थाओं को ऋण	11	3·54
(2) थोक व्यापारी	शून्य	शून्य
(3) बैंक	शून्य	शून्य
(4) अन्य		
(क) आवासन योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को ऋण	49	44·10

ऋण-कर्त्ताओं की श्रेणी	मामलों की संख्या	दिया गया अग्रिम (करोड़ रुपयों में)
(ख) शीर्ष सहकारी वित्त संस्थाओं को ऋण	11	46·77
(ग) राज्य बिजली बोर्डों को ऋण	43	115·50
(घ) जलपूर्ति तथा जल निकासी योजनाओं के लिए नगरपालिकाओं और जिला परिषदों को ऋण	105	13·06
(ङ) विभिन्न बंधक योजनाओं के अंतर्गत ऋण	31	3·61
	278	235·48

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता देता है, जो केवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ हैं और औद्योगिक सहकारी संस्थायें हैं। 31-3-1972 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान, निगम ने 188 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को (55 सहकारी संस्थाओं और 133 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को) 5 लाख रुपये से ज्यादा रकम के कुल मिलाकर 49·68 करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं। (18·24 करोड़ रुपये सहकारी संस्थाओं को और 31·44 करोड़ रुपये पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को)।

सरकार द्वारा किये गये निश्चय के अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने 1963 से ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण देना बन्द कर दिया।

(ख) दीर्घावधिक वित्तीय संस्थायें औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जीवनक्षम परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए सावधि ऋण देती हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्पादक प्रतिष्ठानों की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं को ही पूरा करते हैं। जब तक ऋण की आवश्यकतायें जरूरत के अनुसार हैं, तब तक सरकार का यह विचार नहीं है कि वह किसी भी उधारकर्त्ता को संस्थागत ऋण देने से इन्कार करे या उस ऋण की रकम को जो उसने लिया हो, वापस अदायगी की वाजिब तारीख से पहले वापस करने के लिए कहे।

Twelve Indian Villages in Kutch Recaptured by Pakistan

6704. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the news item published in 'Hindustan' (Hindi) dated the 7th April, 1972 to the effect that Pakistan has recaptured twelve villages in Kutch area; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) Pakistan has not recaptured any of the villages which came into our possession in Kutch area as a result of the recent Indo-Pak war.

Opening of Branches of Nationalised Banks in Shajapur District, Madhya Pradesh

6705. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of new branches of the nationalised banks opened in Shajapur District, Madhya Pradesh during the financial year 1971-72; and

(b) the total number of loans advanced by them for the development of small scale industries during the said period ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) During the period 1st April, 1971 to 29th Febrauary, 1972, only one new branch of a nationalised bank, *viz.*, Bank of India was opened in Shajapur District, Madhya Pradesh. With this addition the number of branches of public sector banks in the District comes to 8. Further licences/allotments are pending with Central Bank of India and Bank of India to open one office each in the District.

(b) The information in regard to the number of loans advances by the newly opened branch is not readily available and the same will be collected to the extent possible and placed on the Table of the House.

राजनीतिक दलों को दान देने पर प्रतिबन्ध

6706. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक दलों को दान देने पर लगे कानूनी प्रतिबन्ध के कारण राजनीतिक दलों को चोरी छिपे धनराशि दी जा रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राजनीतिक दल को प्राप्त हुये सभी दानों के बारे में अनिवार्य रूप से सार्वजनिक घोषणा करनी होगी ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 क जो 28-5-1969 को लागू हुआ, के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिये सांविधिक निषेध है ।

(ख) कम्पनी अधिनियम के कार्य-ढाँचे में ऐसे किसी संशोधन की अपेक्षा नहीं है ।

Central Directive to States Re: Ceiling of Bank Deposits

6707. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have given directives to the States for imposing ceiling on the shares of Companies and various types of deposits in banks on the pattern of the land ceiling: and

(b) the broad outlines thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उड़ीसा में "पोलीथीन फोम" का उत्पादन

6708. **श्री बख्शी नायक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने 'पोलीथीन फोम' के उत्पादन का सुझाव दिया है; और

(ख) क्या इस संबंध में उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है और यदि हाँ, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने पोलीथीन फोम के निर्माण के लिए एक अभ्यावेदन भेजा है। उस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

Narrowing of Gap in Pay Scales of Higher Officers and Lower Officials

6709. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Officers belonging to the Indian Administrative Service and Indian Audit and Accounts Service are paid a special pay of Rs. 200 and Rs. 300, respectively, in addition to their grade pay, on their appointment to the posts of Under Secretaries and Deputy Secretaries or corresponding ad hoc posts in the Ministries of Government of India;

(b) if so, the reasons for paying them special pay when officials at the lower levels are getting an amount equal to special pay of those officers as monthly emoluments;

(c) whether Government propose to narrow the gap in pay scales of higher officers and lower officials; and

(d) if so, the concrete steps so far taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The existing salary scales of Central Government employees have been laid down on the basis of the recommendations of the Second Pay Commission with due regard to the duties and responsibilities of the various posts, the recruitment qualifications prescribed, etc. The disparity between the post tax emoluments of employees in the highest grade and the maximum remuneration of the lowest paid staff is being progressively narrowed down by grant of various allowances and fringe benefits to low paid staff. As a result the disparity ratio in the emoluments between the lowest and the highest (post-tax)

has come down from 1:38 in 1947 to about 1:14 at present. The entire question of review of the existing structure of emoluments of Central Government staff is already before the Third Pay Commission and their recommendations are awaited.

कम्पनियों को पूंजी निवेश बढ़ाने की अनुमति

6710. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कितनी कम्पनियों ने अपने वर्तमान पूँजी निवेश में वृद्धि करने के लिए आवेदन-पत्र भेजे थे;

(ख) कितने आवेदन-पत्र छः महीने से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) कितनी कम्पनियों को पूँजी-निवेश में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पूँजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत, कैलेण्डर वर्ष 1971 में 251 कम्पनियों ने, अतिरिक्त शेयर जारी करके तथा प्रारक्षित निधियों का पूँजीकरण करके अपनी पूँजी में वृद्धि करने की अनुमति माँगी थी।

(ख) आवेदक कम्पनियों से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण न मिलने के कारण 33 आवेदन-पत्र 6 महीने से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं।

(ग) 135 कम्पनियों को अपनी पूँजी बढ़ाने की अनुमति दी गयी है।

Strike in Fertilizer Factory at Barauni (Bihar)

6711. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether some labourers of Fertilizer Factory at Barauni in Bihar were beaten by some constables of the Central Security Force recently and consequently the labourers went on strike in the factory; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) and (b). On 10th April, 1972, there was a scuffle between the workers and the Central Industrial Security Force guards at the gate of the Barauni Fertilizer Factory as one worker wanted to force his entry through the main gate instead of the pedestrian gate which has separately been provided. While the scuffle was going on, an armed party of the CISF jawans which was coming in the meantime from its round saw the mob and fired a few shots in the air. The workers thereupon refused to go inside the factory insisting that the guards concerned should be suspended. After consulting the local management, the Commandant of the CISF suspended the two jawans who had fired the shots as he thought that the firing was not called for. After that the workers resumed their work. An enquiry has been ordered into the incident. The work stoppage was only for a short duration and there was no strike.

जापान से सहायता

6712. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने अमरीकी सहायता के बन्द हो जाने के बाद से उत्पन्न अन्तराल को पूरा करने के लिये पेशकश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अन्तराल को जापान किस सीमा तक पूरा कर सकेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

औद्योगिक वित्त निगम की शाखाओं की स्थापना

6713. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक वित्त निगम की और अधिक शाखाएं खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो ये शाखाएं किन-किन स्थानों पर तथा कब तक खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). औद्योगिक वित्त निगम अप्रैल, 1971 तक नयी दिल्ली स्थित अपने मुख्य कार्यालय तथा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित शाखा कार्यालयों के द्वारा काम करता रहा। ग्राहक निगम तक आसानी से पहुँच सके और उसके द्वारा वर्तमान तथा भावी ग्राहकों की अधिक प्रभावकारी ढंग से सेवा की जा सके इस उद्देश्य से निगम ने विशेषरूप से अविकसित राज्यों में अतिरिक्त शाखाओं/उप-कार्यालयों की स्थापना करने का निर्णय किया है। इसके अनुसार निगम ने 16-5-71 को गौहाटी में, क्रमशः 18-8-1971 और 19-11-1971 को अहमदाबाद और हैदराबाद में दो शाखा कार्यालय और 8 अप्रैल, 1972 को भुवनेश्वर में एक उप-कार्यालय स्थापित किया है। इसका विचार 25-5-1972 को बंगलौर में एक शाखा कार्यालय, जून/जुलाई, 1972 तक कानपुर और पटना में एक-एक उप-कार्यालय तथा 1972 के अन्त तक भोपाल में एक उप-कार्यालय खोलने का है।

Motor Vehicles in use in Central Government Offices

6714. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of motor vehicles in use in the Central Government offices at present;

(b) the number of the motor vehicles which are imported and those which are indigenous; and

(c) the expenditure incurred on their maintenance and Petrol in 1971-72 ?

The Minister of State in tde Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c). The information is being collected from the various Ministries/Departments and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

नेपाल से तस्कर व्यापार

6715. **श्री डी० के० पन्डा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के प्रधान मंत्री के हाल के भारत के दौरे के दौरान नेपाल से भारत में विदेशी माल के तस्कर व्यापार के प्रश्न पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो चर्चा का क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेष) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

टायरों के वितरण में मूल्य-निर्धारण में निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें

6716. **श्री ए० के० कोत्राशेट्ठी** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान टायर निर्माताओं ने एक संगठन बनाया है जिसने वितरण, मूल्य निर्धारण और डीलरशिप आदि के संबंध में निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अपनाई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). निर्बन्धनकारी व्यापार के अनुबन्ध के रजिस्ट्रार ने, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 10 (क) (3) के अन्तर्गत 23-12-1971 को, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष, कथित अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत टायर निर्माताओं द्वारा, निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अपनाने की जाँच के लिये एक आवेदन-पत्र दिया है ।

Alleged Seizure of Bags of Pakistani Cloves in Jodhpur (Rajasthan)

6717. **Shri Hari Kishore Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that five bags of Pakistani cloves were seized in Jodhpur (Rajasthan) recently;

(b) whether Government are also aware that cloves were seized on about 10 occasion prior to this also; and

(c) if so, the facts thereof and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir; 5 bags of cloves weighing 245 Kgs. valued approximately Rs. 29,000/- were seized by Customs Staff at Jodhpur on 20th April, 1972.

(b) and (c). 7 more seizures have been made earlier since June, 1971. The facts of the cases and action taken in each case are given in the attached annexure. [*Placed in Library. See* No. LT—2088/72.]

Deficit Financing During Fourth Plan

6718. **Shri Mahapeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of deficit financing envisaged in the country during the Fourth Five Year Plan; and

(b) the amount of deficit financing done so far and its impact on the country's economy ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) The quantum of deficit financing as originally envisaged in the Fourth Plan at Rs. 850 crores has since been revised upwards in the Mid-term Appraisal to Rs. 1,200 crores.

(b) Deficit financing during the first three years of the Fourth Plan has amounted to Rs. 1,120 crores. When there is no corresponding rise in real output, the impact of deficit financing is usually felt through increases in the price level, which however, is also affected by other factors operating in the economy. Considering the unexpected increases in outlay on account of Bangla Desh refugees, defence, relief for natural calamities, food subsidy, etc. the rise in the price level so far during the Fourth Plan has been relatively moderate.

जाली नोट और सिक्के बनाने के मामलों में कमी

6719. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जाली नोट और सिक्के बनाने के मामलों में कमी हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1970 की तुलना में वर्ष 1971 में इनमें कितनी कमी हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जाली नोटों और सिक्कों के चलन की मात्रा का कुछ संकेत, चलन में प्राप्त होने वाले या समय समय पर पुलिस द्वारा पकड़े गये ऐसे नोटों और सिक्कों की संख्या से प्राप्त होता है। प्राप्त हुए या पकड़े गये नोटों और सिक्कों के ब्यौरों से पता चलता है कि हाल में 5 रुपये और 1 रुपये के जाली नोट अधिक संख्या में सामने आये हैं लेकिन सौ रुपये, दस रुपये और दो रुपये के जाली नोट कम दिखायी दिये हैं। जहाँ तक छोटे सिक्कों का संबंध है 1970 से जाली सिक्के भी कम दिखायी दिये हैं।

(ख) 1971 में लगभग 5,340 जाली सिक्के पकड़े गये हैं जबकि 1970 में इन की संख्या 12,308 थी। जाली करेंसी नोटों के संबंध में स्थिति इस प्रकार थी :

मूल्य	नोटों की संख्या	
	1970	1971
100 रुपये	3,753	2,429
10 रुपये	2,164	1,006
5 रुपये	659	4,579
2 रुपये	7,195	383
1 रुपये	181	12,193

दो पालिस्टर फाइबर संयंत्रों का चालू किया जाना

6720. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र ही दो पालिस्टर फाइबर संयंत्रों को चालू किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो ये कहाँ पर स्थित हैं और उनकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रलाय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) इन दोनों संयंत्रों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

कम्पनी का नाम	स्थान	लाइसेंस युक्त क्षमता
1. इंडियन आर्गेनिक कैमिकल्स लि०, बम्बई	मनाली, जिला मद्रास (तमिलनाडु राज्य)	6,100 मीटरी टन प्रतिवर्ष
2. स्वदेशी पौलिटैक्स लि०, गाजियाबाद	गाजियाबाद (उ० प्र०)	6,100 मीटरी टन प्रतिवर्ष

भारत में एकाधिकार पूंजी पर प्रतिबन्ध

6721. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में एकाधिकार पूँजी में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : सरकार, अनेक कानूनों, जैसे एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, पूँजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम, के अन्तर्गत अपने कार्य-कलापों के प्रयोग के माध्यम से, तथा साथ ही संयुक्त क्षेत्र के निर्माण के प्रोत्साहन, ऋणों को साम्य में परिवर्तन, व नियंत्रक

समूह के साम्य नियंत्रण के अवमिश्रण द्वारा, आर्थिक शक्तियों के संकेन्द्रण को विनियमित करने का प्रयास कर रही है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बिहार के पिछड़े जिलों को रियायती दर पर धन दिया जाना

6722. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बिहार के पिछड़े जिलों को और विशेषकर छोटा नागपुर को रियायती दर पर कितना धन दिया गया है;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ली गई ब्याज दर बैंक दर से अधिक है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बिहार राज्य वित्त निगम को 31 मार्च, 1972 तक $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज की रियायती दर पर 23·17 लाख रुपये की पुनर्वित्त सहायता की मंजूरी दी है। निगम ने आगे चल कर राज्य में औद्योगिक दृष्टि से औरों की तुलना में कम विकसित अधिसूचित जिलों में स्थित औद्योगिक कंपनियों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती दर पर ऋण मंजूर किये हैं। इस रकम में से, 3·96 लाख रुपये के ऋण, बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा जिला संथाल परगना में दो और छोटा नागपुर के जिला पालामऊ में स्थित एक औद्योगिक एकक को मंजूर किये गए हैं।

(ख) और (ग). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रत्यक्ष ऋणों पर लिये जाने वाले रियायती ब्याज की दर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष है जबकि इसकी ऋण की सामान्य दर $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष है और बैंक दर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए धन जुटाने की लागत और वित्त प्रबन्ध से सम्बन्धित अन्य आकस्मिक व्यय को ध्यान में रखते हुए निश्चित की गयी थी।

अमरीका द्वारा श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड को ऋण दिया जाना

6723. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड नामक भारत-अमरीकी संयुक्त उद्यम को एक करोड़ रुपये का ऋण दिया है; और

(ख) इसका वार्षिक उत्पादन कितना है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने पी० एल०-480 कूले निधियों से श्री सिन्थेटिक्स लिमिटेड को एक करोड़ रुपये का एक ऋण दिया है।

(ख) कपंनी द्वारा प्रतिवर्ष 1100 टन नाइलोन और पोलीस्टर फिलामेंट धागे का उत्पादन किए जाने की सम्भावना है जिसका मूल्य चालू कीमतों के अनुसार 162 लाख रुपया होगा।

दिल्ली में लघु उद्योग स्थापित करने में बेरोजगार सेवा निवृत्त सैनिक अधिकारियों की सहायता करने की योजना

6724. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में लघु उद्योग स्थापित करने में बेरोजगार सेवा निवृत्त सैनिक अधिकारियों की सहायता करने के लिए एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उक्त योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : एक योजना बनाई गई है। (क) भूतपूर्व सैनिकों में उद्यमी भावना पैदा करके उन्हें स्वयं रोजगार के अवसरों के संबंध में जो कि छोटे उद्योग धन्धों से प्राप्त होते हैं, की शिक्षा देकर, आर्थिक सूचना का प्रचार करके, मार्ग दर्शन तथा सहायता देने के लिए।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों को छोटे उद्योगों के लिए अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था करके जैसे औद्योगिक प्लाट, किराए-खरीद पर यंत्र, कच्चा माल तथा अधिमान के आधार पर साख सुविधा, आरक्षण तथा केन्द्र/राज्य सरकारों से तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी/गैर सरकारी अभिकरणों से छोटे उद्योगों को विकसित करने के लिए अधिमान के आधार पर सुविधा दिलाना। यह योजना भूतपूर्व सैनिकों के साथ साथ सेवारत अफसरों तथा कार्मिकों को जो कि सेवा निवृत्ति के निकट हैं, इसमें वह भी शामिल हैं जो दिल्ली में आबाद होना चाहते हैं, के लिए भी लागू होगी।

बादली में औद्योगिक प्लाटों को राज्य उद्योग निदेशालय के द्वारा आबंटन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ओखला औद्योगिक भू सम्पत्ति पर 1/4 एकड़ से कम साइज के 125 औद्योगिक प्लाटों को पूर्व निर्धारित दर पर रक्षा सेवा अफसरों के लिए इस शर्त पर आरक्षित रखा गया है कि इस प्रकार के प्लाट में जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे वह बेरोजगार अफसर के अपने नाम पर जिसे प्लाट आबंटित किया गया है लाइसेन्स पंजीकृत होना चाहिए।

नेशनल डिफेंस कालेज को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध करने का प्रस्ताव

6725. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल डिफेंस कालिज को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार मास्टर आफ मिलिटरी साइंस की डिग्री प्रदान करके उक्त कालिज में दिए जाने वाले प्रशिक्षण को मान्यता देने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त कालेज को सम्बद्ध करने से कालेज के सैनिक स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). जी, नहीं श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में नैपथा की कमी को दूर करने के उपाय

6726. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नेफ्था की कमी से देश में उर्वरक के उत्पादन में कमी होने की आशंका है; और

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). चालू वर्ष के दौरान देशीय उत्पादन से तथा आयात द्वारा नेफ्था की कुल उपलब्धि से उर्वरक तथा पैट्रो-रसायन संयंत्रों की पूर्ण आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी । चालू वर्ष के दौरान 16·5 लाख मीटरी टन की माँग होने का अनुमान है । इसके देशीय उत्पादन से 13·3 लाख मीटरी टन तक और आयात द्वारा 3·2 लाख मीटरी टन तक पूरा करने का प्रस्ताव है । भारतीय तेल निगम द्वारा 2 लाख मीटरी टन नेफ्था आयात करने का वायदा किया जा चुका है । नेफ्था के वास्तविक देशीय उत्पादन तथा खपत को ध्यान में रखकर शेष मात्रा के आयात के लिए इस वर्ष के अन्त में किसी उपयुक्त समय पर प्रबंध किए जायेंगे ।

आवास ऋणों के लिए जीवन बीमा द्वारा मंजूर की गई राशि

6727. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान आवास ऋणों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ख) उक्त राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). मांगी गयी सूचना के तीन विवरण-पत्र संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० —2089/72.**]

Apprehension of Jeeps Carrying Opium in Kotah

6728. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Deputy Narcotics Commissioner, Kotah, Rajasthan caught two jeeps carrying 477 Kgs. of opium; and

(b) if so, the names of the persons apprehended for carrying opium and the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). The Preventive Staff of the Deputy Narcotics Commissioner, Kotah caught two jeeps carrying 476·350 Kgs. of opium. Details of seizures and the arrests made in the connection are as follows :—

Date of seizure	Jeep No.	Quantity seized Kgs.	Name of persons arrested
3.4.72	RJW 503	234·750	(1) Mangla Ram, (2) Bhanwar Singh and (3) Shafi
4.4·72	RJZ 5018	241·600	(1) Kishna Ram

Further investigations are in progress.

खाद्यानों के लिए अग्रिम धन राशि देने के संबंध में विशिष्ट ऋण नियंत्रण में रियायत

6729. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने सप्लाई तथा मूल्य स्थिति के पुनर्विलोकन के पश्चात् खाद्यानों तथा अन्य वस्तुओं के लिये अग्रिम धनराशि देने के संबंध में विशिष्ट ऋण नियंत्रण में रियायत देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की रियायत देने का निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). पूर्ति तथा मूल्यों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में, खाद्यानों, कपास, रुई, तिलहनों, वनस्पति तेलों (वनस्पति सहित), चीनी, गुड़ और खांडसारी के लिए दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों से संबंधित नियंत्रणों के उपबंधों में कुछ रियायतें दी हैं। इन रियायतों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

(1) **खाद्यान** : इस वर्ष अन्न का पहले से ज्यादा उत्पादन होने के कारण, बैंकों को अनुमती दे दी गयी है कि वे पिछले वर्ष के अग्रिमों के स्तर के मुकाबले अन्न के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिमों में (मार्च-अप्रैल, 1972 से शुरू करके) 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकते हैं।

इस अतिरिक्त ऋण को बैंक प्राथमिकता के आधार पर; अपनी उन शाखाओं के लिये निर्धारित कर सकते हैं, जो उन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ पर उत्पादन तथा उसके फलस्वरूप ऋण की आवश्यकता में भी हाल में समान रूप से वृद्धि हुई है। किन्तु बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे दालों के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिमों के मामले में सावधानी और निग्रह से काम लें, क्योंकि दालों का उत्पादन और उनकी पूर्ति की स्थिति अब तक भी सुखद नहीं है।

(2) **रुई और कपास** : उस अवधि में वृद्धि होने के साथ-साथ, जिस तक कारखाने वस्त्र आयुक्त की अनुमति के अनुसार कपास के भण्डार रख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने, 27 मार्च, 1972 को, कपड़े के कारखानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कपास के स्टाक के संबंध में मौजूदा विशिष्ट अवधियों में जिनके संबंध में बैंक द्वारा न्यूनतम मार्जिन निर्धारित किये जाते हैं। हर मामले में चार सप्ताह की वृद्धि कर दी है। इसके अलावा, कपड़े के कारखानों से भिन्न पार्टियों को सहायता देने की दृष्टि से, पहली अक्तूबर, 1971 से प्राप्त कपास और रुई के स्टाक के संबंध में, इन पार्टियों को दिये जाने वाले अग्रिमों के लिये निर्धारित न्यूनतम मार्जिन में 10 प्रतिशत कमी कर दी गयी है।

कपास की नयी किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से, 25 प्रतिशत की निचले न्यूनतम मार्जिन से संबंधित रियायतों तथा अधिकतम नियंत्रण संबंधी छूट, कपास की कुछ और नई और/अथवा लम्बे रेशे की कपास की कुछ किस्मों अर्थात् हम्पी, वरलक्ष्मी मालझारी, नर्मदा ए-51/9, खंडवा I तथा बदनावर I के संबंध में भी लागू कर दी गई है।

(3) **तिलहन/तेल** : पश्चिम बंगाल और बिहार के राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के तेल कारखानों को प्रत्येक कारखाने में दो मास तक खपत के लिये पर्याप्त मात्रा में तोरिया/सरसों के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिमों के न्यूनतम मार्जिन को 60 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

(4) **चीनी, गुड़ और खांडसारी** : चीनी, खांडसारी और गुड़ के आधार पर, थोक उपभोक्ता सहकारी स्टोरों तथा राज्यीय और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को दिये जाने वाले अग्रिमों को नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया है। सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त/नियुक्त और/अथवा सांविधिक राशन व्यवस्था/उचित मूल्य संबंधी वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी राज्यों तथा संघीय राज्य-क्षेत्रोंमें कारबार करने वाले थोक और खुदरा व्यापारियों को चीनी के आधार पर जो अग्रिम दिये जाते हैं, उनको भी, उस सीमा तक जिस तक सरकार ने चीनी की मात्रा उनको दी हो, मार्जिन विषयक नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है।

(5) **भाण्डागार रसीदें** : केन्द्रीय तथा राज्यीय भाण्डागार निगमों द्वारा दी जाने वाली भाण्डागार संबंधी व्यवस्थाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दिये जाने की दृष्टि से अन्य नियंत्रित वस्तुओं के संबंध में भी (जैसे अन्न के संबंध में) इस प्रकार के निगमों द्वारा जारी की गयी भाण्डागार रसीदों के आधार पर उनके द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में बैंकों द्वारा रखे जाने वाले न्यूनतम मार्जिन में भी 10 प्रतिशत की कमी की अनुमति दे दी गयी है। सभी नियंत्रित वस्तुओं के संबंध में, इस प्रकार की भाण्डागार रसीदों के आधार पर प्रति ऋणकर्त्ता 25,000 रुपये के ऋण तक दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों को अधिकतम सीमा के नियंत्रण से भी मुक्त कर दिया गया है।

(6) **सीमावर्ती जिलों में छूट** : अन्न, तिलहन, वनस्पति तेलों (वनस्पति सहित), कपास और रुई और चीनी तथा गुड़, और खंडसारी के आधार पर दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों की नियंत्रण से मुक्ति की जो अवधि सीमावर्ती तथा उनके पास के जिलों के लिये अप्रैल, 1972 तक बढ़ा दी गयी थी उसे और आगे अक्तूबर, 1972 के अंत तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा यह भी फैसला किया गया है कि बैंक कपड़ा मिलों तथा व्यापारियों को, गुणावगुणों के आधार पर ऋण की और अधिक सुविधाएं और तीन महीने तक के लिये अर्थात् जुलाई, 1972 के अन्त तक के लिये दे सकते हैं।

सुरक्षित बचत योजनायें

6730. **श्री श्रीकिशन मोदी** :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकखानों, सावधिक जमा लेखा और आवर्ती जमा लेखाओं में धन जमा करने वाले छोटे बचत कर्त्ताओं के लिए नई सुरक्षित जमा योजना प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसके कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हाँ।

(ख) बढ़ने वाले डाकघर सावधि जमा खातों में निवेश करने वाले छोटे बचतकर्त्ताओं के लिए सुरक्षित बचतों की नयी योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

1. यह योजना 5/- रुपये और 10/- रुपये के 5 वर्ष की अवधि के बढ़ने वाले डाकघर सावधि जमा खातों और आवर्ती जमा खातों पर लागू होगी।

2. यदि रकमें, किसी क्रम-भंग के बिना लगातार 2 वर्ष तक जमा करायी जाती रही हों और यदि इस अवधि में कोई निकासी न की गई हो तो खाते को बंद किए जाने से पहले किसी भी समय अंशदाता की मृत्यु हो जाने की दु:खद स्थिति में उत्तराधिकारी को खाते के पूरे मूल्य की अदायगी की जायगी।

3. यह योजना उन वयस्कों के लिए उपलब्ध है जिनकी आयु खाता खोलने के समय 53 वर्ष से अधिक न हो।

सुरक्षित बचत योजना को पहली जुलाई, 1972 से लागू करने का प्रस्ताव है।

विभिन्न राज्यों में पर्यटक गृह बनाने का प्रस्ताव

6731. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में पर्यटक गृह बनाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार कितने पर्यटक गृह बनाये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). युवा होस्टलों, आखेट शरण-स्थानों के विश्राम गृहों, स्वागत केन्द्रों तथा पर्यटक बंगलों के रूप में पर्यटकों के लिये अनुपूरक आवास निर्माण का प्रस्ताव है। इन प्रायोजनाओं की एक राज्य-बार सूची संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—2090/72.**]

वित्तीय सहायता के लिये डेनमार्क से करार

6732. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के बारे में डेनमार्क की सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो करार के अन्तर्गत भारत को कुल कितनी राशि दी जायगी और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हाँ।

(ख) 4 करोड़ रुपये के एक नए डेनिश ऋण के लिए 24 अप्रैल, 1972 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह ऋण 25 वर्ष की अवधि में वापस अदा किया जाना है जिसमें 7 वर्ष की रिआयती अवधि भी शामिल है; इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

इस ऋण राशि का उपयोग डेनिश सेवाओं और डेनिश उद्भव के पूँजीगत उपकरणों, संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात के लिए किया जा सकेगा। डेनिश ऋण के अन्तर्गत आयात की जा सकने वाली वस्तुओं की सूची संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—2091/72.**]

Loans Advanced to Industrialists and Farmers by Nationalised Banks in Bihar

6733. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced to big industrialists, persons running small scale

industries and farmers, separately, by the banks functioning in Bihar during the year prior to bank nationalisation;

(b) the loans advanced to the said categories of persons, separately, during 1970-71 and 1971-72 after nationalisation of banks; and

(c) the percentage of the loans advanced to the persons running small scale industries, farmers and unemployed engineers and other graduates, separately, during the last two years ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b). Available data on advances of scheduled commercial banks to small scale industries, agriculturists, craftsmen and other qualified engineers in Bihar State are given in the Annexure. Information relating to advances to big industries is not readily avallable; it is being collected and will be laid on the table of the House.

(c) The necessary information will be collected to the extent feasible and the same will be made available to the House.

Statement

Advances to Small-scale Industries, Direct Finance to Agriculture and craftsmen and other qualified entrepreneurs by Scheduled Commercial Banks in Bihar State

(Amount outstanding in Rs. crore)

	As on the Last Friday of			
	June, 1969	June, 1970	June, 1971	Sept., 1971
1. Small-scale Industry	3·24	5·90	8·98	8·50
2. Direct Finance to agriculture.	0·26	3·11	4·88	5·01
3. Craftsmen and other qualified entrepreneurs.	N. A.	N. A.	0·19	0·30

N. A. Not available.

Paucity of Drinking Water in Danapur Cantonment

6734. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the people residing in Danapur Cantonment Board area are facing great difficulty with regard to drinking water;

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government to remove the difficulty;

(c) whether paucity of funds is the main hindrance in the way nf solving water problem and increasing civic amenities there; and

(d) if so, whether Government propose to grant special financial assistance to Danapur Cantonment Board for the purpose ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). The supply of water to the people residing in Danapur Cantonment Board area is adequate. However, there has been a temporary decrease in the water supply due to one of the pumps going out of order. Repairs to this pump are in hand.

(c) and (d). There is no water problem as such. However Danapur is a State-aided Cantonment Board and can provide amenities to the extent its limited resources permit. The Central Government also gives financial assistance; and during the years 1970-71 and 1971-72 Rs. 1 lakh and 1·07 lakhs respectively were sanctioned by way of special grant-in-aid.

Civic Works Held up for Want of Finance in Danapur Cantonment

6735. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether many civic works are not being executed on account of financial crisis faced by the Danapur Cantonment Board;

(b) whether the Board has demanded any assistance from Government; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Danapur Cantonmnet Board is not a self-sufficient Board and depends upon grant-in-aid from the Central Government for balancing its budget. Consequently, it can execute civic works only to the extent its financial position permits.

(b) and (c). Yes, Sir. Against a projected requirement of Rs. 2,29,000 and Rs. 2,70,000 during the years 1970-71 and 1971-72, sums of Rs. 1 lakh and Rs. 1·07 lakhs, respectively, were sanctioned by the Central Government as special grants-in-aid during these two years.

Provision of a High School in Danapur Cantonment

6736. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Danapur Cantonment Board does not run any High School at present;

(b) whether the Cantonment Board has demanded upgradation of its Middle School at Turettoli to High School level; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

Grant of Loans by State Bank at Dabwali in Haryana

6737. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item published in 'Seemadeep', a weckly published from Dabwali in Haryana in its issue of 9th April, 1972 that the local branch of State Bank of India does not grant loans to the poor; and

(b) if so the reaction of Government thereto ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b). A short report appeared in the weekly paper 'Seema Deep' of 9th April, 1972 alleging that from the branch of the State Bank of India at Dabwali in Haryana loans are given to those who do not need them and that there are complaints about local people not getting employment in the Bank.

The State Bank of India has a small branch at Dabwali, which is a small mandi town in Haryana. The branch has a broad range of business and among its borrowers are small farmers, transport operators, small businessmen as also small scale industries. Crop loans have by and large gone to small farmers and the average outstanding per account is Rs. 1,400/-. In respect of small traders the average outstanding per account is Rs. 11,000/-. The branch is at present engaged in carrying out a survey for adopting villages; when this is done the branch will be in a position to meet the entire credit requirements of small farmers in the adopted villages.

Recruitment of staff is not done by branches in the State Bank of India.

भारत में औषधियाँ एवं औषधि-निर्माता कम्पनियाँ

6738. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय औषधियाँ, भेषज और रसायन बनाने वाली ऐसी कितनी कम्पनियाँ हैं जिनमें 25% से अधिक विदेशी पूँजी लगी है; और

(ख) इन कम्पनियों द्वारा गत दो वर्षों में तकनीकी जानकारी की फीस और रायल्टी के रूप में कितनी धनराशि भारत से बाहर भेजी गयी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

बम्बई में सोना गलाने के संयंत्र का पकड़ा जाना

6739. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में बम्बई में सोना गलाने का कोई संयंत्र पकड़ा गया था और क्या उक्त मामले में कोई जाँच की गई; और

(ख) यदि हाँ, तो मामले का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). जी हाँ। स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 के अधीन अपराधों के सिलसिले में, 19-4-1972 को एक प्रमाणीकृत स्वर्णकार के बम्बई स्थित स्थान से लेखाबाह्य 4188·100 ग्राम शुद्ध सोना और 15 400 ग्राम सोने के जेवरात और साथ में एक छोटी भट्टी तथा तार-खींचने की मशीन पकड़ी गयी। प्रमाणीकृत स्वर्णकार को गिरफ्तार किया गया था परन्तु जमानत पर छोड़ दिया गया है। जाँच-पड़ताल चल रही है।

नागपुर मे उर्वरक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव

6740. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में 74 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जाने वाली उर्वरक परियोजना के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). नागपुर के निकट काम्पटी नामक स्थान पर कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाने की स्थापना करने के लिए मैसर्स ओरियन्टल कोल कम्पनी लि० को जून, 1969 में एक आशय-पत्र दिया गया था। अवधि के कई बार बढ़ा देने के बावजूद भी पार्टी आशय-पत्र में दी गई शर्तों को पूरा नहीं कर सकी है। सरकार ने इसकी मियाद को आगे न बढ़ाने का निर्णय कर लिया है।

राकेट और पानी में मार करने वाले हथियारों आदि के विकास के लिए वैज्ञानिक संस्थाओं में उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग

6741. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राकेट और प्रक्षेपणास्त्र, एयरोनाटिक्स और पानी में मार करने वाले हथियारों का विकास करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या उपलब्ध प्रतिभा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए रक्षा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के साथ निकट सम्पर्क बनाये हुए हैं; और

(ग) क्या वैज्ञानिक संस्थाओं ने इस क्षेत्र में कोई योगदान दिया है, और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). इन क्षेत्रों में आवश्यक कुछ मूलभूत अध्ययनों के लिए विशिष्ट विकास परियोजनाओं को पूरा करने तथा प्रशिक्षण और अध्ययन में वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा योगदान दिया गया है ।

New Training College set up for Pilots in Nagpur

6742. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a new training college for training pilots was set up in Nagpur last year;

(b) if so, the number of trainees admitted to the College; and

(c) whether Government have given them any guarantee of employment ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

भारत से चांदी का चोरी छिपे बाहर ले जाया जाना

6743. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 और 1971 में भारत से चाँदी को चोरी छिपे बाहर ले जाने के आरोप में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) । (क) जी हाँ ।

(ख) वर्ष 1970 तथा 1971 के दौरान चाँदी के अभिग्रहणों की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए पूरी सूचना को एकत्र करने में बहुत अधिक समय लगेगा । फिर भी जिन मामलों में चाँदी की अपेक्षाकृत बहुत बड़ी मात्रा का तस्कर निर्यात करने का प्रयत्न किया गया था उनके संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम अनुबन्ध में दर्शाये गये हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—2092/72.**] सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत न्याय निर्णय संबंधी कार्यवाही करने के अलावा, जिसके कारण पकड़ी गयी चाँदी जब्त की जाती है तथा संबंधित व्यक्तियों पर दंड लगाये जाते हैं, उपर्युक्त मामलों में न्यायालयों में इस्तगासे की कार्यवाही भी की जाती है।

Financial Assistance to Rajasthan for Famine Affected Areas

6744. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of financial assistance provided for the famine-affected Districts of Rajasthan and terms and conditions relating thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : No financial assistance has so far been provided to the Government of Rajasthan towards drought relief measures in the current financial year. However, in response to a request from the State Government a Central team would visit the State shortly to make an on-the-spot assessment of the situation and to recommend ceilings of expenditure for various drought relief measures, for purposes of Central assistance.

सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को सहायता दिया जाना

6745. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् को सहायता देती है और यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में, वर्षवार, भवन आदि के निर्माण के लिए कितनी सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : जी हाँ। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख रुपए का सामान्य प्रयोजन अनुदान दिया जाता है (1972-73 के लिए 1,90,000 रुपये की बजट व्यवस्था है)। परिषद की इमारत की चौथी मंजिल के निर्माण के व्यय के अतिरिक्त इसे पिछले तीन वर्षों में कुल 1·25 लाख रुपए का विशिष्ट अनुदान स्वीकृत किया गया और दिया गया था, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. फरवरी, 1969	...	51,600 रुपये
2. जनवरी, 1970	...	63,000 "
3. सितम्बर, 1971	...	10,400 "

Arrears of Income-Tax Against Top Individuals in India

6746. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of the 25 persons who pay the maximum amount of Income-tax in our country;

(b) the names of the persons against whom Income-tax arrears are outstanding for a period of more than three years; and

(c) the reasons for which Government have not been able to realise the arrears from them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c). The information regarding the names of the top 25 assessees who pay the maximum amount of income-tax on the basis of the assessment completed during the financial year 1971-72, the names of those persons out of these 25 against whom income-tax arrears are outstanding for a period of more than 3 years and the reasons for which the Government have not been able to realise the arrears from them is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Distribution of Kerosene Oil Among States

6747. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the criteria laid down for distribution of Kerosene Oil among the States :

(b) whether Bihar received lesser quantity of Kerosene Oil during the last three years as compared to other States; and

(c) if so, whether Government now propose to distribute Kerosene Oil on the basis of population ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) to (c). The demand projections for kerosene are being made in consultation with the Indian Institute of Petroleum, the National Council of Applied Economic Research and the marketing oil companies. These projections are based on past consumption trends and other known features such as the availability of alternative fuels etc. It has been noted that kerosene consumption is not related to the population of a State and is dependent, inter alia, on the availability and the price of other fuels, and other such factors. The all India demand projections are then broken up State-wise and month-wise after taking into account the seasonal fluctuations in demand, requests if any for additional supplies made by the State Governments, and other local considerations. The monthly State-wise anticipation of kerosene requirements are being intimated in advance to the State Governments and the oil companies, the latter having standing instructions to meet the requirements in full and to vary the deliveries in accordance with the actual materialisation of demand. This arrangement is working satisfactorily. On this basis Bihar has received more kerosene than some States while other States have received more kerosene than Bihar. As the actual consumption of this product has not been dependent on population only it is not proposed to adopt this basis.

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों में चुने गए अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रत्याशी

6748. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए चुने गए अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों की प्रतिशतता जिलेवार क्या है;

(ख) इन पदों के लिए कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए और कितने प्रत्याशियों को चुना गया; और

(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति के उपयुक्त व्यक्ति न मिलने के कारण कितने पद अन्य जातियों के प्रत्याशियों से भरे गए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार तथा पश्चिम बंगाल में तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी

6749. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान बिहार तथा पश्चिम बंगाल में जिलेवार कुल कितने तस्कर व्यापारी गिरफ्तार किए गए; और

(ख) उनसे कुल कितने मूल्य का तस्करी का सामान बरामद किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1971 में बिहार तथा पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किए गए तस्कर व्यापारियों की जिलावार संख्या निम्नानुसार है :

बिहार

	जिले का नाम	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1.	चंपारन	31
2.	मुजफ्फरपुर	10
3.	दरभंगा	1
4.	सहरसा	4
5.	पूर्णिया	31
6.	पटना	3
7.	सारण	3
8.	साहाबाद	4
9.	मुंगेर	2
10.	राँची	1
	जोड़ :	90

पश्चिम बंगाल

	जिले का नाम	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
1.	24 परगना	13
2.	नादिया	18
3.	मुर्शिदाबाद	1
4.	कलकत्ता	54
5.	दार्जिलिंग	13
6.	पश्चिम दीनाजपुर	6
7.	कूच बिहार	1
	जोड़ :	106

(ख) गिरफ्तार व्यक्तियों से पकड़े गये तस्करी के माल का मूल्य लगभग 58 लाख रुपये है।

छोटा नागपुर और भागलपुर के किसानों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

6750. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटा नागपुर और भागलपुर डिवीजनों के किसानों को कृषि कार्यों के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की कुल राशि का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त बैंकों से ऋण प्राप्त करने में किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). ऋणकर्त्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे प्रक्रियाओं और आवेदन-पत्रों का सरलीकरण करें और कृषि समेत उपेक्षित क्षेत्रों के वित्त-पोषण को प्राथमिकता दें।

'Gheraos' and Strikes in the Banks in Bihar

6751. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of times 'Gheraos' and strikes which took place in the nationalised banks in Bihar during the last one year; and

(b) the action taken by Government with a view to curb the indiscipline prevailing in the banks ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

(b) Every nationalised bank being a separate body corporate, it is for the management of the individual banks to take appropriate steps to curb indiscipline in the banks.

Number of Air Hostesses in Air India and Indian Airlines

6752. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri Vayalar Ravi :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of Air Hostesses in Air India and Indian Airlines, respectively;

(b) the qualifications laid down for their recruitment;

(c) the pay-scales of Air Hostesses and the amount of pension given to them after retirement; and

(d) whether there is any difficulty in getting enough number of candidates for these posts and if so, the steps taken by Government in the matter ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :

	Air-India	Indian Airlines
(a)	(as on 1-5-72)	(As on 11-5-72)
	343	337

(b) Selection of Air Hostesses is made by a selection board from among candidates satisfying the following conditions :

(i) Age should be between 19 and 25 years.
(ii) Must have passed at least SSC/matric or equivalent examination.
(iii) Vision should be normal without glasses, including contact lenses.
(iv) Must be unmarried.
(v) Good appearance and deportment and physical fitness.
(vi) Candidate must be Indian citizens in the case of Indian Airlines only.

(c) Rs. 485–25–560–40–720–50–770.

There is no pension scheme in operation in Air-India and Indian Airlines. Air Hostesses are paid gratuity in accordance with the Employees' Service Regulations.

(d) No, Sir.

भारत-पाक युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों के सदस्यों को राज्य सरकारों द्वारा रोजगार देना

6753. **श्री वी० मायावन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत भारत-पाक युद्ध में मारे गये सैनिकों के कितने आश्रितों को राज्य सरकारों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? उनकी संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

6754. **श्री समर गुह** :
श्री डी० के० पंडा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों पर भारत की कौन-कौन सी तथा किस प्रकार की विकास योजनाएँ निर्भर हैं;

(ख) क्या यह आश्वासन दिया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से परियोजनावार ऋण दिया जायेगा; और

(ग) भारत को विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा विकास ऋण देना बन्द कर देने से प्रभावित होने वाली विकास योजनाओं के वित्त-पोषण के संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा ऋण विद्युत प्रेषण, रेल, दूर संचार, सिंचाई, उर्वरक उत्पादन, कृषि ऋण, गेहूँ संग्रहण, विपणन स्थानों आदि जैसे क्षेत्रों की विशेष परियोजनाओं और कार्यक्रमों आदि के लिए दिए जाते हैं।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को दिए जाने वाले विकास ऋणों का निलंबन नहीं किया गया है।

डाक-घर छोटी बचत योजनाओं द्वारा एकत्र धनराशि का विकास कार्यों के लिए नियतन

6755. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में गाँवों के डाकघरों में राज्यवार छोटी बचतों द्वारा कितना धन एकत्र हुआ है; और

(ख) इन बचतों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में किस अनुपात में खर्च किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आय पर रोजगार उप-कर

6756. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर और निगमित करों के समान रोजगार उपकर लगाने का कोई प्रस्ताव है जिससे विशेष रोजगार प्रधान परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). भारत सरकार, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) द्वारा श्री बी० भगवती की अध्यक्षता में नियुक्त बेरोजगारी विषयक समिति ने फरवरी, 1972 में प्रस्तुत अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि उसके द्वारा सुझायी गयी रोजगार संबंधी योजनाओं के वित्त-प्रबंध के एक उपाय के रूप में आय

तथा निगम करों पर रोजगार संबंधी विशेष अधिभार लगाया जाए। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

1971-72 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटक

6757. **श्री एस० एन० मिश्र** :
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 में कितने विदेशी पर्यटक भारत आए; और

(ख) उनकी देश-वार संख्या कितनी-कितनी थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1971 में 300,995 विदेशी पर्यटक भारत आए।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया] देखिए संख्या एल० टी०—2093/72.**]

तरल गैस के लिए पात्रों की कमी

6758. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पात्रों के अभाव में भारतीय तेल शोधक कारखाने में कितनी तरल गैस जला देने की अनुमति दी है;

(ख) इसका सर्वसाधारण द्वारा पूरा उपयोग कब तक किया जाने लगेगा;

(ग) उत्तर प्रदेश की तरल गैस की माँग कब तक पूरी की जा सकेगी; और

(घ) इस दिशा में अब तक क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). पात्रों की कमी के कारण देश में इस समय कोई भी परिष्करणशाला तरल पेट्रोलियम गैस को जला नहीं रही है। यदि वितरण प्रबन्ध, जिनमें पात्रों की उपलब्धि शामिल है, और दृढ़/अधिक हो जायें तो तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन को अधिकतम करना संभव हो सकता है। इसे किया जा रहा है।

(ग) और (घ). भारतीय तेल निगम इस समय उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में तरल पेट्रोलियम गैस बेच रहा है और इन शहरों के लगभग 34,000 ग्राहक प्रतीक्षा-सूची में हैं। आशा

है कि इन सभी ग्राहकों को 1972 के अन्त तक गैस के शीघ्र वितरण की सुविधा की व्यवस्था की जायेगी। बर्मा-शैल भी तीन शहरों अर्थात् बरेली, गाजियाबाद तथा वाराणसी में एल० पी० जी० बेच रहा है।

लखनऊ तथा वाराणसी में नए ग्राहकों का पंजीयन बढ़ाने के लिए भारतीय तेल निगम ने इंडेन के अतिरिक्त वितरकों की नियुक्ति की है और कानपुर, इलाहाबाद तथा गोरखपुर में अतिरिक्त वितरक नियुक्त करने का प्रस्ताव भी है। एल० पी० जी० की माँग का ठीक-ठीक निर्धारण करना कठिन है। मिट्टी के तेल जैसे अपेक्षाकृत सस्ते प्रतियोगी अन्य ईंधन भी उपलब्ध हैं। केवल अपेक्षाकृत उच्च आय वर्ग के परिवार सामान्य रूप से एल० पी० जी० खरीद सकते हैं। इस बात का इस तथ्य से पता चलता है कि कुछ शहरों में परितृप्ति की सीमा आ चुकी प्रतीत होती है और कुछ अन्य शहरों में संभाव्यताएँ बहुत थोड़ी प्रतीत होती हैं।

तो भी, वितरण सुविधाएं तथा सिलेन्डरों की उपलब्धि को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है।

भारत आने वाले पर्यटकों के देशों से भारत के लिए विमान किरायों में वृद्धि

6759. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों में भारत के लिए विमान यात्रा के किरायों में कितनी वृद्धि की गई है जहाँ से पर्यटक भारत आते हैं;

(ख) इसका भारत के पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) अधिक संख्या में पर्यटक आकर्षित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उत्तरी अमरीका से भारत के लिए किरायों को छोड़कर, जिन देशों से भारत के लिए पर्यटक आते हैं वहाँ के साधारण या प्रोत्साही किरायों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अमरीकी डालर के अवमूल्यन के कारण उत्तरी अमरीका से भारत के लिए किराए में वृद्धि 4% से 7% तक है। वास्तव में यह वृद्धि उत्तरी अमरीका से विश्व के सभी भागों के लिए किरायों में हुई है तथा यह अप्रैल, 1972 से लागू हुई।

(ख) उत्तरी अमरीका से भारत के लिए किरायों में वृद्धि का प्रभाव बहुत मामूली होने की आशा है। इसके कारण पर्यटक यातायात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

(ग) भारत के लिये पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि के लिए घटी दर पर कई किराये विद्यमान हैं और उन्हें और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इन किरायों का लगातार पुनर्विलोकन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में बेकार इंजीनियरों और भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी सहकारी समितियों को इण्डेन गैस की एजेंसियाँ देना

6760. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर इण्डेन गैस की एजेंसियाँ दी गई हैं;

(ख) किन स्थानों में ये एजेंसियाँ देने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) इनमें से कितनी एजेंसियाँ इस राज्य में बेकार इंजीनियरों/उनकी सहकारी समितियों/भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी सहकारी समितियों को दी गई हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). इस समय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों पर वितरकों की मार्फत इंडेन गैस की बिक्री की जा रही है :

इलाहबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, देहरादून, ऋषिकेश (आई० डी० पी० एल० कालोनी), हरिद्वार (केवल एच० ई० एल० टाऊनशिप), गाजियाबाद और रुड़की।

इंडेन गैस की एजेंसियाँ निम्नलिखित स्थानों के लिए भी दी गई हैं लेकिन यह एजेंसियाँ आगामी 3/4 महीनों के दौरान चालू की जायेंगी :

बरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़।

(ग) उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की एजेंसियाँ मंजूर करने की स्थिति इस प्रकार है :

बेरोजगार इंजीनियरों/स्नातकों द्वारा चलाई जा रही एजेंसियों की संख्या	3
बेरोजगार इंजीनियरों/स्नातकों की सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही एजेंसियों की संख्या	शून्य
भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाई जा रही एजेंसियों की संख्या	4
भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही एजेंसियों की संख्या	शून्य

प्रशासनिक व्यय में किफायत करने के बारे में रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना

6761. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए उनके मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा प्रस्तुत की गई प्रशासनिक व्यय में किफायत संबंधी विभिन्न रिपोर्टों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कर्मचारी निरीक्षण एकक सैल की स्थापना होने के बाद उसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की संख्या का मंत्रालय/विभागवार ब्यौरा क्या है; और कितने प्रतिशत सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित किया गया है; और

(घ) इन रिपोर्टों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). कुल मिला कर, कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्टों के शीघ्र कार्यान्वियन का इतमीनान करने के लिए प्रवर्तमान आदेशों का पालने किया जाता है। सम्बंधित मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय रखकर, इन रिपोर्टों के समय पर कार्यान्वियन के संबंध में उपयुक्त निगरानी रखी जाती है।

(ग) कर्मचारी निरीक्षण एकक के प्रारंभ से अर्थात् अप्रैल, 1964 से दिसम्बर, 1971 के अन्त तक कर्मचारी निरीक्षण एकक ने 391 रिपोर्टें पेश की हैं।

ब्यौरों की मंत्रालय/विभागवार सूची संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—2094/72.**]

(घ) लगभग 84·44 प्रतिशत।

(ङ) यदि किसी मामले में कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट के कार्यान्वियन में विलम्ब होता है, तो मामले को, सम्बंधित मंत्रालय/विभाग के साथ उपयुक्त ढंग से उठाया जाता है।

भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे कारखाने की विस्तार योजना

67?2. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे कारखाने की विस्तार योजना का अनुमोदन कर दिया है और यदि हाँ, तो लागत और वित्तीय व्यवस्था सहित इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या अमरीकी सहायता बन्द होने से इस विस्तार योजना में विलम्ब होने की आशंका है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हाँ, यथा अनुमोदित, विस्तार योजना प्रति वर्ष 6,60,000 मीटरी टन सम्मिश्र उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए बनाई गई है और इस पर 10·03 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित 43·60 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(ख) जी नहीं। विश्व बैंक से इस योजना के लिए वित्तीय सहायता माँगी गई है।

घरोली गाँव (जम्मू) में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा दो भारतीयों की हत्या और वहाँ से 241 ढोर हाँक कर ले जाना

6763. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अप्रैल, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने 24 अप्रैल, 1972 को जम्मू में युद्ध विराम रेखा के निकट घरोली गाँव में दो भारतीय असैनिक व्यक्तियों की हत्या कर दी और वहाँ से 241 ढोर हाँक कर ले गये ?

(ख) क्या इस सैक्टर में पाकिस्तीनी सेना थोड़े-थोड़े समय बाद भारतीय चौकियों और सीमा पर गश्त करने वाले दस्तों पर गोलियाँ भी चलाते रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ । रिपोर्ट सही है।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) ऐसे सभी मामलों में प्रभावकारी कार्यवाही करने के लिए हमारी सुरक्षा सेनाओं को अनुदेश प्राप्त हैं ।

भारत में उर्वरक कारखानों के लिए ब्रिटेन से ऋण

6764. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने भारत में उर्वरक कारखानों के लिए ऋण देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें से कितना धन गुजरात में कालोल परियोजना पर खर्च किया जाएगा; और

(ग) कुल कितना ऋण देना तय हुआ है और उसकी शर्तें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हाँ । तीन उर्वरक प्रायोजनाओं को अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यू० के०/इंडिया मिक्सड प्रोजैक्ट लोन्स के अन्तर्गत आबंटन किए गए हैं ।

(ख) और (ग). कलोल प्रायोजना तथा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लि०, कांडला को विदेशी मुद्रा लागत के रूप में जो कुल धनराशि दी गई है, वह 7 मिलियन स्टर्लिंग पौण्ड से अधिक नहीं है। उपर्युक्त धनराशि में से कलोल प्रायोजना के लिए 6·214 मिलियन पौण्ड राशि होगी। इस ऋण की मुख्य विशेषता यह है कि यह ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत सरकार को दिया गया है तथा यह कम्पनी की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जायेगा। उपलब्ध निधियाँ, तैयार किए गए उपकरणों की स्टर्लिंग लागतों को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जायेंगी तथा कम्पनी यू० के० सरकार के लन्दन में स्थित बैंक के साथ ऋण का एक नावसूल खाता खोलते हुए, ब्रिटिश ठेकेदारों को किए गए यू० के० भुगतानों से प्राप्त सेवाओं की लागतों को उक्त ऋण से पूरा करेगी।

उपहार चैक योजना

6765. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने उपहार चैक योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या ऐसी योजनाएँ अन्य बैंकों में भी आरम्भ की जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जी हाँ। उपहार चैक योजना इस वर्ष मार्च/अप्रैल से शुरू की गयी है। 11/- रुपये, 25/- रुपये, और 51/- रुपये के उपहार चैक भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रत्येक उपहार चैक पर एक क्रम संख्या होती है और एक कैलेण्डर मास की अवधि में जारी किए गए ऐसे उपहार चैक लकी ड्रा में हिस्सा लेने के पात्र होंगे जो जारी किए जाने वाले प्रत्येक महीने की समाप्ति के तीन महीने बाद रखा जायगा। किसी विशेष महीने के दौरान जारी किए गए सभी उपहार चैकों की क्रम संख्या उस अवधि की ड्रा में शामिल की जायगी। ड्रा की तारीख प्रत्येक उपहार चैक के पीछे लिखी होगी और ड्रा संगणक की सहायता से एक ही केन्द्र में निकाला जाएगा। विजयी उपहार चैक के खरीदार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी और वह अपने उपहार का इनाम प्राप्त कर लेगा बशर्ते कि वह चैक ड्रा की तारीख या उससे पहले न भुनाया गया हो। प्रत्येक ड्रा में प्रत्येक मूल्य के उपहार चैकों के लिए एक या इससे अधिक इनाम होंगे। प्रत्येक मूल्य के विजयी चैक पर प्राप्तकर्त्ता और खरीदार दोनों को इस प्रकार इनाम मिलेगा :

11/- रुपये के विजयी चैक पर	प्राप्तकर्त्ता	400/- रुपये
	खरीदार	100/- रुपये
25/- रुपये के विजयी चैक पर	प्राप्तकर्त्ता	800/- रुपये
	खरीदार	200/- रुपये
51/- रुपये के विजयी चैक पर	प्राप्तकर्त्ता	1600/- रुपये
	खरीदार	400/- रुपये

(ग) वांछित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Costly Travel for Tourists due to Operation of Intermediate Agencies

6766. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether travelling has become costly for tourists on account of the operation of intermediate agencies; and

(b) if so, the steps Government propose to take in the matter ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कमजोर वर्ग और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये ब्याज की रियायती दर

6767. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ब्याज की रियायती दरों पर अनुमानतः कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ख) देश के सभी क्षेत्रों और पात्र वर्गों को इस लाभ के न्यायोचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). इस संबंध में अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है और 25 मार्च, 1972 को सभा में घोषित योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा रियायती दरों पर उधार देने के लिए कोई विशेष राशि निर्धारित नहीं की गयी है। जैसा कि विवरण में दिखाया गया है योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पिछले वर्ष की कुल उधार दी गई राशि का आधा प्रतिशत पहले वर्ष में उधार देने का अनुमान है। यह राशि सारे वर्ष में लगभग 20 करोड़ रुपये तक पहुँच सकती है।

क्योंकि यह एक नई योजना है अतः पहले इसे प्रायोगिक आधार पर चलाया जायगा। बैंकों को, योजना को क्रियान्वित करने हेतु क्षेत्रों का चयन करने के लिए कहा गया है। अनुभव प्राप्त कर लेने पर इसका विस्तार दूसरे क्षेत्रों में कर दिया जायगा।

पेंशन पाने वाले सैनिकों को अन्तरिम राहत

6768. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने तक पेंशन वाले सैनिकों के लिए कोई अन्तरिम राहत मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा उत्पादन को प्रौद्योगिकी-प्रधान बनाने का प्रस्ताव

6769. **श्री बेकारिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उत्पादन को उत्पादन-प्रधान बनाने के स्थान पर प्रौद्योगिकी प्रधान बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी रूपरेखा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) रक्षा उत्पादन में मुख्य बल रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक सम्भव टेक्नालोजी पर दिया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि रक्षा उत्पादन हमारे देश में उत्पादन प्रधान होने के साथ साथ टेक्नालोजी प्रधान भी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों में रोजगार पर लगे कर्मचारियों की संख्या

6770. **श्री बेकारिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कितने-कितने कर्मचारी रोजगार पर लगे हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : सरकारी क्षेत्रीय परिष्करणशालाओं में श्रेणी I, II, III तथा IV आदि के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की संख्या के बारे में अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

परिष्करणशाला	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV
गौहाटी	137	149	977	—
बरौनी	257	257	2315	—
गुजरात	194	155	1179	—
हल्दिया (निर्माणाधीन)	48	15	76	—
मद्रास	58	66	342	3
कोचीन	पर्यवेक्षी—94	अपर्यवेक्षी	—322	

भारतीय तेल निगम में श्रेणी IV का कोई कर्मचारी नहीं है। कोचीन-परिष्करणशाला में (कर्मचारी वर्ग) केवल "पर्यवेक्षी" तथा "अपर्यवेक्षी" श्रेणियों में वर्गीकृत हैं।

Arrears of Income-tax Against Steel Rolling mills, Indore

6771. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of steel rolling mills at Indore in Madhya Pradesh against whom arrears of income-tax were outstanding during the last three years and the amount of Income-tax arrears outstanding against each of them; and

(b) the amount of income-tax realised from them during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Development of Mandsaur in Madhya Pradesh as a Tourist Centre

6772. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Mandsaur (Dashpur-nagar) in Madhya Pradesh is an ancient town having archaeological importance and a demand has been made to develop it as a tourist spot; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir. Mandsaur is a historical town and is known for its archaeological remains. No request seems to have been recently received in this connection.

(b) Does not arise.

मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में सिविलयन इंजीनियरों की पदोन्नति के अवसर

6773. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में कितने सिविलियन इंजीनियर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या मिलिटरी इंजीनियर सर्विस में इन इंजीनियरों को अन्य इंजीनियरिंग विभागों की भाँति पदोन्नति के सामान्य अवसर उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या इस संबंध में प्राक्कलन समिति (1957-58) ने कुछ सिफारिशें की थीं; और

(घ) यदि हाँ, तो यह समस्या हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) लगभग 810 ।

(ख) विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों में पदोन्नति विभिन्न बातों पर निर्भर करती है जैसे

कार्य-निष्पादन, संवर्ग की संख्या शक्ति तथा भर्ती और सेवा के लिए निर्धारित पदोन्नति नियम। यह कहना सच नहीं होगा कि मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के सिविलियन इंजीनियरों को पदोन्नति के अवसर अन्य विभागों में सेवारत प्रतिपक्षियों से कम उपलब्ध हैं।

(ग) तथा (घ). 1957-58 की प्राक्कलन समिति की सिफारिश एम० ई० एस० के संगठन को पूर्ण सिविलियन करने के संबंध में सरकार ने विचार किया था तथा इस सिफारिश को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया था। सरकार का यह विचार था कि एम० ई० एस० तथा इंजीनियर सैनिकों को अलग करना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि दोनों हो को पूरक कार्य करने के लिए संगठित किया गया है तथा इसको विभाजित करने के प्रयास से इसकी समग्र दक्षता में तथा आपात काल में सेना संगठन की योग्यता में कमी आ सकती है। तथापि तृतीय वेतन आयोग सिविलियन कर्मचारियों के पदोन्नति अवसरों की विषय सूची के भाग के रूप में विचार कर रहा है तथा उसकी सिफारिशों पर समुचित रूप से विचार किया जायगा।

संयुक्त रूप से परामर्श देने वाली संस्था के नामों की सूची को अन्तिम रूप देना

6774. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तथा विभागीय परिषद के स्तर पर संयुक्त रूप से परामर्श देने वाली संस्था के लिए अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के नामों की अभी तक घोषणा नहीं की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ ने सरकार को इस संबंध में कोई पत्र भेजा है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) तथा (ख). रक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय परिषद तथा विभागीय परिषद के लिये संघ के नामांकन की स्वीकृति का प्रश्न विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) इस मामले में लिये गए निर्णय से संघ को सूचित कर दिया जायेगा।

देवनाथ समिति के प्रतिवेदन का प्रतिरक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव

6775. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवनाथ समिति के प्रतिवेदन का प्रतिरक्षा संस्थानों के कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे कौन-कौन सी श्रेणियाँ प्रभावित हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). रक्षा मंत्रालय में भूतपूर्व उपसचिव श्री एस० देवनाथ की अध्यक्षता में चार समितियों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं जिसमें रक्षा स्थापनाओं के निम्नलिखित वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा ग्रेड संरचना में परिवर्तन की सिफारिश की है :

(1) लिपिक तथा लिपिकीय पर्यवेक्षक,
(2) स्टोर कीपर,
(3) तकनीकी पर्यवेक्षक तथा
(4) ब्यूवर ।

इन प्रतिवेदनों में सिफारिशें हैं कि मोटे तौर पर वर्तमान स्थितियों में सुधार हो तथा अधिकांश कर्मचारियों को लाभप्रद हो । सरकारी आदेश प्रभावित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करने के उपरांत सहमति पर जारी किये गये थे । संयुक्त परामर्शदायी व्यवस्था योजना वर्तमान पदधारियों को विकल्प को प्रयोग करने की व्यवस्था करता है । नई ग्रेड संरचना में समायोजना के उपरान्त अपना वर्तमान वेतनमान रखना चाहते हैं । अतः उनके वेतन के मामले में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है । तथापि ग्रेड संरचना में परिर्वन के कारण भविष्य में पदोन्नति के अवसर उपर्युक्त सब वर्गों में कुछ कम हो गए हैं । इस प्रकार के वैज्ञानिक पुनर्गठन कार्यों में यह अपरिहार्य है ।

रक्षा उत्पादन बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रस्ताव

6776. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उत्पादन बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधि को शामिल करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) क्या अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने पुनः माँग की है कि इस बोर्ड में श्रमिकों का एक प्रतिनिधि शामिल किया जाये; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि रक्षा उत्पादन बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधि को शामिल करना आवश्यक नहीं है ।

(ख) तथा (ग). अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने श्रमिकों के प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए हाल में कोई माँग नहीं की है । लेकिन यह प्रश्न सितम्बर, 1971 में डी० जी०

ओ० एफ० की औद्योगिक परिषद की बैठक में उठाया गया था। जैसा कि इससे पहले भी सदन में बताया जा चुका है। रक्षा उत्पादन बोर्ड का गठन विशुद्ध रूप से सरकारी निकाय के रूप में किया गया जिसका उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में देरी को कम करना तथा सरकार की संबंधित एजेन्सियों में अधिक सामंजस्य स्थापित करना है। इसे कई प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं। इस बोर्ड को गठित करने का मुख्य उद्देश्य वित्त, औद्योगिक विकास, पूर्ति आदि मंत्रालयों से संबंधित कठिनाइयों को दूर करना है।

आयुध कारखानों के महाप्रबन्धकों का कलकत्ता में सम्मेलन

6777. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों के महाप्रबन्धकों का सम्मेलन अप्रैल, 1972 में कलकत्ता में हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या मुख्य निर्णय लिए गए ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हाँ।

(ख) आर्डिनेंस कारखानों के जनरल मैनेजरों के सम्मेलन के कार्यवृत्त को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

मोटर साईकिल, स्कूटर और कारों की खरीद के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों को अग्रिभ धन देना

6778. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मोटर साईकिल, स्कूटर और कारों आदि की खरीद के लिए दी जाने वाली अग्रिम धन की राशि पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मोटर साईकिलों, स्कूटरों और कारों की खरीद के लिये पेशगियाँ मंजूर करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। मितव्ययिता के उपाय के रूप में, कुछ परिस्थितियों में केवल दूसरी बार और उसके भी बाद मिलने वाली पेशगियों की मंजूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध को उठाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनवरी से अप्रैल, 1972 तक पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन की घटनायें

6779. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अप्रैल, 1972 तक की अवधि के दौरान पाकिस्तानी विमानों और हेलीकाप्टरों ने भारतीय वायु सीमा का कितनी बार उल्लंघन किया; और

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) छः ।

(ख) ऐसे उल्लंघनों से समुचित रूप से निपटने के लिए अनुदेश वर्तमान हैं ।

Indian Petrochemical Corporation

6780. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the progress made so far on the various projects by Indian Petrochemical Corporation;

(b) the total expenditure likely to be incurred on the projects and the amount spent on them so far; and

(c) whether the expenditure involved in the projects is being met by loans from West Germany ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) Work on the Aromatics Project is in an advanced stage and it is expected to be completed during the year.

The other projects are at various stages of implementation.

(b) Approved capital outlays for the projects are as under :—

		Rupees in crores
(i)	Aromatics	22·40
(ii)	Olefins	29·80
(iii)	Acrylonitrile	15·85
(iv)	Synthetic Rubber	13·50
(v)	Polyethylene	17·98
(vi)	Polypropylene	18·87
(vii)	Detergent Alkylate	12·92
(viii)	Ethylene Glycol	9·10
(lx)	Acrylic Fibre	23·89
	Total Rs. :	164·31

The total amount disbursed to I. P. C. L. upto the financial year 1971-72 (i. e. up to 31st March, 1972) is as under :—

Paid up equity capital	Rs. 16·42 crores
Loan	Rs. 6·69 crores

(c) Foreign exchange expenditure involved in the Aromatics Project only is being met by loans from West Germany. The loan approved by the West German financial institution is D. M. 39 million.

Writing off Arrears of Income-tax

6781. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of Income-tax written off in the case of Companies and assessees other than Companies during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The number of cases in which income-tax was written off and the amount of income-tax involved during the financial years 1969-70 and 1970-71 in the cases of Companies and assessees other than Companies is as under :—

	1969-70		1970-71	
	No.	Amount Rs.	No.	Amount Rs.
Companies	75	23,66,130	115	62,97,931
Non-Companies	9,662	2,14,61,644	13,547	4,37,19,367
Total :	9,737	2,38,27,774	13,662	5,00,17,298

Similar information for the financial year 1971-72 is being collected and will be laid on the Table of the House as early as passible.

Imposition of Penalties under Income-tax Act

6782. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of cases in which penalty was imposed under the Income-tax Act during the financial years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 year-wise and total amount of penalty imposed during each year; and

(b) the amount of penalty realised during each financial year and the amount thereof yet to be realised ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) There are a number of provisions in the Income-tax Act under which penalty is imposed and the requisite data is not available. However, data about the penalty levied under Section 271 (1) (c), for concealment of income. during these three years which is available is as follows :—

Year	No. of cases	Amount of penalty
1968-69	29,148	Rs. 13,69,22,000
1969-70	27,682	Rs. 15,03,00,000
1970-71	23,625	Rs. 14,08,00,000

(b) The requisite information is not available and its collection will take considerable time.

Arrears of Income-tax Against Modi Group of Industries

6783. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister ef **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Income-tax assessed by Central Government on Modi Group of Industries during the Financial years 1969-70, 1970-71 and 1971-72; and

(b) the amount of Income-tax realised during the said period and the amount of arrears of Income-tax outstanding against it at present ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Pending Cases of Income-Tax Assessment

6784. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of cases relating to assessment of Income-tax pending with the Income-tax Officers as on 31st March, 1971 and the total amount involved; and

(b) the number of cases, involving an amount of more than Rs. 25,000 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The number of cases relating to income-tax assessments with the Income-tax Officers as on 31-3-1971 was 12,38,829. It is not possible to indicate the amount involved as the assessments are still pending.

(b) The number of business cases (cases where at least half of the total income is from business or profession) in which the average of positive incomes assessed in the three preceding years was over Rs. 25,000, pending as on 31-3-1971, was 1,67,189.

एयर इण्डिया द्वारा संचिलत तथा प्रबंधित विदेशी स्टेशनों पर किया गया खर्च

6785. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया द्वारा संचालित और प्रबन्धित विदेशी स्टेशनों के नाम क्या हैं;

(ख) विदेशी तथा भारतीय मुद्रा में उनके रख-रखाव पर कितना वार्षिक (1971-72) व्यय किया गया;

(ग) यात्री बुकिंग तथा भाड़े के रूप में इनमें से प्रत्येक कार्यालय को 1970-71 में (विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्रा में) कितना कार्य मिला; और

(घ) क्या इन विदेशी स्टेशनों के रख-रखाव पर किया गया व्यय उनके द्वारा प्राप्त किये गये कार्य के अनुरूप है और विदेशी मुद्रा में उन पर किए जाने वाले व्यय में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इण्डिया निम्नलिखित विदेशी स्टेशनों से सेवाएँ परिचालित करती है :

न्यूयार्क, लन्दन, पैरिस, फ्रैंकफर्ट, रोम, जैनेवा, काहिरा, बैरुत, तेहरान, कुवैत, बहरीन, दुबाई, अबुधबी, नेरोबी, एनटेब, मारिशस, अदीस अबाबा, अदन, सिडनी, पर्थ, नन्दी (फिजी), बैंकाक, हाँगकाँग, टोकियो, सिंगापुर, कुआलालम्पुर, जकार्ता, मास्को तथा ढाका।

(ख) 1971-72 के दौरान इन स्टेशनों के संधारण पर हुए व्यय के आँकड़े अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुए।

(ग) इन स्टेशनों द्वारा लगाया गया राजस्व (विदेशी मुद्रा में) निम्न प्रकार है :

(लाखों रुपयों में)

स्टेशन	यात्री राजस्व	भाड़ा राजस्व
न्यूयार्क		227·08
लन्दन	483·09	239·55
पैरिस	173·47	44·94
फ्रैंकफर्ट	161·00	105·53
रोम	66·41	43·01
जैनेवा	55·65	11·81
काहिरा	28·77	9·02
बैरुत	69·20	1.74
तेहरान	35·01	0·94
कुवैत	105·88	9·52
बहरीन	38·04	1·57
दुबाई	52·19	1·93
अबुधबी	12·71	0·26
नेरोबी	176·21	4·26
ऐनटेब	67·48	0·54
मारिशस	103·04	2·43
अदीस अबाबा	22·23	0·91
अदन	25·65	2·00
सिडनी	189·55	5·90
पर्थ	98·31	4·03
फिजी	32·96	0·26
बैंकाक	58·14	4·94
हांगकांग	77·61	29·78
टोकियो	180·77	64·53
सिंगापुर	93·55	13·42

(लाख रुपयों में)

स्टेशन	यात्री राजस्व	भाड़ा राजस्व
कुआला लम्पुर	50·33	2·65
जकार्ता	16·52	1·18
मास्को	14·90	9·84
ढाका	1972 में खोला गया	

(घ) 1970-71 में हुये व्यय के आँकड़ों के आधार पर इन स्टेशनों पर हुये व्यय का अनुपात उनके द्वारा अर्जित कुल राजस्व का 44·00% बनता है। यह अनुपात सन्तोषजनक समझा जाता है। तथापि, कार्पोरेशन द्वारा इसे सुधारने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

कार्पोरेशन ने व्यय को कम करने के लिये विभिन्न कदम उठाये हैं जिनमें ये शामिल है :

(i) अमले की रिक्तियों को न भरना।

(ii) अलाभदायक "आन लाइन" स्टेशनों तथा "आफ लाइन" कार्यालयों को बंद करना।

(iii) भारत/यू० के० मार्ग पर आवृत्तियों में कटौती।

एयर इण्डिया ने व्यय के सभी पक्षों की जाँच करने तथा, जहाँ कहीं सम्भव हो, बचतों तथा किफायत के उपायों की सिफारिशें करने के लिये एक उच्चशक्ति प्राप्त लागत औचित्यीकरण समिति नियुक्त की है। इस की सिफारिशों के आधार पर कार्पोरेशन ने विभिन्न स्तरों पर व्यय को कम किया है। समिति विभिन्न स्टेशनों के कार्य-निष्पादन की जांच का कार्य, उन के व्यय के संदर्भ में, जारी रख रही है। स्थानीय व्यय को कम करने के उपायों पर विचार करने के लिए एयर इंडिया के व्यापक जालतंत्र के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्टेशनों ने भी अपने लागत नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं।

इण्डियन एयर लाइन्स में विमान परिचारिकाओं की नियुक्ति की शर्तें

6786. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स में विमान परिचारिकाओं की नियुक्ति की शर्तें क्या हैं और उनको सेवा संबंधी कम से कम कितने सेवाकाल के लिये करार करना होता है;

(ख) क्या उनके करार की अवधि समाप्त हो जाने पर, उन्हें बिना उड़ान वाले उपयुक्त पदों में खपाने पर विचार किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : विमान परिचारिकाओं को प्रारंभ में प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाता है और प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उन्हें 150/- रुपये मासिक की नियत प्रशिक्षण-वृत्ति, और यदि परिचारिका दिल्ली में बाहर से आई हो तो 20/- रुपये

प्रति दिन का दैनिक भत्ता भी प्रदान किया जाता है। इस अवधि के दौरान उसकी सेवायें निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त की जा सकती हैं :—

(i) यदि वह विवाह कर लेती है;

(ii) यदि वह शारीरिक मानकों का अपेक्षित स्तर नहीं बनाये रखती है;

(iii) यदि वह विमान में वमन प्रवृति विकसित कर लेती है।

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर उसकी 485-25-560-40-720-50-770 रुपये के वेतनमान में विमान परिचारिका के रूप में नियुक्ति कर दी जाती है तथा उसे छ: महीने का परिवीक्षा-काल उत्तीर्ण करना पड़ता है। यद्यपि कोई औपचारिक सेवा संविदा नही होता तथापि पदग्राही को भर्ती के समय इंडियन एयरलाइन्स में कम से कम दो वर्ष की सेवा करने का एक 1500/- रुपये का बन्द-पत्र भरना पड़ता है। उस पर भी उड़ान कार्मिकों को लागू होने वाले इंडियन एयरलाइन्स सेवा विनियम तथा अनुशासन और याचिकाओं पर लागू होने वाले समय समय पर यथा निरूपित एवं सशोधित स्थायी नियम लागू होते हैं।

(ख) और (ग). विमान परिचारिकायें जब उड़ानों पर जाना बन्द कर देती हैं तो उन पर स्थलीय कार्यों पर नियुक्ति के लिये स्वतः विचार नहीं किया जाता। तथापि यदि वे निर्धारित योग्यतायें पूरी करती हों तो उन्हें कारपोरेशन में रिक्त पदों के लिये अपने आवेदन-पत्र देने की स्वतंत्रता होती है।

केरल में आयुध कारखाना स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव

6787. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोई आयुध कारखाना है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या केरल में ऐसा एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) जी नहीं श्रीमन्।

सरकारी विभाग में समयोपरि भत्ते के भुगतान के लिये नियम

6788. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों में समयोपरि भत्ते के भुगतान के लिये क्या नियम हैं;

(ख) 1971-72 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों को कुल कितनी राशि समयोपरि वेतन के रूप में दी गई है; और

(ग) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के कुल वेतन बिलों में ऐसे भुगतानों की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणश) : (क) एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रख दिया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्य कर रहे कार्यालय कर्मचारियों को और अन्य कर्मचारियों को, जिनके काम के निर्धारित घंटों और काम के स्वरूप की तुलना कार्यालय कर्मचारियों के काम निर्धारित घंटों और स्वरूप के साथ की जा सकती है, समायोपरि भत्ते की अदायगी संबंधी नियमों की मुख्य-मुख्य बातें दी गयी हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—2095/72.**]

(ख) तया (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन-पटल पटल पर रख दी जायगी।

Reconstruction of Bhopal Airport

6789. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken for reconstruction of Bhopal Airport in 1972; and

(b) if so, the amount sanctioned for the purpose ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). Sanction for the construction of a new terminal building at an estimated cost of Rs. 8,04,824.00 at the existing aerodrome at Bhopal was issued in March, 1972. Plans and estimates for construction of a technical block are under consideration. Both the works are expected to be completed during the current Plan period.

Loans Sanctioned By Nationalised Banks in Madhya Pradesh for Agricultural Purposes

6790. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of loans advanced by Nationalised Banks in Madhya Pradesh for agricultural purposes during the last two years ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : The amount of outstandings in respect of direct finance to farmers by nationalised banks in Madhya Pradesh stood at Rs. 2·69 crores and Rs. 4·49 crores as at the end of December 1970 and 1971 respectively.

Amount Received in the Branches of Nationalised Banks in Rural Areas of Madhya Pradesh

6791. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount received from the people in long-term and short-term deposits in the branches of the nationalised banks in rural areas of Madhya Pradesh; and

(b) the amount of loans advanced by the said branches for agriculture and cottage industries ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b). Statistics

relating to banks deposits are not maintained in the manner desired by Hon. member. However, the position in regard to deposits and advances by the nationalised banks in the whole of Madhya Pradesh as at the end of June, 1971 was as indicated below :

	(Rs. Lakhs)
Deposits*	6,543
Advances*	5,075

*Data relates to reporting offices only and gives position on 25-6-1971 for deposits and 11-6-1971 for advances.

In regard to advances for agriculture and small-scale industries (which cover cattage industries) outstanding advances by the nationalised banks in Madhya Pradesh as on the last Friday of December 1971 was as follows :

	(Rs. Lakhs)
(i) For Agriculture*	
(a) Direct Finance	448·64
(b) Indirect Finance	198·79
(ii) For Small-scale Industries*	696.54

*Figures are provisional.

राज्यों में प्रादेशिक परामर्शदात्री समितियों की स्थापना करना

6792. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक सेना के कार्यकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक राज्य में एक प्रादेशिक सेना परामर्शदात्री समिति की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य परामर्शदात्री समिति की कुल कितनी बैठकें हुईं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) केवल जम्मू कश्मीर तथा नागालैंड को छोड़ कर शेष सब राज्यों में प्रादेशिक सेना के लिए परामर्शदायी समितियाँ गठित की गई हैं । तथापि असम, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय के लिए एक सामान्य परामर्शदायी समिति स्थापित की गई है ।

(ख) दिल्ली, केरल तथा महाराष्ट्र तथा असम, त्रिपुरा तथा मणिपुर की सामान्य परामर्शदायी समिति की एक-एक बैठक प्रत्येक राज्य में गत वर्ष हुई थी ।

भारतीय वायु सेना की तकनीकी शाखाओं में भर्ती अभियान

6793. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना की तकनीकी शाखाओं में भर्ती अभियान के प्रति लोगों ने विशेष रुचि नहीं दिखाई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). भारतीय वायु सेना की तकनीकी शाखाओं में कमीशन के लिए विज्ञापनों का उत्तर संतोषजनक है । तथापि यह देखा गया है कि कई आवेदक टैस्ट के लिए उपस्थित नहीं होते और कई चुने जाने पर प्रशिक्षण के लिए नहीं आते । कुछ अन्य पात्र उम्मीदवार अन्य नौकरियों के प्रति अपनी अभिरुचि दिखाते हैं । सेवा की शर्तों में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता के प्रश्न पर वेतन आयोग विचार कर रहा है ।

भारतीय नौसेना की प्रशासनिक, विद्युत तथा इंजीनियरिंग शाखाओं में अधिकारियों की कमी

6794. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना की प्रशासनिक, विद्युत तथा इंजीनियरिंग शाखाओं में अधिकारियों की कमी बनी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यह कमी कब तक पूरी हो जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ ।

(ख) नेशनल डिफेंस अकादमी द्वारा सामान्य प्रवेश के अतिरिक्त अधिकारियों की भर्ती को प्रशासनिक अधिकारियों के लिए परिशोधित विशेष प्रवेश और विद्युत तथा इंजीनियरिंग अधिकारियों के लिए सीधे भर्ती और विश्वविद्यालय प्रवेश योजनाओं द्वारा बढ़ाया जा रहा है ।

(ग) आने वाले वर्षों में इस कमी के घट जाने की आशा है ।

सेना की लड़ाकू टुकड़ियों में कमी

6795. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना की लड़ाकू टुकड़ियों में, मुख्यतः बीच की रेंकों में कुल मिलाकर कमी है;

(ख) कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को कब तक दूर करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीनन राम) : (क) जी हाँ ।

(ख) सेना के लिए अधिक संख्या शक्ति को प्राधिकृत करने तथा भर्ती/चयन, प्रशिक्षण

तथा कार्मिकों को तैनात करने के मध्य अपरिहार्य समय का विलम्ब है। मध्य रेंकों के कार्मिकों का कुछ न्यूनतम वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर तथा कुछ अन्य कसौटियों के आधार पर पदोन्नितियाँ की जाती हैं। इन कारणों से तथा कैडेटों की भर्ती में न्यूनता, इस कमी के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) स्पष्ट तारीख बताना सम्भव नहीं है, तथापि इस कमी को शीघ्र पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

इण्डियन एयरलाइन्स विमान चालक की सेवा शर्तों में सुधार करने संबंधी योजना

6796. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स और इण्डियन कमर्शियल पायलट्स एसोसियेशन ने विमान चालकों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिये कोई योजना बनाई है और उसे सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). पिछला वेतन-करार समाप्त हो जाने के कारण भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने वेतनमानों में संशोधन तथा अन्य सेवा शर्तों संबंधी एक नया माँग-पत्र प्रस्तुत किया। प्रबन्ध वर्ग ने संघ को केन्द्र सरकार के अनुमोदन सापेक्ष कुछ प्रस्ताव पेश किए, एवं मामला अब सरकार के विचाराधीन है।

रात्रि में सस्ती दरों पर 'जनता हवाई सेवा' चालू करने की योजना

6797. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने रात्रि में सस्ती दरों पर 'जनता हवाई सेवा' चालू करने की कोई योजना उनके मंत्रालय को भेजी है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि इण्डियन एयरलाइन्स जेट विमानों द्वारा रात्रि सेवायें चालू करने की व्यवहार्यता की जाँच कर रहे हैं।

Advancing of Loans to Small Farmers for Increasing Agricultural Production

6798. **Shrimati Minimata Agamdas** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the nationalised banks are advancing loans to small farmers for increasing agricultural production; and

(b) if so, the amount of loan advanced to an ordinary farmer as also the rate of interest at which it is being advanced ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) The amount of loans advanced to an ordinary farmer is determined by the nature and purpose of the loan, size of the land holding and crops to be raised and the interest rate ranges from 9% to 10·5% per annum.

क्राकरी, कटलरी और शीशे के समान की टूट-फूट के कारण अशोका होटल को हुई हानि

6799. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, क्राकरी, कटलरी और शीशे के समान की टूट-फूट के कारण अशोका होटल को कितनी हानि हुई;

(ख) क्या इस मामले की कोई जाँच की गयी है और यदि हाँ, तो इसका परिणाम क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान क्राकरी, कटलरी तथा शीशे के बर्तनों की टूट-फूट के कारण वर्षवार हुई हानि निम्न प्रकार थी :

1968-69	87,416 रुपये
1969-70	80,261 रुपये
1970-71	18,454 रुपये

(ख) जी, नहीं।

(ग) टूट-फूट को न्यूनतम स्तर तक घटाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

Advance of Loans by Nationalised Banks to Cottage Industries

6800. **Shrimati Minimata Agamdas** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether nationalised banks give loans at low rate of interest for cottage industries; and

(b) if so, the amount of loan given for cottage industries as also the rate of interest at which is given ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b). Advances to cottage industries are covered under the category of small-scale industries. The most common rate charged by banks both on working capital advances and term-loans to small-scale industries is about 10%, on roughly ½ to 1 percent lower than that charged to other sectors 'Nationalised banks' advances outstanding against small scale industries as at the end of December, 1971 were Rs. 263·06 crores.

भारत और पाकिस्तान को अमरीका से हथियारों की सहायता

6801. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 अप्रैल, 1972 के 'पेट्रियाट' में 'यू० एस० आर्मस एड टू इंडिया, पिंडी' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). जी, हाँ । प्रकाशित समाचार अमरीकी बजट के 1972 के वित्तीय वर्ष की उक्त व्यवस्था की अमरीकी बजट के 1973 के वित्तीय वर्ष में पुनरावृत्ति से संबंधित प्रतीत होता है जिसमें अमरीकी सरकार द्वारा अपने सैनिक संस्थानों में प्रशिक्षण कोर्सों की पेशकश की गई थी ।

असम में आयकर की बकाया राशि

6802. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में असम राज्य में, जिलावार, आयकर की कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ख) ऐसे कितने मामलों में दो वर्षों से अधिक की अवधि से राशि बकाया है; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी । तथापि, 31-3-1971 को आयकर आयुक्त, असम, के अधिकार क्षेत्र में आयकर की शुद्ध बकाया 4·63 करोड़ रुपये थी ।

जनवरी, 1971 के बाद से भारतीय वायु सेना की विमानों की दुर्घटनाएं तथा चालकों को दी गई मुआवजे की राशि

6804. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1971 से अप्रैल, 1972 के दौरान भारतीय वायुसेना के कितने विमान

दुर्घटनाग्रस्त हुए और इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप घायल हुए तथा मृत चालकों की संख्या क्या है;

(ख) दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं; और मृत चालकों के परिवारों को दी गई मुआवजे की राशि क्या है;

(ग) क्या वर्तमान नियमों के अनुसार विमान दुर्घटनाओं के सभी मामलों में मृत व्यक्ति के परिवारों को मुआवजा देने की व्यवस्था है और क्या भारतीय वायु सेना विमान चालकों को अन्य असैनिक विमान चालकों की भाँति बीमा सुविधाएं प्राप्त नही हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1 जनवरी 1971 से 30 अप्रैल, 1972 तक की अवधि के दौरान 53 गम्भीर दुर्घटनाएँ हुईं जिनमें भारतीय वायु सेना के वायुयान शामिल थे । इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप, 28 पायलट मारे गए थे तथा तथा 16 घायल हुए थे । इसके अतिरिक्त एक पायलट 28 अप्रैल, 1972 से लापता है ।

(ख) इनमें विभिन्न प्रकार के वायुयान फंसे थे तथा दुर्घटनाएँ भिन्न भिन्न तथा दूर तक फैले क्षेत्र में हुई हैं । कोई भी विवेकपूर्ण स्वरूप प्रकट नहीं है । भारतीय वायु सेना के वायुयान दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों को 42000 रुपये या 48 महीने का वेतन इसमें जो भी कम हो अनुग्रहपूर्ण प्रतिपूर्ण के रूप में दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, उपदान, पारिवारिक पेंशन तथा संतान भत्ता परिवारों को नियमों के अन्तर्गत ग्राह्‌य होता है, दिया जाता है जो रक्षा मंत्रालय की 1971-72 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 1972 की सेवा शर्तों पर पुस्तक के पृष्ठ 319 से आगे में दिए गए हैं ।

(ग) तथा (घ). वायुयान दुर्घटना के सब मामलों में पीड़ितों के परिवारों को प्रतिपूर्ति की अदायगी की व्यवस्था है । भारतीय वायुसेना के पायलट बीमा आवरण के भी पात्र हैं जो दुर्घटना इत्यादि के कारण मृत्यु के जोखिम के विरुद्ध है । वास्तव में भारतीय वायुसेना पायलट को 25,000 रुपये की न्यूनतम राशि के बीमा को करवाने तथा उसे चालू रखने की आवश्यकता है जिससे कि वे उड़ान आनुतोषिक के लिए पात्र हो सकें ।

तस्करी में अन्तर्ग्रस्त हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध जाँच

6805. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या वित्त मंत्री तस्करी के अन्तर्गत हिन्दी अधिकारी वरिष्ठ जाँच के बारे में 4 दिसम्बर, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 519 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने इस बीच इस मामले की जाँच पूरी कर ली है और सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कहा है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाए और यदि हाँ, तो इस आयोग ने इसके क्या कारण बताये हैं; और

(घ) क्या उपरोक्त प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) . (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). केन्द्री जाँच ब्यूरो की सिफारिशों पर इस मंत्रालय की विचार-टिप्पणियाँ केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दी गयी हैं। आयोग का परामर्श प्राप्त होने पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आगे कोई कार्रवाई यदि आवश्यक हुई तो की जा सकेगी।

(घ) जी नहीं।

वित्त मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियों वाली रिपोर्टें

6806. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) (सचिवालय में ही) के किन्हीं प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से गत छः मास में प्रतिकूल टिप्पणियों वाली रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो उनकी संख्या और पदनाम क्या हैं;

(ख) ये रिपोर्टें किस किस तारीख को प्राप्त हुई थीं; और

(ग) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया गया है और यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). जनवरी, 1972 में केन्द्रीय जाँच कार्यालय से श्रेणी 1 के एक अधिकारी के संबंध में, जो हिन्दी अधिकारी के पद पर हैं, एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। केन्द्रीय जाँच कार्यालय की रिपोर्ट पर इस विभाग की विचार टिप्पणियाँ केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दी गयीं हैं। उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इस मामले में कार्रवाई यदि आवश्यक हुई तो आयोग का परामर्श प्राप्त होने पर ही की जा सकती है।

वित्त मंत्रालय के किन्हीं अधिकारियों के आचरण के संबंध में जाँच

6807. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या वित्त मंत्री 4 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3414 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें उल्लिखित दो अधिकारियों के आचरण के संबंध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा इस बीच जाँच पूरी कर ली गई है और क्या प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है;

(ख) इन दो अधिकारियों के विरुद्ध क्या विशेष आरोप लगाए गए थे तथा प्रत्येक मामले में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). उक्त दो अधिकारियों के विरुद्ध यह आरोप था कि उनके पास उनकी आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक परिसम्पत्ति थी। श्रेणी II के अधिकारी के मामले में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, इसी आरोप पर विभागीय कार्यवाई शुरू की गई थी। आरोप सिद्ध नहीं हुआ और अधिकारी को दोषमुक्त कर दिया गया है।

जहाँ तक श्रेणी I के अधिकारी का संबंध है, केन्द्रीय जाँच कार्यालय की रिपोर्ट पर इस विभाग की विचार-टिप्पणियाँ केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दी गयी हैं। इस मामले में आगे कोई कार्रवाई उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा, आयोग का परामर्श प्राप्त होने पर ही, की जा सकती है।

Cease-Fire Violations by Pakistan on Western Front

6808. **Shri Jagannathrao Joshi** :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of cease-fire violations so far on the entire Western Front after the declaration of cease-fire; and

(b) the action taken by Government to prevent recurrence of such incidents in future ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Between 18th December, 1971 and 15th May, 1972, Pakistan has committed 374 cease-fire violations in our western borders.

(b) Our security forces have instructions to take appropriate counter measures to meet such violations.

उत्तर प्रदेश के टैक्स वसूली अधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिस

6809. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1972 में उत्तर प्रदेश सर्किल में टैक्स वसूली अधिकारियों द्वारा आयकर के भुगतान में चूक करने वाले व्यक्तियों को कितने नोटिस जारी किए गए थे जिनमें कुर्की अथवा गिरफ्तारी के वारण्ट की धमकी दी गई थी;

(ख) उन मामलों की संख्या क्या है जिनमें उन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए जिन्होंने आयकर की राशि पहले ही अदा कर दी थी;

(ग) क्या इन व्यक्तियों को नोटिस कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जारी किए गए थे; और

(घ) यदि हाँ, तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध उनकी लापरवाही के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के पास अप्रयुक्त खड़े विमानों की संख्या और उनकी किस्म

6810. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के पास अप्रयुक्त खड़े विमानों की वर्तमान संख्या क्या है और उनकी किस्म कौन-कौन सी है;

(ख) उनके बेड़े में इस समय किस-किस किस्म के जहाज हैं; और

(ग) अप्रयुक्त खड़े विमानों को फिर से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गये और इसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा की राशि की आवश्यकता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क)

एयर इण्डिया	कोई नहीं
इण्डियन एयरलाइन्स	दो एच० एस०-748

(ख) एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े की वर्तमान रचना निम्न प्रकार है :

एयर इण्डिया

बोइंग 747	—	3	
बोइंग 707/420	—	4	
बोइंग 707/337 सी	—	5	

इण्डियन एयरलाइन्स

बोइंग 737	7	
कारवेल	7	
एफ०-27	10	
एच० एस०-748	14	(दो भूमिस्थ विमानों सहित)
वाईकाउन्ट	6	}*
डी०-सी०-3	8	

इनके अतिरिक्त 7 वाईकाउन्ट तथा 5 डी० सी०-3 विमानों को रद्द कर दिया गया है तथा इनका निपटान किया जाना है ।

(ग) 17-12-1971 को त्रिवेन्द्रम में क्षतिग्रस्त हुए एक भूमिस्थ एच० एस०-748 विमान की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा का अनुमानित अंश लगभग दस लाख रुपये है।

एक और एच० एस०-748 विमान 12-5-1972 को कोचीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारम्भिक निरीक्षण तथा सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। इसकी मरम्मत के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की राशि का अनुमान तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के भूतपूर्व कर्मचारियों की प्रबंधक बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति

6811. **श्री एम० राजांगम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के भूतपूर्व कर्मचारी की नियुक्ति प्रबन्धक बोर्ड के निदेशक के रूप में करने का है;

(ख) चुनाव की पद्धति क्या है तथा कब तक सभी राष्ट्रीयकृत बैंक प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत लाये जाएंगे;

(ग) क्या कर्मचारियों को निदेशक बनने के लिए कुछ शैक्षिक अथवा अन्य अर्हताएं निर्धारित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे अर्हताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के खण्ड 3 (ख) (प्रबन्ध और विविध व्यवस्थाएं) योजना, 1970 के अनुसार सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डल में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि होने चाहिए अर्थात् एक कामगरों में से और दूसरा उन कर्मचारियों में से जो कामगर नहीं हैं।

(ख) कर्मचारी-निदेशकों के चुनाव का तरीका वह है जैसा कि प्रथम अनुसूची के साथ पठित उपरोक्त योजना के खण्ड 3 (ख) में दिया है। उल्लिखित योजना के अनुसार ऐसे निदेशक मण्डल काफी समय पहले बन जाने का अनुमान लगाया गया था।

(ग) तथा (घ). कर्मचारी-निदेशकों की नियुक्ति के साथ-साथ ही योजना के खण्ड 3 (ङ) के अन्तर्गत ऐसे निदेशक की नियुक्ति की भी व्यवस्था है जो केन्द्रीय सरकार की राय में कामगरों के हितों का भी भली प्रकार प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसे निदेशक के लिए कोई शैक्षिक या अन्य अर्हताएं निर्धारित नहीं की गयी हैं। योजना के खण्ड 10 में निदेशक की नियुक्ति के लिए कुछ अनर्हताएं दी गई हैं जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक के सभी निदेशकों पर समान रूप से लागू होती हैं।

लद्दाख में सड़कें

6812. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख में सड़कों की कुल लम्बाई क्या है;

(ख) इसमें जीप योग्य पक्की, कच्ची तथा खच्चरों के चलाने योग्य सड़क की लम्बाई अलग-अलग क्या है; और

(ग) निर्माणाधीन सड़कों की लम्बाई क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सड़कों के संबंध में विस्तृत सूचना देना लोकहित में नहीं होगा ।

Foreign Tours by Ministers and Officers of Government of India

6813. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the amount of foreign exchange spent on foreign tours undertaken by Ministers and Officers of the Central Government during the financial year 1971-72 was more than that spent during the previous years;

(b) the total amount in terms of Indian and foreign currency spent on foreign tours of Ministers and Officers of the Central Government during 1971-72; and

(c) the steps being taken by Government to curtail this expenditure ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

(c) The need for achieving maximum possible economy in expenditure on deputations abroad has been continuously engaging the attention of Government. A rigorous procedure has been laid down for clearance of such proposals. They are required to be approved by a Committee of senior Secretaries in the case of Government officials and at the level of Finance Minister/Prime Minister in the case of Ministers. Strictest parameters are applied in judging the necessity for a deputation abroad and the estimates of expenditure are closely scrutinised and kept to the minimum.

Violation of Companies Act

6814. **Shri Dhan Shah Pradhan** :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of companies which violated the provisions of Companies Act during the last three years; and

(b) the action taken against them by Government ?

The Minister of Company Affairs (Shri K. V. Raghunatha Reddy) (a) and (b). The number of companies against whom prosecution was launched for violation of the various provisions of the Companies Act during the last three years are given below :

1968-69	2,185
1969-70	2,175
1970-71	2,570

Proposal from West Germany Tourist Agency to Help India in Attracting Tourists from Germany

6815. **Shri Jagannathrao Joshi** :
Suri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the West German Tourist Agency 'Troupe Schernav International' has placed a proposal before Government to assist India in attracting tourists from Germany; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). The Department of Tourism has received a report from the West German Tourist Agency, Touropa Scharnva who visited the sea beaches at Kovalam Mahabalipuram, Goa and Juhu recently with the object of assessing the potential for attracting tourists. This agency is mainly interested in reserving accommodation being built by India Tourism Development Corporation at Kovalam for their tourist groups. The Government of India encourages any tourist operator who is interested in increasing the tourist traffic to India.

वित्त मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्तियां करके भरे गये पद

6816. **श्री अम्बेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में गत तीन वर्षों में श्रेणी एक, दो, तीन और चार के कितने पद भरे गये;

(ख) कितने पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नियुक्त किये गये; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी के कितने-कितने आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी में बदला गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). इस मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित कार्यालयों के संबंध में सूचना का एक विवरण संलग्न है। जहाँ तक इस मंत्रालय के नई दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों का संबंध है, सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-संभव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

वित्त मंत्रालय

		श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV
1.	1969, 1970 तथा 1971 में भरे गए पदों की संख्या	117	311	4,847	515
2.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के प्रत्याशियों की नियुक्ति से भरे गए पदों की संख्या	1	32	1,175	49
3.	सामान्य वर्ग परिवर्तित, पदों की वर्गवार संख्या	—	17	24	—

गत तीन वर्षों में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति

6817. **श्री अम्बेश** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में गत तीन वर्षों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने पदों पर नियुक्ति की गई थी;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कितने पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति गयी; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के योग्य अभ्यर्थियों के न मिलने पर गत तीन वर्षों मे कितने पदों को सामान्य वर्ग में परिवर्तित किया गया ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

पदों की श्रेणी		रिक्त स्थानों की संख्या जिनके लिए सीधी भर्ती/पदोन्नति की गई थी		
		1969	1970	1971
(क)	श्रेणी I	—	—	—
	श्रेणी II	4	2	2
	श्रेणी III	14	13	5
	श्रेणी IV	—	1	—
(ख)	श्रेणी I	—	—	—
	श्रेणी II	1	—	1
	श्रणी III	1	2	1
	श्रेणी IV	—	—	—

पदों की श्रेणी	रिक्त स्थानों की संख्या जिनके लिए सीधी भर्ती/पदोन्नति की गई थी		
	1969	1970	1971
(ग) श्रेणी I	—	—	—
श्रेणी II	—	1	—
श्रेणी III	—	1	—
श्रेणी IV	—	—	—

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की विभिन्न वर्गों में पदों पर नियुक्ति

6818. **श्री अम्बेश** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उनके मंत्रालय में भरे गये वर्ग I, II, III और IV के पदों की संख्या क्या है;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति, वर्ग-वार, कितने पदों पर की गई; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के न मिलने के कारण कितने पदों को सामान्य वर्ग के पदों में बदल दिया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी VI
गत तीन वर्षों के दौरान भरे गये पदों की कुल संख्या	12	70	99	7
गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरे गये पदों की संख्या	कोई नहीं	6	9	3
गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के न मिलने के कारण सामान्य वर्ग के पदों में परिवर्तित किए गए पदों की संख्या	कोई नहीं	3	9	कोई नहीं।

अकाल पीड़ित व्यक्तियों को राहत कार्यों के लिए आन्ध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

6819. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने अकाल पीडितों के लिए 1971-72 में राहत कार्यों के लिए अब तक आन्ध्र प्रदेश सरकार को कुल कितनी राशि दी है; और

(ख) जून, 1972 तक राहत कार्य जारी रखने के लिए कितनी अतिरिक्त राशि दी गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार को 1971-72 में सूखा राहत कार्यों पर हुए खर्च के लिए 15·03 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई थी।

(ख) केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनार्थ अप्रैल-जून, 1972 के दौरान विभिन्न सूखा सहायता कार्यों पर होने वाले खर्च की अधिकतम सीमा 5·90 करोड़ रुपए स्वीकार की गई है। राज्य सरकार को सहायता, इस अधिकतम सीमा और राज्य सरकार द्वारा दी गई खर्च की प्रगति की सूचना को ध्यान में रखते हुए दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, नई दिल्ली, पर आयकर लगाना

6820. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, नई दिल्ली, पर 2 लाख रुपए का आय-कर लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कर का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) क्या इस समिति के लेखों में अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उन्हें सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कर निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए समिति पर 1,94,829 रुपये की माँग जारी की गई है।

(ख) अभी नहीं। माँग 28-3-1972 के आदेशों के अधीन जारी की गई थी।

(ग) तथा (घ). समिति का कर-निर्धारण करने वाले आयकर अधिकारी द्वारा खाते में कुछ अनियमितताएं पाई गईं। इसलिए खातों द्वारा प्रकट किए गए परिणाम को नामंजूर कर दिया

गया और कर-निर्धारण एक तखमीना के आधार पर किया गया । अनियमितताओं को सही करना समिति का काम है ।

चाय पर उत्पादन शुल्क की भिन्न दरें

6822. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री 26 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1745 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय पर उत्पादन शुल्क की भिन्न दरें लगाने के लिए लागत और उत्पादन के पहलुओं को ध्यान में रखा गया है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हाँ ।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

फोर्ड फाउंडेशन के निमंत्रण पर अमरीका को भेजे गए अधिकारियों द्वारा किया गया अध्ययन

6823. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री क्रमश: 4 मई, 1970 तथा 28 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8328 और 4266 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक अपेक्षित जानकारी नहीं दी है; और

(ख) इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) विदेश मंत्रालय ।

(ख) चूंकि, एशिया फाउंडेशन के निमंत्रण पर, विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका गया था इसलिए उस संबंध में आवश्यक सूचना इकट्ठा करने में उक्त मंत्रालय को समय लग रहा है । किन्तु उस मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया है कि सूचना यथा-संभव शीघ्र उपलब्ध कर दी जायगी ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अधीन कार्य कर रही सहकारी समितियाँ

6824. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अधीन कितनी सहकारी समितियाँ कार्य कर रही हैं; और

(ख) इन समितियों को गत वर्ष कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). संभवत: माननीय सदस्य

का ध्यान उस योजना की ओर है जिसके अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के वित्त-पोषण की व्यवस्था की जाती है जिसके अन्तर्गत बैंक (जिसमें भारतीय स्टेट बैंक शामिल है) उन्हें सत्तांतरित हुई समितियों को ऋण देते हैं। इस योजना को केरल राज्य में क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों में मच्छर और मक्खी होने के बारे में शिकायतें

6825. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों में मच्छरों तथा मक्खियों से होने वाली परेशानी के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अब हर प्रातः केबिनों में कीटाणुनाशक दवाईयाँ छिड़की जाती हैं। यात्रियों के विमान पर चढ़ने से पहले केबिनों को साफ करते समय भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जाती है।

सामान्य बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद मूल्यों में वृद्धि

6827. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् मूल्यों में किन कारणों से वृद्धि हुई; और

(ख) मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद से सामान्य मूल्य स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। 29 अप्रैल, 1972 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए सभी वस्तुओं के थोक मूल्यों का सूचक अंक (1961-62=100) 192·4 है जबकि 11 मार्च, 1972 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए यह सूचक अंक 192·5 था। इस अवधि में, कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं के मूल्य घटे हैं। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखती है और मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि को रोकने के लिए वित्तीय, मुद्रा संबंधी तथा प्रशासनिक, सभी प्रकार के आवश्यक उपाय करती है।

बम्बई में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

6828. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी** :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों द्वारा 3 मई, 1972 को बम्बई में चलचित्र कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के निवास स्थानों और कार्यालयों पर छापे मारे गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन व्यक्तियों के निवास स्थानों और कार्यालयों पर छापे मारे गये थे और अधिकारियों द्वारा प्रत्येक स्थान से बरामद की गई धन राशि और दस्तावेजों आदि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हाँ ।

(ख) ऊपर बताए गए व्यक्तियों के नाम, जिनके निवास-स्थानों और कार्यालयों की तलाशी ली गई और प्रत्येक स्थान से अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई धन-राशि और दस्तावेजों के प्रकार नीचे बताये गए हैं :

नाम	नकदी	दस्तावेज	
	रु०	नियत कालिक जमा रसीदें	लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज
सिनेमा कलाकार			
1. राजेश खन्ना	30,100	70,000 रु०	हाँ
2. राजेन्द्र कुमार	—	—	हाँ
3. संजीव कुमार	—	—	हाँ
4. देव आनन्द	—	—	हाँ
5. महमूद एम० अली	—	—	हाँ
6. जीतेन्द्र कपूर	39,100	—	हाँ
7. धर्मेन्द्र	—	—	हाँ
8. मुमताज	30,000	—	हाँ
9. राखी	—	—	हाँ
10. आशा पारेख	26,000	—	हाँ
निर्माता			
1. बी० आर० चोपड़ा	—	—	हाँ
2. रामानन्द सागर	—	—	हाँ
3. शक्ति सामन्त	4,32,000	—	हाँ
4. ए० के० नाडियाडवाला	—	—	हाँ
5. देवेन्द्र गोयल	—	—	हाँ
6. पन्ना लाल महेश्वरी	—	—	हाँ
7. जे० ओम प्रकाश	—	—	हाँ
8. एन० सी० सिप्पी	—	—	हाँ
9. जी० पी० सिप्पी	—	—	हाँ
10. नाज़िर हुसैन	—	—	हाँ
11. प्रमोद चक्रवर्ती	—	—	हाँ
12. राम महेश्वरी	—	—	हाँ

पकड़ी गई लेखा पुस्तकें और दस्तावेज आय और धन को छिपाने का संकेत देते हैं। वे, और बातों के साथ-साथ, क्लाकारों को "काले-धन" का भुगतान और निर्माण व्यय को बढ़ाने की सूचना देते हैं।

Collision of Two IAF Planes near Hindon Airport

6829. **Shri Jagannathrao Joshi:**
Shri M. S. Sivasamy :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether after taking off from Hindon airport, two I. A. F. planes collided with each other and crashed in the first week of May, 1972.

(b) whether Government have conducted an enquiry into the accident; and

(c) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A Court of Enquiry has been ordered. Its proceedings have not yet been finalised.

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अन्तरिम निदेशक मण्डल के नामांकन के लिए अपनाई गयी कसौटी

6830. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अन्तरिम निदेशक मण्डल के सदस्यों के नामांकन के लिये सरकार ने क्या कसौटी अपनाई है;

(ख) सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के इस प्रकार नामांकित निदेशकों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक सदस्य की योग्यता और अनुभव क्या है; और

(घ) क्या उनकी पिछली सेवाओं का रिकार्ड ध्यान में रखा गया था तथा क्या इस मामले में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से परामर्श किया गया था; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) संकेत बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 7 (3) (क) के अनुसार 18 जुलाई, 1970 को गठित निदेशकों के प्रथम बोर्ड की ओर दिखाई देता है। इन व्यक्तियों का चुनाव भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और निदेशक मण्डल में काम करने की उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

(ख) और (ग). अनुबन्ध में एक विवरण दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2096/72.**]

(घ) जी, हाँ।

इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्य पद्धति का अपनाया जाना

6831. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों ने अपने वेतन और भत्तों में तुरन्त पुनरीक्षण की माँग पर बल देने के लिए नियमानुसार कार्य पद्धति अपना ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगों की रूप-रेखा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगों तथा परिवहन के लिए दिया गया ऋण

6832. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने केरल राज्य में कितना ऋण दिया; और

(ख) उद्योग, परिवहन तथा कृषि कार्यों के लिये श्रेणीवार कितना-कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) 12 मार्च, 1971 तक केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए बकाया ऋणों की कुल राशि 57·69 करोड़ रुपये थी।

(ख) दिसम्बर, 1971 के अन्तिम शुक्रवार तक की सूचना नीचे दी गयी है :

(राशि लाख रुपयों में)

श्रेणी	खातों की संख्या	बकाया राशि
1. कृषकों को प्रत्यक्ष ऋण	54,202	653·64
2. सड़क परिवहन चालक	558	56·16
3. छोटे पैमाने के उद्योग	3,796	1,331·86

"कृषि औजारों" के लिए ऋण के आँकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें "कृषि" मद के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है। उद्योग संबंधी आँकड़े भी, बड़े और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए अलग अलग उपलब्ध नहीं हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए आँकड़े नियमित रूप से अलग से इकट्ठे किए जाते हैं और उन्हें ऊपर दिया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इंजीनियरिंग तथा मैडिकल स्नातकों को दिये गये ऋण

6833. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात् केरल में कितने इंजीनियरिंग और मेडिकल स्नातकों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र दिये; और

(ख) कितने प्रार्थियों को ऋण दिया गया तथा कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). ऋणों के संबंध में आँकड़े संकलित करते समय इंजीनियरी और चिकित्सा स्नातकों को दिये जाने वाले ऋणों को अलग वर्ग नहीं माना जाता । ये ऋण, परियोजनाओं के स्वरूप के अनुसार या तो 'छोटे पैमाने के उद्योगों' के अन्तर्गत या "व्यावसायिक और आत्म-नियोजित व्यक्तियों" के वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । दिसम्बर, 1971 के अन्त में केरल में इन दो वर्गों के अन्तर्गत ऋणकत्ताओं के खातों की संख्या और उनको दिये गये ऋणों की बकाया रकम इस प्रकार थी :

वर्ग	ऋणकर्ताओं के खातों की संख्या	बकाया रकम (लाख रुपयों में)
1. छोटे पैमाने के उद्योग	3,797	1,331·86
2. व्यावसायिक और आत्म-नियोजित व्यक्ति	4,442	51·56

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

शोध कार्य कर रहे अमरीकियों द्वारा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सी० आई० ए० की गतिविधियों के समाचार

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon.

"Reported CIA activities in the border districts of Rajasthan by American Research Scholars."

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : जिन दो व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है उनमें से डा० डैरल ए० फ्रोहरिब को कोई वीसा नहीं दिया गया है और न ही उनके द्वारा इस देश की यात्रा किए जाने की कोई जानकारी हमारे पास है । श्री रिचर्ड न्यूटन ब्ल्यू को कृषि प्रशासन के कुछ पहलुओं के बारे में शोधकार्य (विशेष रूप से राजस्थान के सन्दर्भ में) करने के लिए दस मास तक अर्थात 20 जुलाई, 1972 तक भारत में ठहरने के लिए वीसा

दिया गया था। वह जयपुर में ठहरे हैं और ज्ञात हुआ है कि वह दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के लिए नवम्बर, 1971 में बीकानेर गए थे। इस बात की कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने गंगानगर जिले की यात्रा की थी। उनकी गतिविधियों के बारे में कोई आपत्तिजनक बात सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

Shri Jagannathrao Joshi : This matter had been raised in Rajasthan Assembly and many aspects came to light. In the light of those the Statement made by the hon. Minister is absolutely unsatisfactory.

C. I. A. activities are not confined to this country alone. Previously also their activities have been coming to light. Two years ago it was admitted in the Rajya Sabha by the then Home Minister that Asia Foundation had received funds from U. S. A.'s Secret Organisation. But even then the Government has not become wiser in this regard. It is mentioned in the Statement that Mr. Blue visited Bikaner for sight-seeing whereas the Chief Minister of Rajasthan is reported to have said that the American visited Kota and Bikaner for certain research work and met certain officers including the District Collector.

Mr. Blue is heading the 16-man team of American Peace Corpse and there is adverse report from the Police about the activities of these 16 persons.

Mr. Blue and Mr. Frohrib do not possess any qualifications with regard to agriculture or irrigation. Government should have verified their antecedents before according permission. They collected detailed information and drew maps about irrigation system, canals and sand dunes in Ganganagar and Bikaner Districts. But Minister's statement does not throw light on the points raised in Rajasthan Assembly.

Foreign spies are coming to this country in the garb of Missionaries, Professors and Research Scholars. We should be vigilant in this regard and take effective steps.

Hon. Minister should collect information about their antecedent, their activities etc. and lay on the Table of the House a detailed statement. It should also be mentioned whether Mr. Frohrib came to India or not ? We should also strengthen our Intelligence and Counter Intelligance services.

Shri K. C. Pant : Government is very vigilant about the activities of agencies such as C. I. A. We should understand that such things cannot be discussed in the House.

Mr. Forhrib, who was to conduct research in joint project with Mr. Blue and two Indian Professors, was not given Visa to come to India. His project has not yet been cleared by the Union Government.

Mr. Blue is engaged in another research project. This project was cleared in consultation with the Rajasthan Government and till now the Government has not received any adverse report from the police about the activities of Mr. Blue. That may endanger the security of the country. He is also not related to the American Defence Department.

Shri Sarju Pandey (Ghazipur) : Questions have been raised many times about the activities of C.I.A. There is no mention about the activities of a Professor working in I. I. T., Kanpur. Many C. I. A. agents are working in various Institutes in Nainital. Hon. Minister mentioned that we have a Counter-Intelligence Service. But it appears that this service is not active. We get information only when it is published in newspapers.

Shri K. C. Pant : The Professor who is now in Kanpur was to work jointly with the Professor of Rajasthan and two American Professors. But this Joint research project has not been cleared. The Government do not have any information about C. I. A. agents working in Nainital.

Government is keeping strict watch over the activities of C. I. A. Visa applications are scrutinised in consultation with varions concerned Ministries. Projects are also scrutinised before according permission.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : C. I. A. is a part of American Imperialism and its activities are spread throughout the world. C. I. A. agents are spread throughout our country. The case of Rajasthan is not an isolated one but such cases are happening throughout the country. Its agents are working in various educational institutions, amongst students, amongst journalists and in religious organisations. We should be more vigilant about the activities of this organisation particularly at this juncture of our relations with U. S. A. Central Government should ask the State Governments to order its officers not to have any relations with persons suspected to be engaged in C. I. A. activities. Government should not enter into any agreements with foreign companies such as I. T. T. who have connections with C. I. A. The House should also be informed whether any comprehensive Bill is contemplated to check the activities of C. I. A. ?

Shri K. C. Pant : As I have already stated the Government is keeping a strict watch over the activities of organisations like C. I. A. No untoward incident has happenned in Rajasthan, therefore the question of such happenings throughout the country does not arise. Government officials are bound by Official Secrets Act. It is, therefore, their duty to be always vigilant.

अध्यक्ष महोदय : ससंद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर राज्य सरकारों को विचार-विमर्श नहीं करना चाहिए अन्यथा वहाँ पर कुछ बात की जाती है और यहाँ ससंद में कुछ अन्य इससे, कठिनाई उत्पन्न होती है।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : यह समस्या बहुत व्यापक है परन्तु मंत्री महोदय ने इस बारे में छोटा सा ही वक्तव्य दिया है। यह सभी को ज्ञात है कि अमरीका में अनेकों संगठन जो गुप्तचर विभाग का काम करते हैं और ये संगठन विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के नामों से इस देश में अपनी कार्यवाहियाँ करते हैं।

माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रोफेसर ब्ल्यू की राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों की कोई सूचना नहीं है। परन्तु 'स्टेट्समैन' के अनुसार राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा कहा गया बताया जाता है कि उन्हें मालूम है कि विश्वविद्यालयों और राजनैतिक दलों में सी० आई० ए० के एजेन्ट हैं जो धन प्राप्त करने के लिए अमरीका की यात्रा करते हैं। यदि यह सच है तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य ठीक नहीं है ? यह स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

यह भी पता नहीं कि प्रो० ब्ल्यू को किस आधार पर दस मास का वीसा दिया गया था और वे किस आधार पर देश के अन्य स्थानों की यात्रा करना चाहते थे ? क्या उनके द्वारा अन्य स्थानों की यात्रा करने के कारणों के संबंध में कोई जाँच की गई थी ?

क्या सरकार के पास ऐसे संगठनों, संस्थाओं आदि की कोई सूची है जिन्हें विदेशों से धन प्राप्त होता है ? कूच-बिहार की एक संस्था के आय के स्रोतों के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर सरकार ने उत्तर दिया था कि स्रोतों के संबंध में जानकारी नहीं है। जब सरकार के पास ऐसी जानकारी ही नहीं है तो कैसे कहा जा सकता है कि हम इस दिशा में जागरूक हैं।

समाचार-पत्रों में लिखा है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा है कि प्रो० इकबाल नारायण ने बहुत से पत्र उन्हें दिये हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु क्या है ? इस बारे में बताया जाना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : सदन के समक्ष जो विषय है इसके बारे में राजस्थान के मुख्य मंत्री के वक्तव्य का हवाला देता हूँ जो कि आज के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है। इस पत्र के अनुसार मुख्य मंत्री ने कहा कि मिस्टर ब्ल्यू ने पिछले सितम्बर से यहाँ पर अपने वास के दौरान किसी राष्ट्र विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

जहाँ तक अन्य स्थानों की यात्रा का संबंध है परियोजना की स्वीकृति शिक्षा मंत्रालय द्वारा संवीक्षा के पश्चात् दी जाती है। शिक्षाशास्त्रियों और विश्वविद्यालयों को इस बात को देखना होता है कि कोई विशिष्ट शोध परियोजना लाभदायक है अथवा नहीं।

जहाँ तक विदेशी धन का प्रश्न है सदन में अनेक बार इस पर विचार हो चुका है। अपनी शैक्षिक व अन्य संस्थाओं को विदेशी धन के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए सभी एकमत हैं। सरकार इस बारे में एक विधेयक भी लाने वाली है।

मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य ने किन पत्रों का उल्लेख किया है। हम स्वतन्त्र देश के निवासी हैं। बिना किसी कारण के सरकार निजी पत्र व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं करती अतः इस बारे में हमें सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

स्थगन प्रस्ताव—प्रस्तुत करने की सहमति रोक ली गयी

MOTION FOR ADJOURNMENT—CONSENT TO MOVE WITHHELD

कलकत्ते के एक व्यापार गृह द्वारा सत्तारूढ़ काँग्रेस को चुनाव अभियान के लिए दान में दी गयी कथित धनराशि

अध्यक्ष महोदय : मुझे कानून के कथित उल्लंघन और उस कथित उल्लंघन के बारे में सरकार द्वारा कार्यवाही न किये जाने के बारे में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

यह मामला पिछले दो-तीन दिनों से विभिन्न रूपों में सदन में उठाया जा रहा है। मैंने इस बारे में संबंधित नियमों तथा पूर्ववर्ती अध्यक्षों द्वारा दिये गये निर्णयों का अध्ययन किया है। स्थगन प्रस्ताव के लिए दो बातें अत्यन्त आवश्यक हैं : अनुमति दिये जाने से पूर्व तथ्यों का पता

लगाया जाना चाहिए और उन्हें प्रमाणित किया जाना चाहिए। मुझे सरकार से तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अनुमति दिये जाने से पूर्व तथ्य मेरे समक्ष होने चाहियें।

नौवहन और परिवहन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : वास्तव में इस बारे में जो भी तथ्य हैं वह सदन को ज्ञात हैं। यह केवल मात्र आरोप हैं और वित्त मंत्री ने इसका उत्तर भी दे दिया है।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया है कि कानून तोड़ा गया है। इस बात का पता लगाया जाना है कि क्या पाँच लाख रुपये की धनराशि सत्तारूढ़ काँग्रेस के चुनाव-कोष में दी गई थी अथवा नहीं। इन आरोपों से पहले ही इन्कार किया जा चुका है। यह सच नहीं है। काँग्रेस दल ने सभी अदायगियाँ क्रास-चैकों के द्वारा की हैं और यह अदायगी प्रत्यक्षत: काँग्रेस दल को नहीं की गई है। इसी तरह जो पर्चा प्रस्तुत किया गया है, उससे प्रत्यक्षतया काँग्रेस दल के साथ किसी प्रकार के संबंध का पता नहीं चलता। कानून तोड़ने का प्रश्न तभी उठता है जब कोई तथ्य हों और इस अरोप के तथ्यों का खण्डन किया जा चुका है। अत: केवल आरोप के आधार पर ही स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : यदि तथ्य ही विवादग्रस्त हो तो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? माननीय मंत्री ने कहा है कि तथ्यों का खण्डन किये जाने के पश्चात स्थगन प्रस्ताव का कोई आधार नहीं। अत: जब तक तथ्य प्रमाणित न हों स्थगन प्रस्ताव की अनुमति कैसे दी जा सकती है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कम्पनी कार्य विभाग को इस बात की जाँच करनी चाहिए कि क्या गोयनका समूह अथवा गोयनका परिवार के किसी व्यक्ति ने तीन भाषाओं में 4 लाख पोस्टर प्रकाशित करवाए।

इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि क्या कम्पनी कार्य विभाग को इस बात की जानकारी थी और यदि थी तो क्या कार्यवाही की गई?

यह भी जाँच की जाए कि जो फोटोस्टैट प्रतियाँ हैं क्या वे जालसाजी का काम है और केवल मात्र किसी को बदनाम करने के लिए हैं?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The question is whether any party got published any poster for the Congress Party or not? Whether any company contravened the provisions of law by donating Rs. 8 lakhs in cash or by making payments for the poster for a political party? Another question is whether the photostet copy produced is an act of forgery? Its authenticity has not been challenged as yet, which means it is a genuine. Hon. Minister should tell the facts to the House so that decision could be arrrived at.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : पहले भी ऐसे अनेक मामले हो चुके हैं। 1 फरवरी, 1918 को स्वर्गीय फिरोज गांधी ने एक गुप्त दस्तावेज का उल्लेख किया था और उस पर वाद-विवाद हुआ था। 3 अप्रैल, 1963 को श्री होमी दाजी ने महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से कुछ

बातों का उल्लेख किया था और उस पर भी चर्चा हुई थी। 4 मई, 1963 को श्री होमी दाजी और श्री एस० एम० बनर्जी ने महा न्यायवादी के प्रतिवेदन से कुछ बातों का उल्लेख किया था और उस पर भी चर्चा हुई थी। ऐसे और भी अनेक मामले हुए हैं जिनसे समूचे राष्ट्र के विश्वास को धक्का लगा था। मेरा आपसे निवेदन है कि आप नियम 58 को देखें। इस बारे में कोई दो राय नहीं हैं कि यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है। मैं स्थगन प्रस्ताव को लिये जाने पर जोर नहीं देना चाहता परन्तु मैं चाहता हूँ कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरे विचार में इस मामले में सरकार द्वारा किसी बात से इन्कार करना तथा किसी बात को स्वीकार करना असंबंधित है। आरोप कम्पनी के विरुद्ध लगाया गया है। क्या कम्पनी कार्य मंत्रालय ने इस मामले की जाँच की है ?

अध्यक्ष महोदय : परंतु वे इससे इन्कार कर रहे हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस मामले में एक कम्पनी अन्तर्ग्रस्त है। चन्दा देने पर कानूनी प्रतिबन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव का मामला कैसे हो सकता है ? यह कानून को लागू करने का मामला है। यह स्थगन प्रस्ताव का मामला कैसे हो सकता है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह मामला सभा के निर्णय के लिए छोड़ा जाना चाहिए कि क्या चन्दा देकर वे चुनाव की प्रक्रिया को भ्रष्ट कर सकते हैं अथवा नहीं ?

Shri S. A. Shamim (Shrinagar) : I am not saying that the charge is true but a charge has heen levelled.

अध्यक्ष महोदय : बिना मेरी अनुमति के माननीय सदस्य जो कुछ बोलेंगे उसे रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री एस० ए० शमीम :

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क अधियिनम के अन्तर्गत अधिसूचनाय

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 270 (ङ), जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 मई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 529, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—2079/72.]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 530 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—2080/72.]**

(3) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर०262 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—2081/72.]**

कैरोसीन (अधिकतम कीमत निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत कैरोसीन (अधिकतम कीमत निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 276 (ङ) में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—7082/72.]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :

(एक) मद्रास उर्वरक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मद्रास उर्वरक लिमिटेड, मद्रास, का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—2083/72.]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव: मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :

"कि राज्य सभा को, लोक सभा द्वारा 12 मई, 1972 को पास किये गये विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1972 के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : 22 मई, 1972 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(1) आज की कार्यसूची से आगे ले जाई जाने वाली मद पर विचार ।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया जायेगा तथा उन्हें पास किया जायेगा ।

(क) साधारण बीमा (आयात उपबन्ध) विधेयक, 1972

(ख) संसद सदस्यों को वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1971

(ग) राष्ट्रीय सेवा विधेयक, 1972

(घ) अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक, 1972

(ड़) खान (संशोधन) विधेयक, 1972

(3) उड़ीसा की आदिवासी लड़कियों की बिक्री के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा (बुधवार 24 मई, 1972 को मध्याह्न पश्चात् 2·30 बजे ।)

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एक वैज्ञानिक द्वारा आत्म-हत्या के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा, गुरुवार 25 मई, 1972 को मध्याह्न पश्चात् 3·30 बजे ।

(5) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन का पास किया जाना ।

(क) वास्तुविद् विधेयक, 1972,

(ख) औद्योगिक विवाद (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1971

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

12 वाँ प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से, जो 18 मई, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

श्री पी० के० देव (कालाहांड़ी) : 21 अप्रैल को मध्याह्न भोजन के समय प्रेस एसोसिएशन की एक बैठक में प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि दल बदल को खत्म करने के लिए वह एक विधेयक प्रस्तुत करेंगी। यह समझा गया था कि उक्त विधेयक में यह व्यवस्था होगी कि दल-बदलने वालों को विधान सभाओं से अपनी सदस्यता से हाथ धोने पड़ेंगे। आगामी सप्ताह के कार्य में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, मैं आश्वासन चाहता हूँ कि क्या ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : पश्चिम बंगाल में सूखे कि स्थिति पर सोमवार को ही चर्चा होनी चाहिए क्योंकि वहाँ से भुखमरी के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। स्थिति अति गम्भीर है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मुझे आशा है कि आदिवासी लड़कियों की बिक्री की चर्चा के साथ-साथ आदिवासियों और हरिजनों पर अत्याचारों के संबंध में भी चर्चा की जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है कि विभिन्न मामलों पर चर्चा किस-किस तारीख को तथा किस समय की जायेगी। यदि इस बारे में कोई निश्चय संकेत दिया जाता तो बहुत अच्छा होता।

अध्यक्ष महोदय : छपी हुई सूचियाँ पहले ही दे दी जाती हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : When the discussion on the Sale of Adivasi girls will take place, no date has been given.

श्री राजबहादुर : आदिवासी लड़कियों की बिक्री पर बुधवार 2·30 बजे चर्चा होगी।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : There is scarity of drinking water in many States of the country. I request you to accept my call attention motion in this regard.

Mr. Speaker : Now the time is too short.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से, जो 18 मई, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के बारे में

RE : NATIONAL FITNESS CORPS

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के 7,000 प्रशिक्षकों की विभिन्न राज्यों में तबदीली की जा रही है । इस बारे में निर्णय भी ले लिया गया है । इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दो मामले उड़ीसा तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय में निर्णय के लिए पड़े हुए हैं । जब तक इन मामलों पर उच्च न्यायलयों द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक प्रशिक्षकों की तबदीली के बारे में निर्णय नहीं लिया जा सकता । मैंने ऐसी तबदीली का कभी अनुमोदन नहीं किया है । जब ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा होगी तब मैं सभा में उपस्थित नहीं हो सकता अत: मेरा निवेदन है कि इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा के समय उत्तर देंगे।

समाचार-पत्र (कीमत नियंत्रण) विधेयक

NEWSPAPERS (PRICE CONTROL) BILL

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि जनसाधारण, के हितों में, समाचार-पत्रों की कीमतों का इस दृष्टि से नियंत्रण करने का उपबंध करने के लिए, कि विद्यमान दशाओं में, समाचार-पत्र जन समुदाय के बीच सम्पर्क के प्रभावशील साधन बने रहें, तथा उचित कीमतों पर उनकी उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिये विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये ।"

"अधिनियम सूत्र

(एक) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, 'बाईसवें वर्ष' शब्दों **के स्थान पर** 'तेईसवें वर्ष' शब्द **प्रतिस्थापित किये जायें ।**

"खण्ड 1

(दो) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, '1971' अंकों **के स्थान पर** '1972' अंक **प्रतिस्थापित किए जायें ।"**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जनसाधारण के हितों में, समाचार-पत्रों की कीमतों का इस दृष्टि से नियंत्रण करने का उपबंध करने के लिए, कि विद्यमान दशाओं में, समाचार-पत्र जन समुदाय के बीच सम्पर्क के प्रभावशील साधन बने रहें, तथा उचित कीमतों पर उनकी उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

"अधिनियमन सूत्र

(एक) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, 'बाईसवें वर्ष' शब्दों **के स्थान पर** 'तेईसवें वर्ष' शब्द **प्रतिस्थापित किए जायें** ।

"खण्ड 1

(दो) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, '1971' अंकों **के स्थान पर** '1972' अंक **प्रतिस्थापित किए जायें** ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"अधिनियमन सूत्र

(एक) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, 'बाईसवें वर्ष' शब्द **के स्थान पर** 'तेईसवें वर्ष' शब्द **प्रतिस्थापित किए जाएँ** ।

"खण्ड 1

(दो) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4, में '1971' अंकों के स्थान पर '1972' अंक **प्रतिस्थापित किए जायें** ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिए स्थागित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till quarter past Fourteen of the clock.

अनुदानों की माँगें, (रेलवे) 1972-73

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1972-73

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर अठारह मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at eighteen minutes past Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUATY SPEKER *in the Chai*r.]

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : पुरी के लोग जगन्नाथ के मन्दिर पर ही निर्भर करते हैं । देश के तीर्थ स्थानों को रेलवे द्वारा जोड़ा जाना चाहिए । पुरी से आसनसोल तक एक पैसेंजर चलती है उसको एक्सप्रेस गाड़ी बनाया जाना चाहिए और इसको बनारस तक बढ़ाया जाना चाहिए । पुरी से तिरुपती तक भी एक रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए । यदि रेल सेवाएँ अच्छी हों तो उत्तर भारत के लोग दक्षिण के तीर्थ स्थानों में जाना पसन्द करेंगे ।

उड़ीसा को दिल्ली से मिलाने वाली गाड़ी 54 घंटे का समय लेती है जबकि हावड़ा होकर जाने से केवल 36 घण्टे ही लगते हैं । इस लाइन पर डीजल इंजन से गाड़ी चलाई जानी चाहिये । इससे उद्देश्य प्राप्त हो सकता है । खदगपुर-बदराक लाइन को खुर्दा तक बढ़ाया जाना चहिए ताकि न्यायालय में जाने वाले लोग समय पर अपने-अपने क्षेत्रों में पहुँच सकें ।

प्रत्येक डिवीजन में एक मंत्रणा समिति होनी चाहिए जिसकी तीन महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए ताकि लोग अपनी कठिनाइयाँ व्यक्त कर सकें । जनरल मैनेजरों को भी इन बैठकों में भाग लेने को कहा जाना चाहिए ताकि कठिनाइयों को दूर किया जा सके ।

कल्याण अधिकारियों को जनरल मैनेजरों से संबद्ध किया जाना चाहिए । पहले यही प्रथा थी परन्तु अब उनको डिवीजनल अधिकारियों के साथ लगाया गया है ।

खुर्दा डिवीजन में अनेक लोगों की छंटनी की जा रही है । कुछ लोगों ने कारण भी दे रखा है और वे भूख हड़ताल भी कर रहे हैं । डिवीजनल मैनेजर के विरुद्ध अनेक आरोप लगाये गए हैं । इस मामले को यहाँ भी उठाया गया था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

रेलवे से सामान की चोरी रेल कर्मचारियों की सांठ-गांठ से होती है । प्रश्न यह है कि

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी क्या करते हैं। चोरी के अनेक तरीके हैं। इसको खत्म करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वैलौर) : यह सच है कि रेलवे में कुछ सुधार हुआ है और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है परन्तु यह सब अपर्याप्त है। रेलगाड़ियों में सफाई तथा खान पान आदि आदि की सेवाओं में सुधार किया जाना चाहिए। दिल्ली और मद्रास के बीच एक राजधानी एक्सप्रैस गाड़ी चलाई जानी चाहिए। मद्रास से चलने वाली रेलगाड़ियों के समय में भी कटौती की जानी चाहिए। मद्रास और हैदराबाद को जाने वाली लिंक एक्सप्रैस यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। अतः मेरा सुझाव है कि पृथक-पृथक रेलगाड़ियाँ चलाई जायें।

मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुख्यालय को मद्रास से विजयवाड़ा ले जाया जा रहा है। मद्रास में कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त हैं क्योंकि यहाँ पर दक्षिण रेलवे का मुख्यालय पहले से है। वहाँ पर अनेक सुविधायें उपलब्ध हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि विद्युतीकरण की योजना के मुख्यालय को मद्रास से न हटाया जाये।

मद्रास-बंगलौर रेल लाइन के विद्युतीकरण के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस लाइन पर यातायात बढ़ रहा है।

कलकत्ता और बम्बई में महानगर परिवहन परियोजना संगठनों का कार्य हो रहा है। ऐसा ही कार्य मद्रास में आरम्भ किया जाना चाहिए।

कन्याकुमारी, दिल्ली और हिमालय को जोड़ने वाली प्रस्तावित रेल लाइन पर तेजी से कार्य किया जाना चाहिए।

वैलौर के व्यापारी दिल्ली को आम भेजने के लिए दो बोगियों की माँग कर रहे हैं ताकि वह 50 टन आम दिल्ली भेज सकें, परन्तु उन्हें केवल दो टन आम ही भेजने दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस मामले पर विचार करें और वहाँ के व्यापारियों को दो बोगियाँ दें।

रेलवे प्रशासन हिन्दी के विकास पर भारी धनराशि खर्च कर रहा है। रेलवे बोर्ड की हिन्दी में एक मासिक-पत्रिका निकाली जाती है। इसके अतिरिक्त 119 अन्य पत्रिकाएँ निकाली जाती हैं। मेरा अनुरोध है कि इनको अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाए ताकि सारे देश के लोग इनसे लाभ उठा सकें।

रेलवे विभाग हिन्दी तथा अंग्रेजी में 883 प्रपत्र जारी किया करता है। इनको प्रादेशिक भाषाओं में भी जारी किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय लोग इनको समझ सकें।

मुझे पता लगा है कि गैर-हिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी पढ़ने पर बाध्य किया जाता है और उनकी पदोन्नतियों को रोक दिया जाता है, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसी

को हिन्दी पढ़ने पर बाध्य नहीं किया जाना चहिए और हिन्दी न पढ़ने पर किसी की पदोन्नति नहीं रोकी जानी चाहिए।

रेलवे वोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार 1970-71 में श्रेणी एक और दो में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या केवल 3·7 प्रतिशत थी जबकि श्रेणी तीन में उनकी संख्या 9·8 प्रतिशत थी। चतुर्थ श्रेणी में उनकी संख्या 24 प्रतिशत थी। यह बहुत कम है और माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

सलेम में सर्वेक्षण के लिए रखी गई 24,000 रुपयों की राशि में से केवल 10,000 रुपये ही खर्च किये गये थे जबकि हास्पेट में सर्वेक्षण के लिए रखी गई 62,000 रुपये की राशि में से केवल 2,000 रुपये ही व्यय किये गये हैं।

कर्मचारियों के कल्याण के लिए रखी गई 9·28 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 80·18 लाख रुपये ही व्यय किये गये हैं। यात्रियों तथा रेल-प्रयोक्ताओं की सुविधाओं के लिए रखी गई 4·08 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 22·91 लाख रुपये ही व्यय किये गये हैं। वर्ष 1972-73 के बजट प्राक्कलन में यात्रियों की सुविधाओं में कटौती की गई है। रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ न करके रेलवे बोर्ड ने 50,000 रुपयों की बचत की है तथा इसी प्रकार क्षेत्रीय रेलवे ने अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्तियाँ न करके 21·8 लाख रुपयों की बचत की है। क्या आज बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या में नियुक्तियाँ न करके बचत करना अपेक्षित है।

माल भाड़े से अनुमानित आय 1·92 करोड़ रुपये आँकी गयी थी परन्तु 9·83 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ। इसी प्रकार अन्य जोनल रेलवे से भी अनुमानित आय से बहुत कम आय हुई। रेलवे को अलाभप्रद रेल लाइनों से भी हानि हुई है।

रेलवे मंत्री ने स्वयं इस सभा में बताया है कि कोयले के वैगनों से होने वाली हानि की प्रतिशतता 3 से 31 तक बढ़ गयी है। समय की कमी के कारण मैं अन्य कमियों का उल्लेख नहीं कर सकता हूँ। मेरा यही कहना है कि रेलवे के कार्य में सुधार लाया जाये।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नलगोंडा) : मैं रेलवे की माँगों का समर्थन करता हूँ। रेलवे के आने-जाने के समय में नियमितता आई है, नई रेलवे लाइनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसके बाद ही छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य हाथ में लिया जाना चाहिए।

आंध्र-प्रदेश में गत 25 वर्षों में किसी भी नई रेलवे लाइन का निर्माण नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे। नदीकुदा से बेबीनगर तक की रेलवे लाइन, जो नलगोंडा और नागार्जुन परियोजना के क्षेत्र से गुजरती है, का सर्वेक्षण 1968 में किया गया था। इसके निर्माण से सिकन्दराबाद से मद्रास तक की दूरी 75 किलोमीटर कम हो जायेगी। मंत्री महोदय ने गत वर्ष हैदराबाद जाकर वहाँ अधिकारियों से बातचीत भी की थी। गत वर्ष बंगला देश की समस्या के कारण इस योजना पर कार्य नहीं हो सका है परन्तु मुझे इस बात से निराशा हुई है कि इस वर्ष भी आंध्र प्रदेश को कोई नई रेलवे लाइन नहीं दी गई है।

यह एक महत्वपूर्ण रेलवे लाईन है। नागार्जुन सागर एक बड़ी परियोजना है जिसके पूरा हो जाने पर बड़ी मात्रा में चावल और चीनी का निर्यात हो सकेगा। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दें क्योंकि इस रेलवे लाइन के निर्माण में लागत कम आयेगी और यह लाभप्रद भी है। जब वहाँ पर हैदराबाद के निजाम की रेलवे एच० ई० एच० हैदराबाद में चलती थी, तब उस समय हमारे पास 6 करोड़ रुपये अतिरिक्त थे जो भारतीय रेलवे को दे दिये गये थे। संसद में यह आश्वासन दिया गया था कि इस 6 करोड़ रुपये से तत्कालीन हैदराबाद में नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया जायेगा। इस 6 करोड़ रुपये से अब तक इस रेलवे लाइन का निर्माण किया जा सकता था। ऐसे और भी प्रस्ताव हैं जैसे निजामाबाद से रामगुन्डम तक नई रेलवे लाईन का निर्माण जो सिकन्दराबाद और हैदराबाद के लिए आवश्यक है।

सामान्यतः रेलवे लाइन की 40-50 वर्ष तक मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है परन्तु कुछ लाइनों को बहुत थोड़े समय बाद फिर से ठीक किया गया है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे। प्रति वर्ष रखरखाव के लिए 97 करोड़ रुपये व्यय किये जाते हैं और इस वर्ष इसके लिए 100 करोड़ माँगे गये हैं। रेल के डिब्बों की मरम्मत के लिए 1·39 करोड़ रुपये माँगे गये हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसी क्या विशेष मरम्मत की आवश्यकता आ पड़ी है जिसके लिए इतनी धनराशि माँगी गयी है। क्या इसका कारण पुराने इंजन और रेल के डिब्बे हैं ? मेरे विचार में सरकार को इस प्रकार की योजना बन्द करनी होगी।

जहाँ तक ईंधन का प्रश्न है, इस वर्ष कोयले की खपत के लिए 54·49 करोड़ रुपयों की माँग की जा रही है जब कि गत वर्ष यह 51·63 करोड़ रुपये थी। मंत्री महोदय ने कहा है कि माल और यात्री यातायात में वृद्धि होगी परन्तु गत वर्ष के आँकड़े बताते हैं कि यह वृद्धि बहुत नगण्य हुई है। वस्तुतः अतिरिक्त धनराशि की माँग कोयले को रेल-इंजन घर में ले जाने के लिए की जा रही है और इससे कोयले की चोरी में सहायता मिलेगी, रेलवे में कोयले की ठेका पद्धति समाप्त करके सहकारी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश में रेलवे का डीजलीकरण तथा विद्युतीकरण होना चाहिए।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मैं गुजरात में रेल के वैगनों की कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूँगा। गुजरात चैम्बर आफ कामर्स ने 12 फरवरी, 1972 को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से अनुरोध किया था कि जीरा, सौंफ, तिलहन आदि को ले जाने के लिए प्रतिदिन 50 वैगनों की व्यवस्था की जाये, परन्तु इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। इसी प्रकार कोयले के लिए भी वैगनों की कमी है। कच्छ, सौराष्ट्र साल्ट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने भी नमक ले जाने के लिए वैगनों के उपलब्ध न होने की शिकायत की है। वैगनों की संख्या देश में पर्याप्त है परन्तु इनके आबंटन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। इस संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिए।

गुजरात और राजस्थान से आने वाले अभ्यार्थियों के लिए बम्बई स्थित रेलवे सेवा आयोग के कार्यालय में जाना आसान होता था परन्तु इस आयोग के नागपुर स्थानान्तरित किए जाने से उन्हें परेशानी हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों किया गया है। मेरा निवेदन है कि रेलवे सेवा आयोग का कार्यालय अहमदाबाद अथवा गुजरात में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए ताकि राजस्थान और गुजरात के अभ्यर्थियों को इससे लाभ मिल सके।

पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, जो इस समय बम्बई में है, अहमदाबाद अथवा गांधीनगर में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। राजस्थान और गुजरात इस रेलवे के अंतर्गत आते हैं इसलिए इसका अहमदाबाद अथवा गांधीनगर में स्थानान्तरण किया जाना उचित रहेगा।

राजकोट डिवीजन में केवल 37 चल टिकट परीक्षक हैं और 87 रेलगाड़ियाँ चलती हैं। शेष 50 रेलगाड़ियाँ इनके बिना चल रही हैं। इन 37 चल टिकट परीक्षकों को स्थायी किया जाना चाहिए और सभी रेलगाड़ियों में इन परीक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं में से एक वैगनों के उपलब्ध न होने के बारे में है। इस समस्या को समझने के लिए देश में वैगनों की स्थिति संपूर्ण रूप में देखनी चाहिए। वर्ष 1971-72 में माल यातायात की स्थिति में कुछ सुधार हुआ था परन्तु यह संतोषजनक नहीं था। क्योंकि हम 90 लाख टन माल यातायात के लक्ष्य में से केवल 20 लाख 90 हजार टन माल की ही ढुलाई कर सके थे। यदि हम इस स्थिति को देखें तो यह पायेंगे कि रेलवे को सम्पूर्ण रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वैगनों की कमी कतिपय कारणों से अपरिहार्य थी। पूर्वी क्षेत्र में स्थिति संतोषजनक नहीं थी। यदि बंध, हड़ताल, अथवा धरना देने से स्थिति बिगड़ जाती है तो सामान्य स्थिति लाने में बहुत समय लग जाता है। दुर्भाग्यवश पूर्वी क्षेत्र में स्थिति संतोषजनक न होने से वैगनों की सप्लाई अनियंत्रित रही।

1970-71 में 13 बड़े बंध और 1971-72 में लगभग 7 बंध आयोजित हुए। 1970 में रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की घटनाओं में वृद्धि हुई। अगस्त-अक्तूबर 1971 में पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में लाइनों के काटे जाने से इस क्षेत्र में लगभग 10,000 वैगनों का जाना रुक गया। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में शरणार्थियों को खाद्यान्न पहुँचाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया था। हमें प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को भी पूरा करना पड़ा है।

बंगला देश में माल यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहाँ हमने 4,500 वैगन भेजे हैं। इन वैगनों का प्रयोग वहाँ माल तथा खाद्यान्न के जाने के लिए किया जा रहा है। जब वहाँ स्थिति सुधर जायेगी तब हमें वैगन वापिस मिल सकेंगे।

ईंटों की भट्टी के लिए कोयला लाने-लेजाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हम राज्यों की माँगों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें कतिपय कठिनाइयाँ हैं, पूर्वी क्षेत्र में स्थिति सुधारने पर वैगन मिलने से इस माँग को पूरा किया जा सकेगा।

1969-70 में कोयले की माँग को रेलवे ने शत-प्रतिशत पूरा करके दिखाया परन्तु विभिन्न कारणों से पूर्वी क्षेत्र में रेलगाड़ी की सेवाओं में विघ्न पड़ने से अगस्त 1970 में स्थिति खराब होती चली गई। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और हम कोयले को लाने-लेजाने के लिए वैगनों को उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। वर्ष 1970-71 और 1971-72 में बंगाल तथा बिहार की कोयला खानों से औसतन क्रमशः 5,542 और 5,647 वैगनों में कोयला ढोया गया। ये आँकड़े सिद्ध करते हैं कि वैगनों की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक रही है।

जहाँ तक ईंटों की भट्टी के लिए कोयले का प्रश्न है हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इस

कार्य के लिए वैगनों को उपलब्ध किया जाए। रेलवे का कार्य केवल वैगनों की सप्लाई करना है। वैगनों की माँग करना राज्य सरकारों का कार्य है, दुर्भाग्यवश कोयले की कमी का दोष रेलवे को दिया जाता है। वस्तुत: कोयले के वितरण करने का दायित्व रेलवे पर नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कोयले का भंडार जमा होता जा रहा है और वैगन उपलब्ध नहीं हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का मन्तव्य किस स्थान से है। रेलवे भरसक प्रयत्न कर रही है कि इन माँगों को पूरा किया जाए।

यह सच है कि सौराष्ट्र और कच्छ से नमक ले जाने के बारे में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्ष 1971-72 में बड़ी लाइन में 1,813 वैगनों में नमक ढोया गया था परन्तु दुर्भाग्यवश छोटी लाइन में वैगनों की कमी रही। इस कमी को काफी सीमा तक बड़ी लाइन में वैगनों की संख्या बढ़ा कर पूरा किया गया है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : सौराष्ट्र में 55 प्रतिशत नमक पैदा होता है। यदि मानसून से पूर्व उसे वैगनों की सप्लाई नहीं की गई तो स्थिति बिगड़ सकती है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सौराष्ट्र और कच्छ के लिए हमने विशेष प्रयास किए हैं जिससे माल ढोने में वृद्धि हुई है। मैं सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मई से वैगनों की सप्लाई पर्याप्त रूप से की जाएगी।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : क्या मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि उड़ीसा के कियोंझर जिले में मैंगनीज और लौह अयस्क की खानें वैगनों की कमी के कारण बन्द पड़ी हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैंगनीज, डालमाइट तथा अन्य खानों से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उनको अपेक्षित वैगनों की सप्लाई करने में कुछ कठिनाई रही है। हम इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश कई बिजली घरों में बिजली का संकट आ पड़ा था। उन्होंने कोयले की माँग सूची कभी नहीं तैयार की थी। जब उनको कोयले की कमी का सामना करना पड़ा तो रेलवे ने उनकी सहायता की। रेलवे ने उनको वैगन सप्लाई किए जो अन्यथा अन्य कार्यों के लिए दिये जाने थे। बिजली घरों में कोयले की कमी के लिए रेलवे किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं है। मुझे विश्वास है कि जब बिजली घर 1 सप्ताह अथवा 10 दिन के लिए माँग सूची तैयार कर लेंगे तो हम वैगनों को अन्यत्र कार्य के लिए भेज सकेंगे। हमने आगामी दो या तीन वर्षों में लगभग 27,000 वैगनों का निर्माण करने की योजना बनाई है। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि देश में वैगनों की स्थिति में सुधार लाया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने रेलवे में दुर्घटनाओं की वृद्धि के बारे में चिंता प्रकट की है। यदि हम आँकड़ों को देखें तो पायेंगे कि वर्ष 1964-65 में 1,293 दुर्घटनाओं की अपेक्षा वर्ष 1971-72 में इनकी संख्या 867 थी। यह आँकड़े बताते हैं कि स्थिति में कितना सुधार हुआ है।

श्री के० एस० चावड़ा : छोटे स्टेशनों में वैगन सप्लाई नहीं किए जाते।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : कतिपय बेईमान लोग कोयला खानों से ट्रकों में कोयला लाकर छोटे स्टेशनों से उसे बुक कर रहे हैं। इससे विभिन्न राज्यों में कोयला पहुँच गया है। दुर्भाग्यवश बेईमान लोग देश में व्याप्त अभाव की स्थिति से लाभ उठा रहे हैं। हमने छोटे स्टेशनों से कोयला बुक न करने के लिए एक परिपत्र जारी किया था। इस पर संबंधित पार्टियों ने उच्च न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली। हम स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

जहाँ तक विभिन्न राज्यों में उपरि पुल और निचला पुल बनाने का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके लिए रेलवे द्वारा सुरक्षा निधि बनाई हुई है, इस निधि में से राज्य सरकारों को धन दिया जा सकता है ताकि वे निर्माण कार्य को पूरा कर सकें। यदि कोई राज्य सरकार इस धन की माँग करती है तो इसमें से उसे धन दिया जा सकता है।

वर्ष 1971-72 के लिए परिव्यय 10·26 करोड़ रुपये था और 1972-73 के लिए यह राशि 3·55 करोड़ रुपये रखी गयी है। जहाँ तक छोटे कामों का प्रश्न है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है यदि राज्य सरकार इस मामले में पहल करें।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : उड़ीसा विधान सभा में 6 अप्रैल, 1972 को सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया गया था कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय उड़ीसा में स्थापित किया जाये। यह न केवल उचित है अपितु इससे उड़ीसा को विकास करने का अवसर प्राप्त होगा। उड़ीसा विधान सभा को यह संकल्प इसलिए पारित करना पड़ा क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह आशंका व्यक्त की थी कि यदि यह मुख्यालय उड़ीसा स्थानान्तरित किया गया तो उससे पश्चिम बंगाल में भारी विद्रोह होगा। ऐसे विशुद्ध प्रशासनिक कार्य में मुख्य मंत्री का वक्तव्य उचित तथा संगत नहीं है।

रेलवे मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि दक्षिण पूर्वी रेलवे की लाइन किलोमीटर में उड़ीसा में सबसे लम्बी है। इस कारण इस रेलवे को उड़ीसा से सबसे अधिक आय प्राप्त होती है। कलकत्ता में पहले ही पूर्व रेलवे तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे के मुख्यालय विद्यमान हैं। ट्यूब रेल बनने के पश्चात् उसका मुख्यालय भी कलकत्ता में स्थापित किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि यह कहाँ तक उचित है कि तीन तीन रेलों के मुख्यालय बंगाल में रहें जबकि स्वयं रेल मंत्री ने यह आश्वासन दिलाया था कि मुख्यालय किसी एक ही स्थान पर केन्द्रित नहीं किये जायेंगे? जब दक्षिण रेलवे के मुख्यालय को मद्रास से सिकन्दराबाद लाया जा सकता है तो दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय को उड़ीसा में स्थानांतरित करने में क्या आपत्ति है?

इसके अतिरिक्त मुख्य वाणिज्य सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय तथा रेलवे लोक सेवा आयोग को चरणवार उड़ीसा में स्थानांतरित किया जा सकता है जिससे उड़ीसा की जनता में व्याप्त असंतोष को दूर किया जा सके। मुझे आशा है मंत्री महोदय उड़ीसा की जनता के साथ न्याय करेंगे।

कटक से पारादीप तक रेलवे लाइन के बारे में मंत्री महोदय ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह दिसम्बर, 1972 तक पूरी हो जायेगी। किन्तु वहाँ जिस गति से कार्य हो रहा है उससे ज्ञात होता है कि वह दिसम्बर, 1974 तक भी पूरी नहीं होगी।

मुझे बहुत से तार तथा पत्र मिले हैं जिनमें यह शिकायत की गई है कि उक्त रेलवे लाइन पर रोजगार दिये जाने के लिए स्थानीय लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इसके कारण वहाँ की जनता में भारी असंतोष है।

मंत्री महोदय ने यह भी वायदा किया था कि आर्थिक व्यवहारिता प्रतिवेदन प्राप्त होने के तुरंत बाद जखपुरा-वंशतानी नई रेलवे लाइन बनाए जाने का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। उन्हें उक्त प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है तथा उड़ीसा खनन निगम में लाइन के लिए स्थल देने का आश्वासन भी दिया है। किन्तु अब माननीय मंत्री का कहना है कि इस लाइन के बारे में तभी कुछ निर्णय किया जा सकता है जबकि मालनगतोली निक्षेपों के बारे में छानबीन पूरी करली जाये तथा उनकी क्षमता का पता लगा लिया जाये। खेद है विकासशील राज्यों के साथ सरकार इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री राजनीतिक आग्रहों को त्याग कर इन सभी पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILL AND RESOLUTIONS

चौदहवाँ प्रतिवेदन

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चण्डीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से, जो 17 मई, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से, जो 17 मई, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

मुख्य औद्योगिक गृह के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE:* NATIONALISATION OF LEADING INDUSTRIAL HOUSES

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्री एस० एन० मुकर्जी द्वारा 5 मई, 1972 को प्रस्तुत किए गए संकल्प पर आगे चर्चा की जाएगी। संकल्प पर चर्चा के लिए $2\frac{1}{2}$ घंटे का समथ निर्धारित किया गया था जिसमें से एक घंटा व्यतीत हो चुका है।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : I rise to support the spirit of the resolution. I do not subscribe to the theory that priority should be given to the augmentation of industrial growth and increased production and nationalisation of big industries should be the second step. I do not believe in encouraging monopoly houses any more.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए ।
SHRI K. N. TIWARY *in the Chair.*]

It has been observed that inspite of the measures taken last year monopoly houses are growing in the country. Certain members on the Monopolies Commission are not committed to curbing monopolies as a result of which the very purpose of establishing the commission is defeated. Monopolies Commission have not denied new licence to the monopoly houses in the period of last three-four years. I, therefore, demand the reconstitution of the Monopolies Commission with those members who have full faith curbing the growth of monopoly houses.

I also demand reconstitution of Tariff Commission because of the fact the present machinery is full of those persons who favour big monopoly houses. While reconstituting Tariff Commission Government should see that only those persons are taken who do not represent the monopoly houses.

I am not convinced with the plea that increased production would help in solving social problem. Big monopoly houses have increased their production to the large extent but they have simultaneously increased social disparities. Certain people have critised the performance of public sector but they did not take into consideration the cardinal concept of the public sector. The creation of public sector is based on the aim of increasing the production of basic necessities rather than earning high profits which is the very purpose of the Private Sector. It has been observed that Private Sector have defied the guidelines formulated by the Planning Commission regarding the production of certain commodities because these big monopoly house found them profitable. Thus big industrialists in India aim in profiteering and not in solving social problems. In these circumstances Government will have to change this present economic policy to bring a favourable change in the social system. While supporting the objectives of the resolution, I request Shri H. N. Mukerjee that he should accept the amendment proposed by Shri Banerjee.

Dr. Kailas (Bombay South): I appreciate the spirit of the resolution moved by Prof. H. N. Mukherjee. I feel that the prices of the products of 75 big monopoly houses should be brought down to a level within the reach of the common people in the country. Government should not allow big monopoly houses to prosper at the cost of the consumers of India.

Apart from monopoly houses which are owned by Indians, there are several monopoly houses in India which are owned by foreigners. All of them are charging high prices of their products from the consumers. We cannot tolerate the attitude of these foreign monopolists any more. I am sorry to observe that Government, have not formulated the rules based on the Patent Act resluting in undue advantage to these foreign companies. So many foreign companies manufacturing medicines and other items have been earning as much profit as one thousand to three thousand percent. The only dlfficulty in accepting the proposal of Shri Mukerjee is that we would have to give plenty of money to these monopoly houses as compensation and at present we are not in a position to do so. We have demanded time and again that all the resources pertaining to pharmaceuticals should be brought under the control of Indian drug companies. I do not agree with the reply of the Government that our research department have not made any considerable progress and that our industries do not possess technical know-how. But I know certain Indian Drug manufacturing companies, like Bengal Chemicals and others, who have essential technical know-how.

The hon. Minister of Company Affairs has admitted that the Monopoly Act could not be effectively implemented due to the fact that there are certain loopholes in it. May I

know the reasons for which Government could not bring amendments to remove those loopholes ? When Government have once for all decided to abolish monopoly from the country what prevents them to take suitable steps in this regard ? How long would the people of the country be exploited by these 75 big monopoly houses ? I want specific reply to these question from the hon. Minister.

I do not agree with the inference made by Shri Sat Pal Kapur that if these monopoly houses are nationalised, price increase would stop. I would like to suggest that Government should prepare a phased programme and try to see that within a period of time of fifteen years there are no monopoly houses in the country.

While concluding I would like to express my gratitude to Shri H. N. Mukerjee who have given us an opportunity to think over the matter of national interest. I would also like to know from the hon. Minister whether we are in a position to pay compensation to these monopoly houses in case Government propose to nationalise them.

***श्री के० सूर्यनारायण** (एलूरु) : किन्ही आर्थिक कठिनाइयों के कारण सरकार एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकी। अतः सरकार पर यह आरोप लगाना कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, निराधार है। मेरे विचार से इन एकाधिकार-गृहों को अपने हाथ में लेने से सरकार की समस्याएं और भी बढ़ेंगी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ-साथ इनका भार उठाना सरकार के लिए असम्भव हो जायेगा। तथापि मैं श्री मुकर्जी के प्रस्ताव से सहमत हूँ तथा सरकार को कभी न कभी यह कदम उठाना ही पड़ेगा क्योंकि देश में सुनियोजित आर्थिक विभाग के लिए यह कदम उठाना आवश्यक है। मुझे ज्ञात है कि सरकार भारी मुआविजे के कारण यह कदम उठाने में हिचकिचा रही है।

इन औद्योगिक गृहों ने, जिन्हें अब एकाधिकार औद्योगिक प्राप्त गृहों के नाम से जाना जाता है, बहुत थोड़ी पूंजी से अपने उद्योग स्थापित किए थे किन्तु सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते-करते अब उनकी पूँजी कई गुनी बढ़ गई है। अतः इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि सरकार एक निश्चित अवधि निर्धारित करे, जिसके अन्तर्गत इन उद्योगों को सरकार को अधिकार में लिया जाए।

1971 में मध्यावधि चुनावों के पश्चात् यह निर्णय किया गया था कि श्रमिकों को लाभ का भाग मिलना चाहिए। गैर-सरकारी कम्पनियों में सरकारी पूँजी न लगाये जाने का भी संकल्प किया गया था किन्तु जीवन बीमा निगम ने 1971-72 में विभिन्न गैर-सरकारी उद्योगों को 362·50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। कुल वित्तीय सहायता में से इन बड़े उद्योग-गृहों को 1969-70 में 8·28 प्रतिशत सहायता दी गई तथा 1970-71 में 100 प्रतिशत सहायता दी गई तथा 1971-72 में 68·62 प्रतिशत सहायता दी गई। आश्चर्य है, एक ओर एकाधिकार को समाप्त करने की बातें कही जाती हैं तथा दूसरी ओर उनको इतनी अधिक वित्तीय सहायता दी जाती है।

जहाँ तक इन गृहों को मुआवजा देने का प्रश्न है। मेरे विचार से सरकार के लिए मुआवजे

*तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telgu.

की शर्त को हटाना कोई कठिन कार्य नहीं है। जब भूतपूर्व महाराजाओं के सभी विशेष अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है तो मुआवजे संबंधी उपबन्ध को भी संविधान से निकाला जा सकता है। श्रमिकों का रक्त चूसकर तथा सरकार से भारी वित्तीय सहायता प्राप्त करके एकाधिकार गृह दिन प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात ही देश में एकाधिकार को प्रोत्साहन मिला है। अत: मेरा सुझाव है कि सरकार एक सीमाबद्ध कार्यक्रम बनाए तथा धीरे-धीरे इन एकाधिकार-गृहों को अपने नियंत्रण में ले। अन्त में मेरा सुझाव है कि सरकार की घोषित नीति के अनुसार इन औद्योगिक-गृहों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए तथा उन पर श्रमिकों का नियंत्रण होना चाहिए।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : मैं इस संकल्प का पूरी तरह समर्थन करता हूँ तथा सरकार से माँग करता हूँ कि इन उद्योग-गृहों का यथाशीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जाए। मैं सरकार को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि वह यह कदम उठांना चाहे तो उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। वह पूरी तरह समर्थ है।

मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि इसके अन्तर्गत बड़े औद्योगिक-गृह अपने प्रभाव से अनुचित लाभ उठाते हैं। अतः मैं इनके राष्ट्रीयकरण की माँग करता हूँ। उद्योग-गृह दिन प्रतिदिन प्रगति करते जा रहे हैं। देश के केवल 7-8 परिवारों को कुल आय का 35 प्रतिशत प्राप्त होता है जबकि शेष जनता को भर पेट भोजन भी नहीं मिलता। इस स्थिति में अब अधिक अन्याय सहन नहीं किया जा सकता। 611 लाइसेंसों में से 133 लाइसेंस बिड़ला बन्धुओं को दिए गए हैं। आज देश में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है जिससे साधारण व्यक्ति को कपड़ा, दवाई आदि मिल सके। आज आवश्यकता है मोटे कपड़े की जिससे गरीब व्यक्ति अपना तन ढाँप सके। पगडंडियों पर रहने वाले बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु के समाचार मिलते हैं। 171 व्यक्तियों को लू लग गई। उनके पास सर छुपाने को कोई स्थान नहीं। देश में प्रदिदिन इस प्रकार की दु:खद घटनाएं घट रही हैं किन्तु सरकार इन 75 उद्योग-गृहों के साथ अनुनय विनय कर रही है। यह उद्योगपति राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना प्रभाव डालते हैं। अत: मेरा सुझाव है कि देश की गरीब जनता के लिए सरकार को कुछ सुविधाएं अवश्य देनी चाहियें।

श्री जी० विश्वनाथन् (वाण्डीवाश) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात इन उद्योग-गृहों का दिन-प्रतिदिन विस्तार होता चला गया। कांग्रेस पार्टी ने 1955-56 में समाजवादी व्यवस्था लाने का निर्णय किया था किन्तु आश्चर्य है उसके पश्चात एकाधिकार-गृहों में कई गुना विस्तार हुआ। स्वंय सरकार भी इस तथ्य से अवगत है। 1964 में इस संबंध में महालनबीस समिति नियुक्त की गई थी जिनसे यह टिप्पणी की थी कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों ने विशेषकर बड़ी गैर-सरकारी कम्पनियों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें अधिक उन्नति करने में सहायता दी है।

कोई कार्यवाही करने की बजाय सरकार ने उसके पश्चात एकाधिकार जाँच आयोग नियुक्त किया तथा 1965 में आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि बड़े उद्योग गृहों को नए उद्योगों के लिए तथा उद्योगों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में अधिक सुविधा रही। इस पर

भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके पश्चात् प्रो० हजारी को भी यही कार्य सोंपा गया तथा उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला। किन्तु 1966 तक सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की। 1967 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने पुनः बड़े उद्योग-गृहों की शरण ली तथा उन्हें दिए गए सभी लाइसेंसों के बदले उनसे भारी राशि प्राप्त की।

सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति नियुक्ति की जिसने 1969 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें लगभग वही बातें कही गई जो पहली समितियों ने कही थीं। इस समिति ने यह भी कहा कि औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा वित्तीय संस्थाओं में कोई समन्वय नहीं है। समिति ने यह भी टिप्पणी की कि सार्वजनिक बैंकधारी संस्थानों ने बड़े उद्योग-गृहों को ऋण देने में अधिक सहायता की तथा बिड़ला बन्धुओं, मफतलाल, टाटा और ए० सी० सी० को काफी लाभ पहुँचाया गया।

आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में जमा हो जाने का देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा अन्य सभी क्षेत्रों पर कुप्रभाव पड़ा। समिति ने इस आशंका की भी पुष्टि की है कि उद्योगपति सत्तारूढ़ दल को चुनावों में धन देकर असतुष्ट नहीं होता क्योंकि उसे अपने धन का मुआवजा मिलने की पूरी आशा रहती है। समिति के अनुसार कुछ उद्योगपति सरकारी अधिकारियों को भी लालच देकर उनसे भ्रष्टाचार कराने का प्रयत्न करते हैं। हमें आशा थी कि इतना बहुमत प्राप्त करने के पश्चात सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। किन्तु हमें निराश होना पड़ा। 159 नए लाइसेंसों में से 114 लाइसेंस बड़े उद्योग-गृहों को दिए गए हैं। क्या सरकार का यही समाजवाद है ?

औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार 1956 में विद्यमान गैर-सरकारी इस्पात प्लांटों को छोड़कर इस्पात का उत्पादन केवल सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में होना चाहिए किन्तु उक्त संकल्प की अवहेलना की जा रही हैं। सरकारी क्षेत्र के बहुत से छोटे कारखानों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं तथा वित्त मंत्री से जब कल यह प्रश्न किया गया तो उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अतः इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए अथवा यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि भविष्य में उन्हें कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Pandit Jawahar Lal Nehru appointed Mahalnobis Commission to find out as to where the capital earned by country after independence has gone. The Commission in its report apointed out that 70 percent of the total capital earned by the country after independence has gone in the hands of a few persons.

After that Government appointed Monopoly Inquiry Commission which observed that there were 75 big monopoly houses which have grabbed two-third portion of the total capital in India.

At the time of independence the total investment of Birlas was not more than Rs. 35 to 40 crores and now it is more than Rs. 600 crores. These big industrialists have their influence in our political and economical spheres. They donate heavy amounts to the political parties including Congress, Jan Sangh and Swatantra. It was learnt that during the elections in 1967 Birlas gave Rs. one lakh each to about 100 candidates. It was also learnt that Birlas tried their utmost to see that Shri Morarji Desai could defeat Shrimati Indira Gandhi and incurred a heavy amount of Rs. 4·5 crores for that purpose. This shows how they have their influence on the political life of our country. They always try to corrupt the

Government and their machinery. Government are encouraging foreign collaboration as a result of which top most capitalist of our country are adopting such policies which are in consistence with the planned economic development in the country.

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला) : मैं संकल्प के प्रस्तुतकर्ता की भावना से सहमत हूँ क्योंकि इन 75 उद्योगों के राष्ट्रीयकरण कर देने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। राष्ट्रीयकरण तो सही अर्थ में अफसरशाहीकरण है। इन उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। जब मैं राष्ट्रीयकरण की भावना को समझता हूँ उसका यह मतलब है कि उन्हें न केवल इन थोड़े से एकाधिकार-गृहों के नियंत्रण को ही समाप्त करना चाहिए अपितु एकाधिकार को समाप्त करना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) से यह निर्धारित किया गया है कि राज्य, विशेषकर, अपनी नीतियों को स्वामित्व प्राप्त करने और समुदाय के भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण को इस प्रकार बांटने के लिए बनायेगा कि सर्वसाधारण का हित हो सके और अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि धन तथा उत्पादन के साधनों का जमाव कुछ हाथों में न हो।

देश में जिस समूची आयोजना-प्रक्रिया को हमने आरम्भ किया है वह हमें अपने उद्देश्य की दिशा में नहीं ले जाती है। अतः हमारी आयोजना ऐसी होनी चाहिए जिससे धन का एकत्रीकरण न हो और यदि हो भी जाये तो इसे समाप्त किया जा सके। ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि उत्पादन के संसाधन थोड़े से लोगों के हाथों में न हों। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आधारभूत उद्योगों को, जिनमें से अधिकांश उपभोक्ता उद्योग हैं, सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाये। जहाँ कहीं थोड़े से उद्योग भी गैर-सरकारी क्षेत्र में हों, उन्हें भी सरकारी-क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

यदि हम गरीबी पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में जो भी निवेश किया जाये वह केवल आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए हो। उसके बाद में आराम और विलास की वस्तुओं के उत्पादन के लिए निवेश किया जाना चाहिए। अधिकाधिक लोगों को अधिक आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए।

यही एकमात्र उपाय है जिससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। देश के अधिकांश लोगों को क्रय-शक्ति प्रदान कीजिए, एकत्रीकरण अपने आप समाप्त हो जायेगा।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : इस समय देश सामन्तवादी अथवा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। हम भूमि की अधिकतम सीमा की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे समय में ऐसा लगता है कि इन एकाधिकार-गृहों का वर्तमान समाज में कोई स्थान नहीं है।

विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों ने समय-समय पर एकाधिकार-गृहों को समाप्त करने के लिए कानून बनाये परन्तु वहाँ की सरकारों को सफलता नहीं मिली परन्तु भारत के एकाधिकार गृहों की विदेशों के एकाधिकार-गृहों के साथ साँठगाँठ चल रही है और जिस समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हम सोच रहे हैं, उसे वे नष्ट करने जा रहे हैं।

भारत में इस समय पूर्ण रूप से समाजवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। ये औद्योगिक-गृह बीजक में कम राशि दिखाते हैं और कदाचार करते हैं। कई आयोगों ने कहा है कि भारत में काला धन 7,000 करोड़ रुपए हो गया है तथा इन एकाधिकार-गृहों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है जबकि इस समय देश में औसत व्यक्ति की आय 75 पैसे प्रतिदिन भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि ये औद्योगिक-गृह इतना अधिक बढ़ जायें और हमारी समूची अर्थव्यवस्था पर हावी हो जायें।

हमें इस बात से सचेत रहना चाहिए कि इन औद्योगिक-गृहों का प्रशासनिक तंत्र पर प्रभाव है तथा ये समाजवाद के सिद्धान्त को नष्ट करने जा रहे हैं।

भारत में अफसरशाही समाजवाद की भावना में विश्वास नहीं रखते। इसलिए एकाधिकार गृहों का अधिग्रहण करने के साथ-साथ उपक्रमों को सरकारी क्षेत्र में समाजवाद के आधार पर चलाने के लिए अफसरशाही ढाँचे में भी परिवर्तन करना आवश्यक है अन्यथा समाजवाद लाना बहुत कठिन है।

यदि राष्ट्रीयकरण के लिए तुरन्त कार्यवाही नहीं की जाती तो कम से कम सरकार तथा लोगों के द्वारा इन गृहों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कुछ पहल अवश्य की जानी जानी चाहिए।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : समाजवादी होने के नाते हम किसी भी उद्योग का, आवश्यक होने पर, राष्ट्रीयकृत करने की नीति के लिए वचन बद्ध हैं। कल वित्त मंत्री ने कहा था कि यदि हमें पता चलता है कि कोई उद्योग राष्ट्र के हितों के विरुद्ध है तो हम उसका राष्ट्रीयकरण करने में नहीं हिचकिचायेंगे। जैसा कि संकल्प में 75 व्यापारिक-गृहों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कहा गया है परन्तु यह संकल्प एक बहु-प्रयोजनीय संकल्प है तथा प्रत्येक व्यापारिक-गृह 15 प्रकार के व्यापार करता है। हमें इस मामले पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना पड़ता है अतः इन सैकड़ों व्यापारिक-गृहों का राष्ट्रीयकरण करना संभव नहीं है। सरकार को उद्योगों पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। हमें विश्वास है कि हम उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। जब हमें पता चलेगा कि कोई उद्योग हमारे नियंत्रण के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उसका राष्ट्रीयकरण अवश्य किया जायेगा। इस समय हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह संकल्प बहु-प्रयोजनीय है। दूसरे, इस संकल्प का राजनैतिक उद्देश्य है।

हम इस बहु-प्रयोजनीय संकल्प को स्वीकार नहीं कर सकते।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) : इस संकल्प के प्रस्तावक द्वारा इसे प्रस्तुत करने का मुख्य कारण यह है कि आर्थिक शक्तियाँ एक स्थान पर एकत्रित होने के कारण एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है और उनके द्वारा बताई गई कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य एकत्रीकरण को समाप्त करना है। संसद और सरकार को इस महत्वपूर्ण समस्या की जानकारी देना है तथा उन्हें विश्वास है कि ऐसी औद्योगिक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे निजी नियंत्रण के स्थान पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाये।

1963-64 के आँकड़ों पर आधारित एकाधिकार जाँच आयोग ने 75 ऐसे औद्योगिक-गृहों का पता लगाया है जिनकी अस्तियाँ 5 करोड़ रुपये से अधिक हैं।

औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति ने 31-12-1966 तक उपलब्ध आंकड़ों पर अपना विश्लेषण आधारित किया तथा काफी जांच करने के बाद पाया कि ये व्यापार-गृह किस प्रकार प्राप्त किए गए लाइसेंसों में हिस्सा रखते हैं और किस प्रकार उनमें से कुछ गृहों ने अनियमितताएँ की हैं।

अत: इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस शताब्दी के सातवें दशक में आर्थिक शक्तियों के एकत्रीकरण की समस्या एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है और यदि इस पर नियंत्रण न किया गया तो यह समस्या और अधिक गंभीर रूप धारण कर लेगी। कुछ वर्षों से सरकार ने यह महसूस किया है कि इन प्रवृत्तियों को रोका जाना चाहिए और उन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसीलिए सरकार ने एकाधिकार जाँच आयोग और फिर औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच आयोग नियुक्त किए। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत दुर्व्यवस्थित उद्योगों को हाथ में लेने तथा औद्योगिक वस्तुओं की कीमत निर्धारित करने की शक्तियाँ उपलब्ध हैं। इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने इन समस्याओं को पर्याप्त नहीं समझा। गत तीन-चार वर्षों में सरकार ने कुछ परस्पर-सम्बद्ध उपाय किए हैं जिनके द्वारा महत्व-पूर्ण स्थानों पर नियंत्रण करके आर्थिक शक्तियों के एकत्रीकरण की प्रवृत्तियों को रोका जाये। जहाँ तक औद्योगिक लाइसेंसों का संबंध है, बड़े-बड़े औद्योगिक-गृहों को आधारभूत उद्योगों तथा भारी निवेश संबंधी क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जायेगा। अन्य क्षेत्रों में उनका विस्तार केवल इस बात को ध्यान में रखकर किया जायेगा कि वे कम लागत पर अधिक उत्पादन करते हैं अथवा नहीं अथवा 60 प्रतिशत या उससे अधिक निर्यात की शर्त के अन्तर्गत किया जायेगा। बड़े-बड़े औद्योगिक-गृहों को जिनमें 20 बड़े गृह भी सम्मिलित हैं, एकाधिकार (निर्बन्धात्मक तथा व्यापार प्रक्रिया) अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया है तथा ये औद्योगिक-गृह सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नए उपक्रमों का विलय आदि नहीं कर सकते। अन्य बड़े गृहों के बारे में भी, जहाँ भी उनका किसी क्षेत्र में प्रभुत्व है, उन पर एकाधिकार (निर्बन्धात्मक तथा व्यापार प्रक्रिया) अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे।

सरकार कुछ इस प्रकार के उपायों पर विचार कर रही है जिससे वे व्यापार-गृह, जो बड़े-बड़े औद्योगिक उपक्रमों पर नियंत्रण कर रहे हैं, निगमित लाभ का निजी लाभ के लिये उपयोग न कर सकें। इसके अतिरिक्त, बड़े-बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी यह सुनिश्चित हो गया है कि बैंक के वित्त से बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों को कोई वरीयता नहीं मिलेगी।

यदि बड़े-बड़े व्यापार-गृहों को दिए गए लाइसेंसों की तुलना लाइसेंसों की कुल संख्या से की जाये तो ज्ञात होगा कि 1967 में 14·3 प्रतिशत, 1968 में 14·46 प्रतिशत तथा 1969 में 14·19 प्रतिशत की तुलना में यह संख्या 1970 में 7·9 प्रतिशत और 1971 में यह घट कर 8·5 प्रतिशत रह गई है।

अधिकांश लाइसेंस आशय-पत्रों के परिवर्तन के माध्यम से जारी किये जाते हैं तथा वास्तविक रूप से इनमें से कई लाइसेंस 1970 अथवा 1971 में दी गई स्वीकृतियों के संदर्भ में दिये गए थे।

यदि हम आशय-पत्रों को देखें, जिनसे वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है तो पता चलेगा कि बड़े-बड़े औद्योगिक-गृहों को 1970 में 5 प्रतिशत तथा 1971 में 3·7 प्रतिशत आशय-

पत्र जारी किये गए थे। 1970 में बड़े-बड़े औद्योगिक-गृहों के कुछ नए उपक्रमों के लिये तीन और 1971 में इनके नये उपक्रमों को चार आशय-पत्र जारी किये गए थे।

इन आंकड़ों से पता चलेगा कि आर्थिक शक्तियों के एकत्रीकरण को समाप्त करने के लिये सरकार कितने उत्साह से औद्योगिक लाइसेंसों के संबंध में नीति को क्रियान्वित कर रही है। लाइसेंस देने की उदार नीति से उद्यमियों ने उद्यमों को व्यापक बनाया है। एकाधिकार-गृहों के बारे में सरकार की नीति उनके वर्तमान उपक्रमों पर आवश्यक होने पर नियंत्रण पाने की है। अतः नीति की घोषणा की गई है कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं को ऋण को 'इक्विटी' में बदलने का विकल्प होगा। ये संस्थाएं इन कम्पनियों के बोर्डों में निदेशक भी नियुक्त कर सकती हैं।

सरकार ने यह निर्णय किया है कि भविष्य में सरकारी वित्तीय संस्थाओं को परिवर्तनीय खंड द्वारा और इन गृहों तथा अन्य गृहों के अधीन इन कम्पनियों के निदेशक बोर्ड में स्वयं अपने मनोनीत व्यक्तियों को नाम निदेशित करके अधिक सक्रिय योगदान करना चाहिए। नियंत्रण प्राप्त करने का यही कारण है कि सरकार ने एक गतिशील संयुक्त क्षेत्र का समर्थन किया है ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों का लाभ उठाया जा सके परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हमारी संयुक्त उद्यम सम्बंधी धारणा के बारे में आरोप लगाया गया है। इस विषय में विशेषकर राज्य औद्योगिक विकास निगम से कार्य संचालन के संबंध में हमने विस्तृत अनुदेश जारी किये हैं। यह निर्धारित किया गया है कि राज्य औद्योगिक विकास निगम का अंश 26 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए और किसी भी अन्य पार्टी का अंश 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह भी निर्धारित किया गया है कि बड़े औद्योगिक-गृहों को भारत सरकार की विशेष अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसी परियोजना के साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता।

हमारे इरादे बहुत अच्छे हैं और राष्ट्रीय हित में अपनी अर्थ-व्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए संयुक्त क्षेत्र की धारणा बनाई गई है।

भारत सरकार का इरादा किसी प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देने का नहीं है।

जहाँ तक तथा-कथित गुप्ता-पिलोडिया मामले का संबंध है, मेरे पास उस मामले का विवरण नहीं है। वैसे इस मामले की जाँच की जायेगी।

हाल ही में हमने जिन विदेशी सहयोग के मामलों को स्वीकृति दी है, उसका भी उल्लेख किया गया है। 1970 की तुलना में 1971 के दौरान स्वीकृत विदेशी सहयोग के मामले बढ़ गए हैं परन्तु इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि हमारे देश के अन्दर माँग के स्वरूप में काफी परिवर्तन हुआ है। हम अधिकाधिक आधुनिक मदों का उत्पादन करने लगे हैं जिनकी कुछ वर्ष पहले आवश्यकता नहीं थी। हम अब विदेशों को काफी मात्रा में गैर-परम्परागत मदों का भी निर्यात करने लगे हैं। गत चार वर्षों में जारी किये आशय-पत्रों की तुलना में विदेशी सहयोग की प्रतिशतता में तेजी से कमी हुई है। अतः यह कहना सही नहीं है कि हम प्रौद्योगिक अथवा उद्योग के क्षेत्रों में विदेशी प्रभुत्व अथवा विदेशी साम्राज्यवाद को पनपने दे रहे हैं। हम इस संबंध में चयनात्मक रवैया अपनाते रहेंगे परन्तु इसके साथ ही नये विचारों अथवा नई तकनीकों के प्रति भी हम विमुख नहीं रह सकते।

आर्थिक शक्ति के एकत्रीकरण की समस्या के लिये भी दो उपाय हैं—सरकारी क्षेत्र तथा लघु उद्योगों का विकास । इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिये सरकार वचनबद्ध है । सरकारी क्षेत्र को एकाधिकार पर भी नियंत्रण रखना होगा ।

उपभोक्ता उद्योग को भी, जिसकी कमी है, इसमें शामिल करने का विचार है । चौथी योजना के अन्त तक सरकारी क्षेत्र में निवेश लगभग 7,300 करोड़ रुपये हो जायेगा ।

सरकारी क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था पर उत्तरोत्तर नियंत्रण होता जा रहा है । इसी प्रकार इन उद्योगों के विकास के लिये सरकार द्वारा बल दिये जाने के कारण लघु उद्योगों ने भी काफी प्रगति की है ।

सरकार आर्थिक असमानताओं और आर्थिक शक्ति के एकत्रीकरण को कम करने की नीति के प्रति वचनबद्ध है । हम यह देख रहे हैं कि हमारी नीति किस प्रकार क्रियान्वित की जा रही है तथा उसके परिणाम क्या निकले हैं । इस नीति को क्रियान्वित करने के साधनों में जब भी कोई त्रुटि दिखाई देगी तो उनमें परिवर्तन किया जायेगा अथवा साधन अपनाये जायेंगे अथवा नई नीति बनाई जायेगी ।

सरकार राष्ट्रीयकरण के मामले में नहीं हिचकिचाती है । जब कभी भी यह आवश्यक समझती है राष्ट्रीयकरण कर देती है । परन्तु प्रो० मुकर्जी जब केवल एक ही साधन अर्थात राष्ट्रीकरण के बारे में सोचते हैं, सरकार अनेक साधनों के बारे में सोचती है ।

आर्थिक शक्ति के निजी एकत्रीकरण को रोकने के लिये राष्ट्रीयकरण एक उपाय है ।

इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य को जो आशंका है, वह व्यर्थ है । अतः मैं माननीय माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वह अपने संकल्प के लिये बल न दें ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकता-उत्तर पूर्व) : मुझे औद्योगिक विकास मंत्री के ध्यान-पूर्वक तैयार किये गये भाषण से अत्यन्त निराशा हुई है । आज जब सरकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण का श्रेय लेती है तो बड़ा आश्चर्य होता है । राष्ट्रीयकरण हमारे आन्दोलन का ही फल है । वर्तमान प्रधान मंत्री भी बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के पक्ष में थीं । सरकार यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में है । यदि हम गरीबी हटाना चाहते हैं और समाजवाद की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो हमें तुरन्त इस दिशा में कार्यवाही करनी होगी । समाजवाद के पथ पर आगे बढ़ना कोई सरल कार्य नहीं है ।

जहाँ तक आर्थिक असमानता और देश के आर्थिक पतन का संबंध है, विदेशी हमारी समाजवाद की दिशा में प्रगति में बाधक बने हुए हैं । वांचू समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में 7,000 करोड़ रुपये का काला धन पनप रहा है ।

अभी पिछले दिन वित्त मंत्री ने बताया कि काला धन जमा धन नहीं है अपितु व्यवसाय में लगा हुआ धन है । उन्होंने बताया कि यह खुले रूप में सक्रिय है । तब भला इसे हम नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते ?

मुझे मंत्री महोदय के इस कथन के बारे में कि जनता ने हमारा समर्थन किया है, यह निवेदन करना है कि जनता ने पार्टी पर विश्वास करते हुए समर्थन दिया था।

सांविधानिक संशोधनों के पश्चात् क्षतिपूर्ति की विशेष समस्या नहीं रही है। अब सरकार यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में क्यों है ? आज ऐसा क्यों कहा जाता है कि गैर-सरकारी उद्योगों को देश की अर्थ-व्यवस्था में योगदान देना है।

ऐसी स्थिति में यदि आप विषमता दूर करना चाहते हैं तो आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। आप ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि कोई भी व्यक्ति ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान का स्वामी नहीं होगा जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हो। सरकार सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा क्यों नहीं देती तथा सम्पत्तियों एवं आय की सीमा निर्धारित क्यों नहीं करती ?

कठिनाइयों के होते हुए भी एकाधिकार-गृहों को अधिकार में लिया जाना चाहिए। भागीदार होने की भावना से ही औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि हो पाएगी।

मैं मंत्री महोदय के सुझाव के अनुसार संकल्प को वापिस लेने को तैयार नहीं हूँ। मैं केवल श्री एस० एम० बनर्जी के संशोधन कि 'चौथी योजना अवधि के दौरान' शब्द जोड़ने के संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 1 and 2 were put and negatived.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

Amendment No. 3 was by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"इस सभा की राय है कि एकाधिकार जाँच आयोग के प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट पचहत्तर प्रमुख उद्योग गृहों के राष्ट्रीयकरण के लिये तुरन्त कदम उठाये जायें।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में—19
विपक्ष में—78

Ayes 19
Noes 78

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived.

प्रति व्यक्ति आय के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE:* PER CAPITA INCOME

सभापति महोदय : अब हम श्री विभूति मिश्र के इस संकल्प को लेते हैं :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति की आय की न्यूनतम सीमा निर्धारित करे।"

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I move my following resolution:

"This House urges upon the Government to fix the minimum limit of per capita income."

Sir, My resolution is the most noncontroversial one and I wish that the entire House including the Government should agree to it.

At the time of birth or death no one is rich and no one is poor. It is only during life time that one is rich and the other is poor.

[**श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए।**
SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair.*]

We fought the independence struggle and won it. Thereafter, the Constitution was framed but it was not framed with a view to safeguarding the interests of poor people. It provided pay of Rs. 10,000 for the President. Provision was also made for higher rates of salaries for Central and State Ministers, I.C. S. and other senior officers. The laws made by this Government permit certain citizens to enjoy incomes worth lakhs and crores of rupees, while the poor people in this country have to starve.

The average per capita income in the country is Rs. 542, whereas the average per capita income for Bihar comes to Rs. 102/-. The Consititution makers and this Government is responsible for this disparity. A large part of our national income goes to class I and class II officers, Ministers and big businessmen and the poor people continue to suffer.

A lot is being said regarding ceiling of urban land. So I wish that my proposal for ceiling on incomes may be accepted by the Government which talks too much of socialism.

I want to stress on another point. The Government should decide as to what part of our national income be spent on development. The remaining amount may be distributed to everyone according to a fixed ceiling. We should have fixed smaller salaries for the President and Central and State Ministers. In fact, these people are living princely lives. Their children study in Public Schools and have all other facilities whereas workers cannot educate their children even in a village school.

It is said that U. S. A. is rcaetionary and capitalist country. But that country's leader Jeffersen wrote that the constitution should be re-written every twenty years.

The desired result could not be achieved by our speeches in Parliament but i

could only be achieved by a revolution. In order to bring about socialism, they would have to cnrb higher incomes.

The per capita income which was Rs. 321·4 in 1960-61 has gone up to 542·3. There are thousands of income-tax payers. Where do they spend their earnings, it needs to be checked.

There are 23,820 class I, 44,621 class II, 13,14,901 class III and 12,54,639 class IV employees in Central Government. There are 189 I. C. S. officers drawing more than 3000 rupees. The number of these drawing between Rs. 2500 to 2999 is 332. Our Constitution provides that sovereignty in our country vests with the people. They have political rights but they are denied economic rights. Our communist friends raise the slogan of socialism but they travel in air-conditioned trains. They do not have contact with the masses. Only those who have contacts with the masses can bring about equality. Socialism cannot be brought about without bringing about equality in the distribution of incomes. It has been stated in Panchtantra that it is the duty of the state to distribute weelth. Socialism could not be brought about even with massive majority of congress party.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : I support the resolution of Shri Mishra and hope that Government would also agree to it. This country is not as poor as its common people are. The difficulty is that after independence, we chose the wrong path of capitalistic development. The prices have risen very high and the people have no other way but to take the path of agitation.

More and more taxes are being levied without considering the capacity of common people to pay them. It is needless to mention the increase of unemployment in our country. Against 55 emergency vacancies of P. C. S., 15,000 applications were received of which 450 were judicial magistrates. More then 56 thousand graduate engineers are jobless. The disparity between the rich and poor is on the increase.

All problems in our country have arisen due to capitalistic path of development. The Government should give up that path now.

Gandhiji and other leaders had realized that India is a poor country. A resolution was passed in Karachi congress that nobody would be paid over Rs. 500/- p. m. But having come to power we have forgotten every thing. If unemployed persons are not provided with jobs this Government would collapse.

I want to draw the attention of the Government towards a decision of the Government of Mujibur Rehman that no body would be paid less than Rs. 100/- and no body would get more than Rs. 1000/-. If a Government with hardly 5 months starding can take such a decision why can not our Government do that ?

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 22 मई, 1972 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, the 22nd May, 1972.

New India Printing Press, Khurja